तृतीय माला, खण्ड १५—अंक २७

सोमवार, २५ मार्च, १९६३
४ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १५ में अंक २१ से अंक ३० तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न *संख्या ५५४ से ५५७ और ५६० से ५६७ . .	२५७५–२६०२
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५५८, ५५९ और ५६८ से ५७५ .	२६०२–०७
अतारांकित प्रश्न संख्या १०८२ से १११९ . . .	२६०७–२३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .	२६२४–३३
(१) श्री पटनायक द्वारा वाशिंगटन में दिया गया कथित व्यक्तव्य	
(२) त्रिच्ची-रेणि एक्सप्रेस और एक बस में हुई दुर्घटना	
सभा पटल पर रखे गय पत्र	२६३३–३४
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुभति	२६३४
सदस्य द्वारा त्याग-पत्र	२६३४
श्री बागड़ी द्वारा कही गई बातों के बारे में	२६३४–३९
अनुदानों की मांगें :	२६४०
अणु शक्ति विभाग	
श्री जवाहरलाल नेहरू	२६४०–४७
स्वास्थ्य मंत्रालय . . .	२६४७–८९
श्रीमती विमला देवी . . .	२६४७–४८
श्री अ० त्रि० शर्मा . . .	२६४९
श्री राम सिंह .	२६४९–५२
श्रीमती जयाबेन शाह .	२६५२–५४
श्री कछवाय . .	२६५४–५७
श्रीमती चावदा . . .	२६५७–५९
श्री मोहन स्वरूप . . .	२६५९–६२
डा० श्रीनिवासन	२६६२–६३
डा० मेलकोटे	२६६३
श्री ह० च० सौय . .	२६६३–६५
श्री लोनिकर .	२६६५
श्री रामचन्द्र मलिक	२६६५–६६

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख पृष्ठ ३ पर देखिये

लोक-सभा

सोमवार, २५ मार्च, १९६३

४ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गैर सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा सामग्री का निर्माण

\+

†*५५४. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सा० मो० बनर्जी :
श्री वासप्पा :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दाजी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री इन्द्र जीत गुप्त :
श्री श्यामलाल शर्राफ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों ने भी प्रतिरक्षा सामग्री का उत्पादन आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो, अच्छी किस्म बनाये रखने के उद्देश्य से उचित निरीक्षण की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) कितनी फर्मों को क्रय-आदेश दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

भाग (ख) :

किन्हीं ग्रयादेशों के देने से पहले, भावी निर्माणकर्ता की क्षमता/सामर्थ्य, जिसमें अच्छी किस्म पर नियंत्रण रखने के लिये व्यवस्था करना और प्रश्नाधीन सामग्री के निर्माण/रचना के लिये अपेक्षित मूल सामग्री को प्राप्त करने की योग्यता भी सम्मिलित हैं, को आंकने के लिये कदम उठाये जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये कि निर्माणकर्ता ठीक चालू विनिर्देशों के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये समर्थ हैं उन्हें निविदाओं के साथ नमूने भेजने के लिये कहा जाता है। ग्रयादेशों के दिये जाने और निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जाने के पश्चात, प्रतिरक्षा निरीक्षक निर्माण के दौरान तथा निर्माण के पश्चात और सम्भरणकर्ताओं के स्थानों से अन्तिम रूप दी गई वस्तुओं के भेजे जाने से पहले निरीक्षण/परीक्षायें करते हैं। यह देखने के लिये कि सही माल का उपयोग किया जा रहा है, निर्माण में उपयोग किये गये कच्चे माल की भी जांच की जाती है। निरीक्षण स्तरों की एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिये, किस्म नियंत्रण जांचों के अतिरिक्त मुख्यालय के निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर नमूनों की भी जांच की जाती है।

भाग (ग) :

अक्टूबर से दिसम्बर, १९६२ की अवधि में केन्द्रीय अधिप्राप्ति अभिकरणों ने प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिये ४४४ फर्मों को ग्रयादेश दिये थे। इसके अतिरिक्त, प्रतिरक्षा आवश्यकताओं की वस्तुओं का सम्भरण करने के लिये आयुध कारखानों के महानिदेशक ने भी ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में १२० कारखानों को ग्रयादेश दिये हैं। इससे आगे भी, जब कभी आवश्यक होगा, ग्रयादेश दिये जायेंगे। अब तक दिये गये ग्रयादेश यह हैं :--

(निशान और शक्तिमान) ट्रकों के अवयव	२२ कारखाने
ट्रैक्टरों के अवयव	३० ,,
अस्त्र शस्त्रों के लिये औजार	६ ,,
गोला-बारूद के अवयव	६२ ,,
	१२० कारखाने

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या माननीय मंत्री निश्चित रूप से यह बताने की स्थिति में हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में सैनिक सामग्री का उत्पादन कम्पनियों अथवा फर्मों के उस समूह को नहीं सौंपा गया था जिसका कि विवियन बोस आयोग ने बुरी तरह से तिरस्कार किया था ; और यदि हां, तो किन किन कम्पनियों अथवा फर्मों को इस सैनिक सामग्री और उपकरणों के उत्पादन का कार्य सौंपा गया है और किस अनुपात में?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो बहुत लम्बा उत्तर हो जायेगा क्योंकि जहां तक मैं विवरण से पढ़ सका हूं ६०० से अधिक कम्पनियों को ग्रयादेश दिये गये हैं। उन सब नामों को एक पूरक प्रश्न के उत्तर में प्रश्न काल में ही कैसे बताया जा सकता है? परन्तु

†मूल अंग्रेजी में

उन्होंने एक जानकारी मांगी है । उन्होंने यह पूछा है कि क्या उन कम्पनियों में ऐसी भी कोई कम्पनी सम्मिलित है जिसका विवियन बोस आयोग ने तिरस्कार किया था ?

†**श्री रघुरामैया :** मैं इसका तुरन्त इसी समय उत्तर नहीं दे सकता।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को कुछ ऐसी असैनिक वस्तुओं का निर्माण करने के लिये भी कहा गया है जैसे कि काफ़ी तैयार करने की मशीनें, थरमस फ्लास्क इत्यादि जिनका हमारे आयुध कारखाने आयातकाल से पूर्व की अवधि में निर्माण कर रहे थे ; और यदि ऐसा नहीं है, तो सैनिक सामग्री और उपकरणों की कौन-कौन सी विशेष वस्तुओं के अथवा कितनी संख्या में इन वस्तुओं के निर्माण का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा गया है और किस अनुपात में ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने पिछले पूरक प्रश्न पर जो आपत्ति उठाई थी वही फिर यहां भी लागू होती है। वह उन सब वस्तुओं की सूची यहां कैसे दे सकते हैं जिनके निर्माण का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा गया है ? बहुत सी वस्तुएं हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** वह कम से कम यह उत्तर तो दे सकते हैं कि आयुध कारखानों ने थरमस पलास्कों तथा काफ़ी तैयार करने की मशीनों के निर्माण का कार्य बन्द कर दिया है जिसे कि वे आपातकाल से पहले कर रहे थे।

†**श्री रघुरामैया :** श्रीमन्, मैंने अनेक अवसरों पर यह स्पष्ट कर दिया है कि आपात-काल के तुरन्त पश्चात् ही काफी तैयार करने की मशीनों आदि जैसी वस्तुओं के निर्माण का कार्य हमारे आयुध कारखानों में बिलकुल बन्द कर दिया गया है। **(अन्तर्बाधायें)**

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** माननीय मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गई बातों के अतिरिक्त, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या निर्माण करने वाली वस्तुओं की एक सूची तैयार कर ली जाती है और क्या यह निर्धारित कर लिया जाता है कि कौन-कौन सी वस्तुए गैर-सरकारी क्षेत्र में निर्मित की जायेंगी और कौन-कौन सी सरकारी क्षेत्र में ?

†**श्री रघुरामैया :** आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय, जिसके हाथ में मुख्यरूप से यह मामला है, पहले अवयवों की संख्या आदि का, और प्रतिरक्षा मंत्रालय से वस्तुओं के विशेष विवरणों का पता लगा लेता है। फिर वह उन कुछ फर्मों से सम्पर्क स्थापित करता है जिनमें इन वस्तुओं का निर्माण करने की क्षमता है। इसके पश्चात् वह उन फर्मों से बातचीत करता है कि वे उन वस्तुओं का निर्माण कर सकती हैं अथवा नहीं और हमारे परामर्श में निश्चय ले लिया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो विवरण में ही बता दिया गया है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** इन फर्मों को जो मूल सामग्री भेजी जाती है क्या वह प्रतिरक्षा मंत्रालय से माध्यम से भेजी जाती है अथवा उसका सीधा ही संभरण किया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका भी विवरण में उल्लेख किया गया है। माननीय सदस्य ने वह पढ़ा ही नहीं है।

†**श्री महेश्वर नायक :** हमारी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं की गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्माण द्वारा अब कितनी पूर्ति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुरामैया** : हम असैनिक क्षेत्र से सर्वोत्तम सहायता पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु इस समय मैं यह नहीं कह सकता कि हमें कोई भारी सहायता मिली है। हमारे मार्ग में कठिनाइयां हैं और हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या यह सच है कि बहुत से बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने प्रतिरक्षा मंत्रालय से अनेक प्रस्ताव किये हैं कि यदि उन्हें अवसर दिया जाये तो वे प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये अति उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, और यदि हां, तो उनकी क्या संख्या है ?

† **श्री रघुरामैया**: कुछ बड़े, छोटे तथा मध्यम उद्योगपतियों ने प्रस्ताव किये हैं और यह देखने के लिये कि इन वस्तुओं का निर्माण उनके द्वारा किया जा सकता है अथवा नहीं उन प्रस्तावोंकी जांच की जा रही है। जहां कहीं भी यह समझा जाता है कि वे इस कार्य को कर सकते हैं, तो यह उन्हें सौंप दिया जाता है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : श्रीमन्, उन्होंने उत्तर नहीं दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कदाचित उनके पास उत्तर नहीं है।

†**श्री रघुरामैया** : मैं उत्तर दे सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसी स्थिति में उन्हें उत्तर दे ही देना चाहिये था।

†**श्री रघुरामैया** : विवरण में ही असैनिक क्षेत्र के कारख़ानों (यूनिट्स) की संख्या दी गई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह विवरण में दी गई है, तो उसे अब देने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : विवरण में उन कारख़ानों की संख्या दी हुई है जिन्होंने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। मैं उन कारख़ानों की संख्या जानना चाहती थी जिन्होंने प्रस्ताव भेजे हैं।

†**श्री रघुरामैया** : यह उत्तर देना तो मेरे लिये बहुत कठिन है।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु जब मैं ने कहा था कि वह उत्तर नहीं दे सकते तो उन्होंने कहा था कि वे दे सकते हैं।

†**श्री रघुरामैया** : मुझे खेद है कि मैं ने प्रश्न समझा नहीं था।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या ग़ैर-सरकारी क्षेत्र को भी अब उन्हीं वस्तुओं का निर्माण करने की अनुमति दी जा रही है जिनका निर्माण सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जा रहा था ?

†**श्री रघुरामैया** : यदि वह अवयवों तथा अनेक अन्य वस्तुओं का उल्लेख कर रहे हैं, तो उत्तर है कि 'हां'।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या यह भी सही है कि नमूने के रूप में जो हथियार बना कर दिए गए थे, बाद में जो हथियार बना कर दिये गए उस नमूने के मुताबिक़ नहीं पाए गए ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह तो कंट्रोल है, अगर नहीं पाए गए तो उनको देखा जाएगा।

†**श्री अ० प्र० जैन** : आयुध कारखानों की निर्माण क्षमता को ध्यान में रखते हुए क्या कोई ऐसी योजना बनाई गई है कि किस प्रकार के उपकरणों के निर्माण का कार्य ग़ैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा जाना चाहिये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रघुरामैया : जी हां ।

†श्रीमती शारदा मुकर्जी : प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पाद मंत्री ने बताया है कि आयुध करखानों में अब भी वस्त्रों जैसी वस्तुओं का निर्माण जारी है। यदि हां, तो आयुध कारखानों की उत्पादन क्षमता को पुनर्गठित करने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि हम आपातकाल की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें ।

†श्री रघुरामैया : वास्तव में वस्त्रों तथा सामान्य वस्तुओं के मामले में इस समय आयुध कारखाने जो उत्पादन कर रहे हैं वह पर्याप्त नहीं है। इसलिये, इन वस्तुओं के लिये असैनिक क्षेत्र से बहुत सी सहायता आई है ।

बेरोजगारी

†*५५५. {
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विभूति मिश्र :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० के० देव :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारे काम-दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्ट्रों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक औद्योगिक उपक्रम काम-दिलाऊ दफ्तरों द्वारा भर्ती करना नहीं चाहते ; और

(ग) सरकार यह देखने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि भर्ती काम-दिलाऊ दफ्तरों द्वारा हो ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । सरकारी और ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों में बहुत से औद्योगिक उपक्रम अपने यहां कर्मचारी भर्ती करने के लिये काम-दिलाऊ दफ्तरों की सेवा का उपयोग कर रहे हैं ।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा इस मामले का अनुसरण किया जा रहा है। ग़ैर-सरकारी संस्थाओं को काम-दिलाऊ दफ्तरों की सेवा का उपयोग करने के लिये निरन्तर सम्पर्कों के द्वारा प्रेरित किया जाता है ।

†श्री सुबोध हंसदा : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि पश्चिम बंगाल में पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्तियों की, विशेषरूप से उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की, संख्या में वृद्धि हुई है, और यदि हां, तो सरकार यह देखने के लिए क्या कदम उठा रही है कि इन योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार मिल जाय ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** बेरोजगार व्यक्तियों के रजिस्टर में संख्या में वृद्धि काम-दिलाऊ दफ्तरों के बढ़ने के परिणामस्वरूप हुई हैं जो कि १९५८ के अन्त में २१२ थे और दिसम्बर, १९६२ के अन्त तक बढ़कर ३४२ हो गये हैं और जिसमें कि २० विश्वविद्यालय रोजगार ब्यूरो सम्मिलित नहीं हैं। दूसरी बात यह है रोजगार ढूंढ़ने वाले व्यक्तियों में काम-दिलाऊ दफ्तरों में अपना नाम लिखाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जैसा कि प्रतिवर्ष के पंजीकरण की बढ़ती हुई संख्या से स्पष्ट है। तीसरी बात यह है कि जिस गति से रोजगार बाजार में नये प्रवेशार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है उस गति से रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले साधनों में वृद्धि नहीं हुई है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** माननीय मंत्री ने अभी-अभी बताया है कि मालिक काम-दिलाऊ दफ्तरों से अपना संपर्क रखते हैं। यदि ऐसा है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि यह देखने के लिये क्या कोई साधन है कि सारे मालिक वास्तव में काम-दिलाऊ दफ्तरों से अपना संपर्क बनाये रखते हैं ? यदि नहीं, तो उन मालिकों के विरुद्ध जो कि काम-दिलाऊ दफ्तरों से अपना संपर्क नहीं रखते हैं सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : जहां तक सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों का सम्बन्ध है, काम-दिलाऊ दफ्तर (रिक्तस्थानों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, १९५९ के नाम से एक विधान है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जब कभी भी विज्ञापन दिये जाते हैं तो काम-दिलाऊ दफ्तरों को भी सूचना दी जाती है और इन उपक्रमों तथा काम-दिलाऊ दफ्तरों के बीच निरन्तर संपर्क रखा जाता है। जहां तक गैर-सरकारी उपक्रमों का संबंध है, यह सच है कि भरती करने के लिए काम-दिलाऊ दफ्तरों की सेवाओं का उपयोग करना उनके लिए अनिवार्य नहीं है। तदपि, इन संस्थाओं में विद्यमान रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में जानकारी काम-दिलाऊ दफ्तरों को निरन्तर दी जाती है और स्थानपूर्ति के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या उपचारात्मक उपायों को खोजने के लिये देश के विभिन्न भागों में चुने हुए काम-दिलाऊ दफ्तरों में विशेष अध्ययन किये गये थे ? यदि हां, गैर-सरकारी उपक्रमों के बारे में यह उपाय क्या हैं ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** अध्ययन निरन्तर किया जा रहा है। स्थिति यह है कि बिना वृत्तिक अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण वाले अथवा कार्य में बिना पिछले अनुभव वाले व्यक्तियों की संख्या चालू रजिस्टर की संख्या का ६८.८ प्रतिशत है। रोजगार की संभावनाओं के संबंध में निरन्तर अध्ययन किया जा रहा है। हम बस इतना ही उत्तर दे सकते हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** उन बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने तृतीय श्रेणी प्राप्त की है और जिनका नाम चालू रजिस्टर में एक वर्ष से अधिक से चल रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह उत्तर देना तो कठिन होगा।

†**श्री महेश्वर नायक :** काम-दिलाऊ दफ्तरों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टरों के अतिरिक्त क्या सरकार के पास देश में व्यापक बेरोजगारी को आंकने का और कोई साधन है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : हम निरन्तर इसका अध्ययन करते रहते हैं। भिन्न प्रवर्गों के सम्बन्ध में सर्वदा ही एक लेखाचित्र (ग्राफ़) तैयार किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शा० ना० चतुर्वेदी :** क्या पंजीकृत व्यक्तियों में से नौकरी दिलाये जाने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या में कोई वृद्धि या सुधार हुआ है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** प्रतिशत संख्या मैंने पहले ही बता दी है। कुल मिला कर प्रत्येक प्रवर्ग में सुधार हुआ है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस तरीके से सरकार हर एक काम में मैजारिटी को मान्यता देती है तो क्या वह सर्विसेज़ में भी थर्ड डिवीज़नर्स को मान्यता देने को तैयार है ?

अध्यक्ष महोदय : मुहम्मद इलियास ।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** सरकारी क्षेत्र में कितने प्रतिशत भरती काम-दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से की जाती है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** यह एक लम्बी सूची है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि संभव हो तो वह प्रतिशत संख्या बता सकते हैं ।]

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नंदा) :** यह उत्तर दिया जा सकता है; परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दिला सकता हूं कि उन आवश्यकताओं में से अधिकांश की पूर्ति काम-दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से ही की जाती है।

†**श्री विश्राम प्रसाद :** क्या यह सच है कि काम-दिलाऊ दफ्तर दिखावे के लिये लोगों का पंजीकरण करने और उनको आगे भेजने का एक दफ्तर है और अधिकारीगण अपने पसन्द के अनुसार ही अभ्यर्थियों को चुनते हैं तथा उनकी योग्यताओं तथा श्रेणियों पर विचार नहीं किया जाता ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** जहां तक आलोचना का सम्बन्ध है, मैंने सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की स्थिति पहले ही बता दी है। यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई बाध्यता नहीं है ; वे अपनी पसंद का व्यक्ति रख सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उनकी बात यह है कि चयन योग्यता के आधार पर नहीं किया जाता अपितु अन्य बातों के आधार पर किया जाता है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** यह हो सकता है, क्योंकि वहां कुछ भी अनिवार्य नहीं है ; मैं नहीं जानता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अकेले गैर-सरकारी क्षेत्र में ही नहीं अपितु सभी क्षेत्रों में ।

†**श्री नन्दा :** जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, रिक्तस्थानों की अधिसूचना देना अनिवार्य है और इसलिए मालिक अपनी आवश्यकताओं की सूचना काम-दिलाऊ दफ्तरों को भेजते हैं, परन्तु किसी व्यक्ति को भरती करने के लिये पसंद करने के सम्बन्ध में कुछ भी अनिवार्य नहीं है। सरकारी क्षेत्र में निश्चय ही हमारा अधिक नियंत्रण है और लगभग सभी रिक्त स्थानों की सूचना भेजी जाती है और काम-दिलाऊ दफ्तरों द्वारा अभ्यर्थी भेजे जाते हैं। उनकी अवहेलना करना एक सामान्य बात नहीं होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र की बात नहीं है प्रश्न में काम दिलाऊ दफ्तरों के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था कि जब भरती की जाती है तो वह योग्यताओं के आधार पर नहीं की जाती अपितु अन्य बातों के आधार पर की जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में]

†**श्री नन्दा** : यह काम-दिलाऊ दफ्तरों पर आक्षेप नहीं है परन्तु उन व्यक्तियों पर है जो अन्त में इन अभ्यर्थियों को चुनते हैं। जहां तक कामदिलाऊ दफ्तरों का संबंध है, सावधानियां बरती जाती हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु नाम तो पहले काम-दिलाऊ दफ्तरों द्वारा ही भेजे जाते हैं।

†**श्री नन्दा** : यह देखने के लिए एक साधन है कि भेजे जाने वाले नाम कुछ सिद्धान्तों के अनुसार चुने जाते हैं। इस पर निगरानी रखने के लिए सलाहकार समितियां हैं ताकि न्याय का दुरुपयोग न हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे क्षमा किया जाये, सीधा उत्तर होता 'नहीं'। बस इतनी सी बात है।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या, केवल रोज़गार में वृद्धि दिखाने के लिए ही, काम-दिलाऊ दफ्तरों द्वारा अदक्ष श्रेणियों में भी रोजगार दिलाये गये व्यक्तियों को मंजूरी की अवधि समाप्त होने पर नौकरी से निकाल दिया जाता है और भविष्य में रिक्त स्थानों के निकलने पर बिना उनकी अन्तिम अवधि को ध्यान में रखे हुए नये व्यक्तियों को नौकरी पर रख लिया जाता है ? सरकारी उपक्रमों में भी जैसे कि भिलाई स्टील प्लान्ट में, अदक्ष श्रेणियों की नौकरियों में भी, मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों को अवसर नहीं दिया गया है। और बाहर से व्यक्ति लाये गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : किन्हीं अकेले उपक्रमों के विषय में न कहा जाय। आम प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : एक नियमित प्रणाली है। उनके लिये संस्थायें निर्धारित की जाती हैं, उन्हें पंजीकृत किया जाता है। जैसाकि माननीय मंत्री ने बताया है एक सलाहकार समिति है। इस से अधिक कुछ नहीं है।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या माननीय श्रम मंत्री उन नियोजकों पर नियंत्रण रखेंगे जो कि लोगों को दो अथवा तीन महीने नौकरी दे कर फिर नये लोगों को बुलाते हैं, और यह देखेंगे कि यह रीति समाप्त कर दी जाती है। यह एक ढकोसला है ; यह यह दिखाने के लिये है कि अधिक रोजगार लग रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सुझाव पर विचार किया जायेगा।

†**श्री प्रिय गुप्त** : मध्य प्रदेश के बारे में क्या है, भिलाई .

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

†**श्री बीनेन भट्टाचार्य** : क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की उपक्रमों में प्रविधिक कर्मचारियों की कमी है और इसके होते हुए भी ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्हों ने दो अथवा तीन वर्ष पहले अपने नाम पंजीकृत कराये थे और उन्हें उन रिक्त स्थानों पर रखने के लिए अभी तक नहीं बुलाया गया है ?

†**श्री नन्दा** : उत्तर सीधा साधा है। जो व्यक्ति नौकरी में लगने के लिए अपना नाम दे रहे हैं वे उन नौकरियों में लगने के लिये उपयुक्त नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांगों में भारतीय सेना कर्मचारी

+

†*५५६. श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री गोकर्ण प्रसाद :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री प्र० के० देव :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री गो० महन्ती :
श्री कृष्णदेव त्रिपाठी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगों में संयुक्त राष्ट्र की सैनिक कार्यवाही में कितने भारतीय सैनिक मारे गये ;

(ख) वहां मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को कितना प्रतिकर दिया गया ;

(ग) क्या यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जायेगा या स्वयं भारत देगा ; और

(घ) संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कार्य करने वाले हमारे सेना कर्मचारियों का पहला दल संयुक्त राष्ट्र के वायदे के अनुसार कब आ रहा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) कांगो में संयुक्त राष्ट्र की सैनिक कार्यवाही में भारतीय सशस्त्र सेना के २४ कर्मचारी मारे गए थे । इसके अतिरिक्त १२ अन्य कारणों से मारे गए थे ।

(ख) मृतकों के आश्रितों को परिवार विशेष निवृत्ति-वेतन, परिवार उपदान और/अथवा बाल भत्ता के रूप में प्रतिकर दिया जाता है । दो विवरण सभा-पटल पर रख दिए गए हैं जिन में दी हुई धन-राशि दिखाई गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०१०२७/६३**] ।

(ग) विद्यमान व्यवस्था के अनुसार, हमारे नियमों के अन्तर्गत पहले पहले यह सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है । बाद में प्रतिपूर्ति के लिये संयुक्त राष्ट्र को दावा भेजदिया जाता है ; और

(घ) २२५ व्यक्तियों का पहला दल दो बार में वायुयानों द्वार ।१ तथा ५ मार्च, १९६३ को दिल्ली पहुंच गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ और भी सैनिक आ गये हैं ।

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : जी, हां ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारा सब मिलेटरी पर्सोनल वापिस आ गयाहै या वहां कुछ बाकी भी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दा० रा० चह्वाण** : उन में से कुछ आ गये हैं। उन के यहां पहुंचने का कार्यक्रम मैं बताऊंगा। जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं, संयुक्त राष्ट्र के भारतीय स्वतंत्र ब्रिगेड में से २२५ सैनिकों का एक अग्रिम दल दो बार में वायुयानों द्वारा १ तथा ५ मार्च, १९६३ को दिल्ली पहुंचा था। भारतीय स्वतंत्र ब्रिगेड के २२७९ सैनिकों का दूसरा दल २४ मार्च, १९६३ को बम्बई में समुद्र द्वारा पहुंचेगा।

†**कुछ माननीय सदस्य** : पहुंचेगा ?

†**श्री दा० रा० चह्वाण** : वे पहुंच चुके हैं। भारतीय स्वतंत्र ब्रिगेड दल में से २०८२ और ब्रिगेड के बाहर के यूनिटों में से ६० सैनिकों का तीसरा दल बम्बई में ३१ मार्च, १९६३ को पहुंचेगा। भारतीय स्वतंत्र ब्रिगेड दल में १८ और ब्रिगेड के बाहर के यूनिटों में से ४५९ सैनिकों का चौथा दल १९ अप्रैल, १९६३ को बम्बई पहुंचेगा।

श्री यशपाल सिंह : जो लोग आये हैं उनकी सीन्यारिटी के लिये क्या क्राइटेरियन रहेगा, किस तरीक़े से यह सीनियर माने जायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो एक बिलकुल ही भिन्न प्रश्न है ?

†**श्रीमती सावित्री निगम** : विवरण में यह बताया गया है कि जबकि श्री सलारिया के पिता को सेवा निवृत्ति-वेतन के रूप में १२० रुपये प्रति मास दिये गये हैं, श्री महावीर थापा के बच्चों व उनकी स्त्री को केवल २४ रुपये दिये गये हैं। इस भेदभाव का क्या कारण है ? क्या भेदभाव इस कारण से है कि श्री सलारिया के सम्बन्धी अधिक दबाव डाल सकते थे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : यह दिये जाने वाले भत्ते की किस्म पर निर्भर करता है। बच्चों को दिये जाने वाला भत्ता पिता को दिए जाने वाले भत्ते से भिन्न है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : पत्नी को चौबीस रुपये मिल रहे हैं, पत्नी और बच्चे मिलाकर...

†**अध्यक्ष महोदय** : अब वह तर्क कर रही हैं। यदि वह किन्ही विशेष व्यक्तियों के संबंध में कुछ विशेष प्रश्न पूछना चाहती हैं, तो वह अभी मंत्री महोदय को लिख सकती हैं अथवा उन से मिल सकती हैं।

†**श्री डी० चं० शर्मा** : विवरण से मुझे पता चलता है कि अनेक व्यक्ति हृदय गति रुक जाने के कारण मरे थे। क्या भारत छोड़ने से पहले ही उन को हृदय रोग प्रायः हो जाया करता था अथवा कांगो की जलवायु में कुछ ऐसी बात थी जिसके कारण वे उस रोग से ग्रस्त हुए ?

†**श्री रघुरामैया** : मेरा विचार है कि किसी विशेष जलवायु के कारण यह रोग नहीं होता। तुरन्त ही यह बताना तो कठिन होगा कि यह बीमारी उन्हें पहले भी थी अथवा नहीं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : हमारी सेनाओं को कांगो भेजने में कुल कितना धन व्यय हुआ। तथा युद्ध-उपकरणों, वायुयानों और अन्य सैनिक सामग्री के रूप में भारत को कुल कितने रुपये की हानि हुई।

†**श्री दा० रा० चह्वाण** : एक अलग प्रश्न की सूचना मुझे दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ।

श्रीमती सावित्री निगम उठीं—

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीया सदस्या को पहले ही अवसर मिल चुका है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और उत्तर स्पष्ट नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी कठिनाई यह है कि मैं उन्हें एक से अधिक पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकूंगा । इसलिए, वह पुनः खड़ी न हों ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : उत्तर स्पष्ट नहीं दिया गया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि कांगो में संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों की सक्रिय कार्यवाही समाप्त हो गई है परन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि उन्हें वहां से तुरन्त वापस बुला लिया जाय और यदि हां, तो क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हम से कहा है कि हम कांगो में अपनी सेनाओं के एक भाग को रहने दें ?

†**श्री दा० रा० चह्वाण** : जी, हां .

†**अध्यक्ष महोदय** : जिस भाग का उत्तर दिया जाना है वह प्रश्न के अन्तिम कुछ शब्दों में ही कहा गया है ।

†**श्री दा० रा० चह्वाण** : मैं सैनिकों की संख्या बता सकता हूं .

†**श्री हेम बरुआ** : शेष प्रश्न के बारे में क्या होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने अब भी वहां हमारी कुछ सेनायें छोड़ देने के लिये कहा है ?

†**श्री रघुरमैया** : मैं यह कह सकता हूं कि जब मेरे सहयोगी द्वारा उल्लिखित समस्त सैनिक दल वापस आ जाते हैं, तो जो सैनिक वहां रह जायेंगे वे सैनिक अस्पतालों, संकेत (सिगनल्स) और संभरण यूनिटों के होंगे । शेष सभी वापस आ गये हैं अथवा आ जायेंगे ?

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि मैंने अपने प्रश्न की प्रस्तावना इस ढंग से इसलिय की थी क्योंकि मैं और अधिक अच्छा उत्तर चाहता था ? विशेष रूप से, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये क्या हमने उन्हें यह बताया है कि इस देश की भारी मांगों के कारण और जैसा कि उन्होंने कहा है कि कांगो में संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं की सक्रिय कार्यवाही समाप्त हो गई है इस कारण भी हम अपनी समस्त सेनाओं को वापस मंगाना चाहते हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य को इस प्रश्न को पूछने में जो जोर दिया है उसके बावजूद भी मैं इस प्रश्न को नहीं समझा हूं । हम महासचिव से एक लम्बी अवधि से पत्र-व्यवहार करते रहे हैं और उन्होंने हमारी सेनाओं को वापस आने की अनुमति दे दी है और जैसा कि अभी बताया गया है कुछ संभरण, अस्पताल तथा संकेतों (सिगनल्स) की यूनिटों के अतिरिक्त हमने सभी को वापस बुला लिया है ।

श्री रा० स० तिवारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो भारतीय सैनिक कर्मचारी वापस आये हैं, उनको वापस बुलाया गया है या चूंकि वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ का काम पूरा हो चुका है, इसलिये इनको वापस भेज दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में अभी तक बहुत कुछ कहा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेशनल वालंटियर फोर्स

+

*५५७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती ।
श्री हेडा :
श्री मि० सू० मूर्ति :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २१ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल वालंटियर फोर्स की जो नई योजना विचाराधीन थी, उसको अन्तिम रूप देने और शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) उसके बारे में कब तक निर्णय हो जाने की आशा की जाती है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) तथा (ख). नेशनल वालंटियर राईफल्ज की रचना का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

चूंकि कई महत्वपूर्ण पहलुओं का सावधानी से निरीक्षण करना आवश्यक है, अन्तिम निर्णय में कुछ अधिक समय लगने की संभावना है ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में "सम इम्पार्टेंट एस्पेक्ट्स" का उल्लेख किया है । क्या वह उन महत्वपूर्ण बातों पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

†**श्री दा० रा० चह्वाण** : महत्वपूर्ण पहलू ये हैं : योजनाओं की आत्म संवृद्धि को रोकने की आवश्यकता, राष्ट्रीय वालंटियर राइफल्स का प्रादेशिक सेना में भरती पर प्रभाव और राष्ट्रीय वालंटियर राइफल्स के उद्देश्यों को होम गार्ड योजना से पूरा करने की संभाव्यता तथा सेना के पास प्रशिक्षण साधनों एवं सामान की उपलब्धि ।

†**श्री त्यागी** : सरकार को इस महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में अपना निश्चय बनाने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री दा० रा० चह्वाण** : कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है ।

†**श्री त्यागी** : उनके बारे में कितनी देर तक विचार होता रहेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : मेरे लिये कोई निश्चित तिथि बतलाना कठिन है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री त्यागी को अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् इस प्रश्न के दूसरे खंड का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि चूंकि यह फोर्स इमरजैंसी, संकटकाल के कारण बनाई जा रही है, तो फिर इस के बारे में देर से देर कब तक निर्णय हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुरामैया** : आपातकाल के कारण ऐसा सोचा गया है। बहुत ऊंचे स्तर पर इस पर विचार किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही निर्णय कर लिया जायेगा।

†**श्री त्यागी** : अन्तिम निर्णय करने में दिक्कत क्या है ? कौन सा मुख्य प्रश्न विचाराधीन है ?

†**श्री रघुरामैया** : जैसा मेरे साथी ने बताया है हमें उसी उद्देश्य को होम गार्ड से पूरा करने की संभावना को ध्यान में रखना है, तब हम प्रादेशिक सेना पर इसके परिणाम का विचार करेंगे फिर हमें विविध अन्य पहलुओं तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धि का भी विचार करना है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : चूंकि आपातकाल के पिछले छः महीनों में सरकार इस मामले में फैसला नहीं कर सकी थी, क्या उन्होंने योजना को समाप्त करने का अन्तिम रूप से फैसला कर लिया है ?

†**श्री त्यागी** : हां, यह उत्तम है।

†**श्री रघुरामैया** : हम इस मामले में गृह कार्य मंत्रालय के साथ परामर्श कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि प्रशिक्षण बन्द हो गया है। प्रश्न यह है कि क्या हमें एक और योजना चलानी है। इस बात की जांच की जा रही है।

श्री यशपाल सिंह : सरकार ने जो यह योजना बनाई है, इसके मातहत रिक्रूटमेंट के लिए कम से कम और ज्यादा क्या एज लिमिट रखी गई है ?

†**श्री रघुरामैया** : जैसा मैंने बताया, ये सब बातें भरती की आयु आदि इसी के अंग हैं और देखना यह है कि दोहरा कार्य न होने पाये।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : क्या सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय के आदेशों के अधीन बनाये गये ग्राम वालंटियर फोर्स को सैनिक प्रशिक्षण दिया जायेगा या उनकी सेवाओं का उपयोग केवल असैनिक प्रतिरक्षा कार्यों के लिये ही किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर वह मंत्रालय ही दे सकता है। क्या मा० मंत्री इसका उत्तर देना चाहते हैं ?—नहीं।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं यह जानना चाहूंगा कि संकटकालीन स्थिति से पहले भारतवर्ष की सेना कितनी थी, अब तक कितनी और भर्ती की जा चुकी है और आगे कितनी और भर्ती की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल इस समय नहीं पूछा जा सकता है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जब लोक सहायक सेना की योजना पहले से मौजूद है और टैरिटोरियल आर्मी भी पहले से मौजूद है, तो फिर कौनसे विशेष कारण थे, जिन के आधार पर इस नैशनल वालन्टीयर फोर्स को स्थापित किया जा रहा है ?

†**श्री रघुरामैया** : सरकार का उद्देश्य अधिकाधिक लोगों को सैनिक प्रशिक्षण देना है। अतः समय समय पर सरकार यह विचार करती है कि क्या यह पर्याप्त है या क्या हमें विविध योजनाओं के अधीन अधिक लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या राष्ट्रीय वालंटियर फोर्स अस्थायी सेना के रूप में खड़ी की जायेगी ? क्या यह सैनिक अधिकारियों के अधीन होगी या केवल स्वयंसेवी दल होगा जो प्रायः वही काम करेगा जैसा भारत सेवक समाज कर रहा है, क्या इसमें सैनिक पहलू होगा या केवल सेना से भिन्न पहलू ?

†**श्री रघुरामैया :** निस्सन्देह यह सैनिक प्रशिक्षण के लिये है और सैनिक पहलू होगा। किन्तु चूंकि अभी इसे अन्तिम रूप प्राप्त नहीं हुआ, मेरे लिये इसका उत्तर देना कठिन है।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख :** क्या स्त्रियों को आरम्भ से ही राष्ट्रीय वालंटियर बल क्षेत्र से पृथक रखने का विचार है ?

†**श्री रघुरामैया :** समूची योजना विचाराधीन है।

श्री पें० वेंकटा सुब्बैया : क्या हमने इस राष्ट्रीय बल को बांटने के लिये राइफलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह भिन्न बात है।

प्रेस परिषद्

+
†*५६०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री बेरवा कोटा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री महेश्वर नायक :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस परिषद् का गठन करने में कितनी प्रगति हुई हैं ; और

(ख) क्या श्रमजीवी पत्रकारों ने प्रेस परामर्शदात्री समिति में सम्मिलित न होने के अपने पूर्व निश्चय को बदल दिया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) :** (क) प्रेस परिषद् की स्थापना का प्रश्न मंत्रणा के लिये प्रेस सलाहकार समिति को भेजा गया था। समिति ने राज्य सभा द्वारा पारित रूप में प्रेस परिषद् विधेयक की परीक्षा करने तथा विधेयक के उपबन्ध में जिन रूपभेदों को आवश्यक समझा जाये, उनके बारे में उचित सिफारिशें करने के लिये अपने सदस्यों की एक उप-समिति बनाई। उपसमिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया था, जिस पर प्रेस सलाहकार समिति ९ अप्रैल, १९६३ को नई दिल्ली में अपनी आगामी बैठक में विचार करेगी।

(ख) विशिष्ट रूप में यह उल्लेख किये बिना, कि प्रेस सलाहकार समिति के बारे में उनका क्या रुख है, उन्होंने सरकार के साथ सहकार की प्रतिज्ञा की।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों द्वारा अनुभूत कठिनाइयों की जांच की है और क्या उन्होंने कोई नई योजना का सुझाव दिया है, ताकि वे इस सलाहकार समिति में शामिल हो सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शामनाथ** : जहां तक प्रेस सलाहकार समिति का संबंध है, उन्हें कुछ स्थान दिये गये थे। किन्तु उन्होंने शामिल होना स्वीकार नहीं किया और तब उन्होंने पिछली फरवरी में एक संकल्प पारित किया जिसमें सरकार द्वारा परिषद् न बनाने के बारे में खेद प्रकट किया था। फिर भी उन्होंने कहा है कि वे अन्य सब चीजों में सहयोग देंगे, किन्तु प्रेस सलाहकार समिति के संबंध में वे इसमें शामिल होने को तैयार नहीं हैं।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह प्रेस परिषद् उद्योगपतियों द्वारा एकाधिकार नियंत्रण संबंधी समस्याओं और मालिकों का संपादकों पर प्रभाव के बारे में विचार करेगी ?

†**श्री शामनाथ** : प्रेस आयोग ने, इस प्रश्न पर विचार करने के उपरांत प्रेस परिषद् की स्थापना की सिफारिश की है और उन्होंने प्रेस परिषद के लिये जो उद्देश्य रखे थे उन में यह विशिष्ट कार्य भी शामिल था।

श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या सरकार को कुछ मालूम है कि इन्होंने सम्मिलित होने के अपने निश्चय को क्यों बदल लिया ?

†**श्री शामनाथ** : मैंने नहीं कहा कि उन्होंने अपना रुख बदल लिया है। उन्होंने यह कहा है कि वे अन्य सभी कार्यों में सरकार का साथ देंगे, किन्तु प्रेस सलाहकार समिति में वे शामिल होने को तैयार नहीं हैं।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : प्रेस कंसलटेटिव कमेटी की सब-कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्री शामनाथ**: उपसमिति ने बहुत बारीकी के साथ प्रेस परिषद् विधेयक पर विचार किया था और उन्होंने दस या बारह संशोधनों का सुझाव दिया है, जिनमें कुछ बड़े और कुछ छोटे हैं।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार इस विशिष्ट कठिनाई को दूर करने के लिये एक त्रिदलीय सम्मेलन आयोजित करने की संभावना का विचार करेगी, जैसा उन्होंने अन्य उद्योगों के बारे में किया है, ताकि वे प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंध बनाये रख सकें ?

†**श्री शामनाथ** : इस समय हम प्रेस परिषद् की स्थापना के बारे में विचार कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि यदि यह बन गई तो उद्देष्य पूरा हो जायेगा।

†**श्री रंगा** : यह बहुत देर से नहीं बनी।

†**श्री महेश्वर नायक** : प्रेस परिषद् में विभिन्न हितों के लोगों को किस प्रकार प्रतिनिधान दिया गया है।

†**श्री शामनाथ** : अभी अन्तिम रूप से फैसला नहीं किया गया। जब शोधित प्रेस परिषद् विधेयक यहाँ आयेगा मा० सदस्य अपने मत अभिव्यक्त कर सकते हैं। पिछले प्रेस परिषद् विधेयक पर राज्य सभा में विचार किया गया था और वह यहां आया था। इस बार यह अनिवार्य रूप में यहाँ आएगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि अब इस बारे में कोई देरी नहीं की जाएगी और जल्दी से जल्दी इस विधेयक को इस संसद् के सामने पेश कर दिया जाएगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शामनाथ : मैंने अभी कहा है कि नौ अप्रैल को जो प्रेस कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है, उस में सब-कमेटी की रिपोर्ट पर गौर किया जाएगा और उसके बाद जल्दी से जल्दी बिल को पालियामेंट में लाने की कोशिश की जायेगी।

†**श्री भागवत झा आजाद** : श्रमजीवी पत्रकारों ने इस प्रेस सलाहकार समिति में शामिल न होने के क्या कारण दिये हैं ? क्या सरकार ने उन कारणों की जांच कर ली है ?

†**श्री शामनाथ** : भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की मुख्य आपत्ति यह थी कि इस प्रकार की सलाहकार समिति साम्राज्यवाद का चिन्ह है और इससे वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। अतः वे इस समिति में शामिल नहीं होंगे।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें

+

†*५६१. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री हेडा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यवहन का कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सर्वेक्षण की मुख्य उपपत्तियाँ क्या हैं ; और

(ग) इन परियोजनाओं से तीसरी पंचवर्षीय योजना की कितनी आशायें पूरी हो जायेंगी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: (क) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा खनन समवायों को वित्तीय लक्ष्य पूर्ति का अध्ययन, जो वर्ष १९६१–६२ के उन के वार्षिक वित्तीय लेखाओं पर आधारित हैं, योजना आयोग में किया जा रहा है।

(ख) और (ग). इन परियोजनाओं से तीसरी योजना की आशाएं प्राप्ति की मात्रा समेत मुख्य विपत्तियाँ अध्ययन कार्य पूरा होने पर ही बताई जा सकती हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यहां अन्तिम रूप देने का काम किस स्तर पर हो रहा है और क्या केवल योजना आयोग के सदस्य इसके साथ संबन्धित हैं, या इस विषय को जानने वाले बाहर के लोग भी शामिल किये गये हैं ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : योजना आयोग का एक कक्ष इस बात का परीक्षण कर रहा है। इसका क्षेत्र यह है--संभवतः यह काफी व्यापक हो जायेगा--(क) राष्ट्रीय स्तर के लिये समवायों के साधनों की उपलब्धि, (ख) लगाई गई पूंजी पर आय की दर। (क) में ३१ केन्द्रीय सरकार के समवाय हैं और अन्य समवाय भी हैं। अध्ययन चल रहा है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इन समवायों का सभापति या प्रबंध निदेशक को कुछ निष्कर्षों पर पहुंचने के लिये इस में शामिल किया जाता है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : यह इन समवायों के अभिलेखा का प्रश्न है, और उनकी पुस्तकों से आँकड़े लेने का प्रश्न है। यह किसी सलाह का प्रश्न नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० चं० बरुग्रा : क्या कुछ विदेशी अध्ययन दलोंने सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंध के बारे में खेद प्रकट किया है और यदि हाँ, तो क्या उन की आपत्तियाँ भी समिति के निर्देश निबंधनों में शामिल होंगी ?

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : ऐसी बात का हमें पता नहीं।

†श्री मुरारका : क्या योजना आयोग अब भी यह आशा करता है कि वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से ४०० करोड़ रुपये तक जुटा सकेगा या पिछले दो वर्षों के कार्य को ध्यान में रखते हुये अपेक्षाओं में अन्तर किया गया है ?

†श्री नन्दा : अध्ययन करने के पश्चात् हम इस बात पर विचार करेंगे।

†श्री हरिशचन्द्र माथुर : संशोधनों का प्रश्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की मूल्य नीति से जोड़ा जायेगा। क्या मूल्य नीति निश्चित कर ली गई है और पिछले दो वर्षों में इसका क्या प्रभाव रहा है ?

†श्री नन्दा : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की मूल्य नीति विचाराधीन है।

†श्री रंगा : क्या सरकार शीघ्र ही सभा पटल पर एक विवरण रखेगी कि वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के संबंध में क्या कार्रवाई कर रहे हैं ?

†श्री नन्दा : उन्हें सूचना तथा उत्तर देने पड़ते हैं।

†श्री रंगा : किन्तु आपने बहुत समय लगा दिया है।

†श्री रामनाथन चेट्टियार : परीक्षण कितनी देर तक चलेगा और क्या रिपोर्ट की प्रति सभा-पटल पर रख दी जाएगी ?

†श्री नन्दा : हमें आशा है कि अप्रैल के अन्त तक यह आयोग के हाथों में होकर और तब इसे परीक्षण करने में कुछ समय लगेगा।

†श्री शं० ना० चतुर्वेदी : तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में उत्पादन में कितनी कमी हुई है और सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं से राजस्व के लिए वित्तीय अंशदान में कितनी कमी हुई है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से नहीं उठता।

आपातकालीन उत्पादन समितियां

†*५६२. { +श्री प्र० ना० विद्यालंकार : श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २० जनवरी, १९६३ को श्रम मंत्री द्वारा प्रसारित राष्ट्र के प्रति संदेश के अनुसार कितनी आपातकालीन उत्पादन समितियां बनाई गई हैं ;

(ख) ऐसी समितियां की रचना किस आधार पर निश्चत की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस मामले में गैर-सरकारी क्षेत्र के नियोजकों तथा कार्मिक संघों से भी परामर्श किया गया है ; और

(घ) ये समितियाँ संयुक्त प्रबंध परिषदों से किस रूप में भिन्न होंगी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) उपक्रम स्तर पर अब तक ३३६। अन्य निर्माण की स्थिति में ह ।

(ख) ये निकाय तदर्थ हैं और इस ढंग से स्थापित किये गये हैं ताकि वे उपक्रम स्तर पर अन्य निकायों से न टकरायें ।

(ग) बड़े उद्योगपतियों और कार्मिक संघों के नेताओं से परामर्श किया गया है ।

(घ) आपातकालीन उत्पादन समितियों का संबंध ऐसे विशिष्ट मामलों अर्थात् उत्पादन, उत्पादकता, लागत घटाने, अनुपस्थिति को घटाने, संयंत्र तथा उपकरण की मरम्मत आदि, बेकार क्षमता का आयोग अतिरिक्त पारियों का चलाना, छुट्टियों और रविवारों को काम या अतिरिक्त घंटों से संबंध है । संयुक्त प्रबंध परिषदों से परामर्ष प्रबंधकों द्वारा स्थायी आदेशों के सामान्य प्रशासन एवं संबंधित मामलों के बारे में किया जाता है और ये कल्याण कार्य तथा सुरक्षा उपायों और व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनाओं के संचालन आदि के लिये उत्तरदायी होते हैं । संयुक्त प्र ंध परिषदों को बहुत सी बातों के बारे में सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार होता है ।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या ये समितियाँ राज्य तथा केन्द्र दोनों जगह बनेंगी या प्रत्येक एकांश में भी होंगी ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : वे उपक्रमों में भी होंगी ।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** : चूंकि श्रम मंत्री ने आकाशवाणी से घोषणा की थी, क्या फैक्टरियों में या राज्यों में कोई समिति बनाई गई है ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : बनाई गई हैं और बनाई जा रही हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या माननीय मंत्री पिछले कुछ महीनों के काम के आधार पर बता सकते हैं, कि क्या इससे उत्पादन वृद्धि में योग मिला है ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : इस से उत्पादन वृद्धि में सहायता मिली है ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : क्या यह सच है नहीं है कि दूसरी योजना अवधि तथा तीसरी योजना के आपातकाल से पहली अवधि में सरकारी क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों अर्थात् कोयला खनन में उत्पादन, गैरसरकारी क्षेत्र को तुलना में, जहाँ उत्पादन लक्ष्य से बढ़ा था, लक्ष्य से कम रहा है, और यदि हाँ, तो क्या इन समितियों ने इस समस्या पर भी विचार किया है, और क्या परिणाम निकला है ? आपातकालीन अवधि में क्या सरकारी क्षेत्र में उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है ?

†**श्री नन्दा** : यह संगत प्रश्न नहीं है । आपातकालीन उत्पादन समितियाँ एकांशों में, सरकारी तथा गैरसरकारी दोनों क्षेत्रों में होंगी, और यह मालिकों तथा कार्मिक संगठनों के बीच हुए इस समझौते के अनुसार है, कि उत्पादन अधिकतम मात्रा तक बढ़ाया जाए और अभी हाल ही में ये समितियाँ बनाई गई हैं ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : क्या आपातकालीन उत्पादन समितियाँ उत्पादन नहीं बढ़ा सकतीं, तो इन समितियों का क्या उपयोग है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : समितियां अभी बनाई गई हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अब लगभग पांच महीने हो गये हैं । क्या वृद्धि के कुछ संकेत हैं ?

†**श्री नन्दा** : वे एक या दो महीने पहले ही बनाई गई थीं ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : अभी उपमंत्री ने बताया कि उत्पादन समितियां उत्पादन बढ़ाने के लिये अच्छा वातावरण पैदा करने का भी प्रयत्न करती हैं । क्या इन समितियों द्वारा उन फैक्टरियों में, जहां मालिक कार्मिक संघों को दबा रहे हैं, आपातकालीन स्थिति का लाभ उठा कर, क्या इन समितियों द्वारा कोई कार्रवाई की गई है ?

†**श्री नन्दा** : जहां हालात अच्छे हैं, आपातकालीन उत्पादन समितियां पहले स्थापित की जा रही हैं । आपातकाल के पश्चात् ही यह कार्यक्रम बनाया गया था ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि ये समितियां बुरी मशीनों, अनुपस्थिति की प्रवृत्ति, आदि बातों के परिणामों की भी जांच करेंगी । ये मुख्य शर्तें हैं जो संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के क्षेत्राधिकार में आती हैं । इस बात की दृष्टि से कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषदों की योजना वहां होती हैं, इन आपातकालीन उत्पादन समितियों की स्थापना का क्या लाभ है और इन तीन निकायों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध क्या है ?

†**श्री नन्दा** : संयुक्त प्रबन्ध परिषदें समूचे देश में केवल ५० उपक्रमों में हैं । आपातकालीन उत्पादन समिति हम यथासंभव सब जगह चाहते हैं ।

†**श्री काशीनाथ पांडे** : माननीय उपमंत्री ने अभी बताया है कि कार्मिक संघ कार्यकर्ताओं और संगठनों से भी परामर्श किया जाता है, क्या समितियों के साथ उनको जोड़ा गया है और यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी समझते हैं कि उनको कार्यकर्ताओं का पूर्व सहयोग प्राप्त होगा ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : मालिकों और कार्यकर्ताओं दोनों को सलाह के लिये बुलाया जाता है।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल के कैडटों को राइफल प्रशिक्षण

†*५६३. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से ऐसी बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुईं कि राष्ट्रीय सेना छात्र दल के कैडटों के राइफल प्रशिक्षण में भारी रुकावट आ गई है क्योंकि प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त संख्या में राइफल उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) राष्ट्रीय सेना छात्र दल के समस्त कैडटों को राइफल प्रशिक्षण देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)** : (क) जी नहीं ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कालेजों/विश्वविद्यालयों में ४ लाख से जुलाई १९६३ में ८ लाख तक अचानक विस्तार हो जाने से संगठन के पास जो ड्रिल कार्य वाली खाली निशाने वाली राइफलें समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को

†मूल अंग्रेजी में

करने के लिये पर्याप्त नही हैं । क्योंकि राष्ट्रीय छात्र सेना को अधिक डी० पी० वी० एफ० राइफलें देना सम्भव नही है, प्रशिक्षण कार्य को क्षति न पहुंचे इसलिये निम्न उपाय किये जा रहे हैं :—

(१) ये डी० पी० वी० एफ० राइफलें १० कैडिटों के लिये १ के अनुपात में राज्यों में समान रूप से बांटी जा रही हैं। ये शस्त्र प्रशिक्षण तथा क्षेत्रीय कुशलता का प्रशिक्षण देने के काम आयेंगी ।

(२) देश में २·५ लाख दिखावटी राइफलें प्राप्त करने का प्रबन्ध किया जा रहा है, जो भार में वास्तविक राइफलों के समान होंगी और ड्रिल करवाने तथा अभ्यास कराने के लिये ठीक समझी जाती हैं ।

(३) विविध कालेजों तथा विश्वविद्यालयों की चार दीवारी के अन्दर अल्प दूरी की रेंजें बनाई जा रही हैं ।

(४) ड्रिल, क्षेत्रीय कुशलता, मानचित्र पढ़ना, शस्त्र प्रशिक्षण आदि विविध विषयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लम्बा किया जायेगा, ताकि उतनी ही राइफलों से अधिक संख्या में छात्र सेना को प्रशिक्षित किया जा सके ।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** : इस विवरण की पहली कंडिका के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि आपातकाल के कारण छात्र सेना की संख्या बढ़ाने से पहले भी राइफलों की कमी अनुभव की जा रही थी ?

†**श्री वा० रा० चह्वाण** : जी हां ।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने अनुमति प्राप्त होने पर अधिकाधिक संख्या में राइफलें बनाने की पेशकश की थी और यदि हां, तो उस के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि समस्त आवश्यकता पूरी की जाये और पंजाब सरकार की इस प्रार्थना पर भी समूची आवश्यकता को ध्यान में रख कर विचार करना है और यह सोचना है कि क्या इसे वर्तमान साधनों से पूरा किया जा सकता है या आयात करना पड़ेगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : यद्यपि राष्ट्रीय छात्र सेना की वर्तमान संख्या के सम्बन्ध में राइफलों की कोई कठिनाई, क्या यह सच नहीं कि जब संकट काल के कारण, विविध दस्तों में संख्या बढ़ाने के लिये योजनाएं बनाई जा रही हैं, कठिनाइयां अनुभव होती हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : सभा पटल पर रखे गये पत्र में यह सूचना दी गई है ।

श्री ओंकारलाल बेरवा कोटा : मैं जानना चाहूंगा कि अब तक कितनी स्टेट्स के अन्दर प्रशिक्षण केन्द्रों में राइफलें नही पहुंची हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : कमी सब चीजों की हैं ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं जानना चाहता हूं कि जितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन सब को सेना में प्रविष्ट किया जायेगा या उन की अपनी इच्छा पर उन को छोड़ दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : कितने विद्यार्थियों को यह प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रघुरामैया : विवरण में इस का स्पष्टीकरण किया गया है।

श्री रामेश्वानन्द : हमें हिन्दी में उत्तर दे दिया जाय।

†अध्यक्ष महोदय : यहां पर जो बयान रखा गया है, उस में सब कुछ लिखा हुआ है आप उसे पढ़ लें।

तिब्बती शरणार्थी

†*५६४. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० के० देव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही सीमा पार करके बहुत से तिब्बती शरणार्थी के रूप में भारत आये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रश्न पर भारत सरकार का क्या रवैया है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) हाल ही में कुछ तिब्बती शरणार्थी भारत में आये हैं।

(ख) भारत सरकार शरणार्थियों के आगमन को प्रोत्साहन नहीं देती।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि लगभग २००० तिब्बती शरणार्थी दिल्ली में लाये गये थे जबकि यहां उनके ठहरने के लिये कोई समुचित व्यवस्था भी नहीं की गई थी ?

†श्री दिनेश सिंह : जी नहीं, तिब्बती शरणार्थी दिल्ली नहीं लाये गये। कुछ शरणार्थी दिल्ली आ गये थे, किन्तु उन्हें अन्य स्थानों पर भेज दिया गया है ?

†श्रीमती सावित्री निगम : उन के बच्चों की पढ़ाई के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ? क्या उन को ठीक स्कूलों में दाखिल किया गया है या नहीं ?

†श्री दिनेश सिंह : उन के लिये कुछ विशेष स्कूल चलाये जा रहे हैं, और काफी बच्चों को पढ़ाई की सुविधायें प्रदान की गई हैं। मैं यह बताने में असमर्थ हूं कि कितने लोगों के लिये प्रबन्ध किया गया है और कितनों के लिये नहीं।

†श्री महेश्वर नायक : क्या माननीय मंत्री बता सकते हैं कि कितने तिब्बती शरणार्थी आये हैं और तिब्बती शरणार्थियों के भेष में चीनी जासूसों के आने को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†श्री दिनेश सिंह : आवश्यक छान बीन की जाती है और हम इस के लिये पूर्वोपाय करते हैं।

†श्री दी० चं० शर्मा : कितने शरणार्थी सिक्किम, भूटान तथा अन्य मार्गों से आये हैं ? क्या सरकार के पास इसके आंकड़े हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दिनेश सिंह : अधिकांश शरणार्थी सिक्किम और भूटान के रास्ते नहीं आये । जो शरणार्थी वहां आये, वे अधिकतर वहीं पर हैं । कुछ शरणार्थी नेपाल से भी आये हैं ।

श्री यशपाल सिंह : जब कि दलाई लामा ने कांस्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया है और उन की इन्डेपेन्डेन्ट स्टेट बन गई है तो सरकार उन को स्वतन्त्र नागरिक बनने के लिये वहां क्यों नहीं भेजती ? या कि सरकार उन्हें यहीं बसाना चाहती है ? इस बारे में सरकार की नीति क्या है?

†अध्यक्ष महोदय : यह नीति की बात है ।

†श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान हाल ही में काश्मीर विधान सभा में लगाये गये आरोपों की ओर ले जाया गया है कि चीनियों ने उस राज्य में तिब्बती शरणार्थियो में कुछ जासूस बनाये हैं और यदि हां, तो सरकार ने जम्मू व काश्मीर के उन आगे के क्षेत्रों में चीनी जासूसों को पकड़ने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†श्री दिनेश सिंह : जैसा मैं ने पहले बताया, उन की हमेशा छानबीन की जाती है । उनकी जांच करने के लिये एक समिति बनी हुई है ।

†अध्यक्ष महोदय : वह तो नये लोगों के लिये है । पहले आये हुए लोगों के बारे में स्थिति क्या है ?

†श्री दिनेश सिंह : उन की जांच हमारे गुप्तचर विभाग द्वारा की जाती है ।

†श्री हरिविष्णु कामत : क्या यह विश्वास करने का कोई कारण है कि नेफा और लद्दाख पर चीनियों के भयंकर आक्रमण के दौरान बहुत से तिब्बती लोग चीनी सेनाओं के साथ आये और तभी से उन क्षेत्रों में शरणार्थियों के रूप में ठहरे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : क्या माननीय सदस्य सैनिक लोगों का उल्लेख कर रहे हैं या असैनिक लोगों का ?

†श्री हरिविष्णु कामत : जो तिब्बती असैनिक चीनी सेनाओं के साथ आये और पीछे शरणार्थी के रूप में ठहर गये—यथार्थ में वे चीनी गुप्तचर हैं ?

†श्री दिनेश सिंह : चीनी आक्रमण शुरू होने के बाद कुछ शरणार्थी आये हैं । मैं इस समय यह बताने में असमर्थ हूं । किन्तु मैं नहीं समझता कि कुछ शरणार्थी आये और पीछे ठहर गये ।

†अध्यक्ष महोदय : वह कृपया काश्मीर विधान सभा में हुई वाद-विवाद की जांच करें ।

सूरतगढ़ क्षेत्र में बमों का गुम हो जाना

+

*५६५. { श्री प० ला० बारूपाल :
श्री बाल्मीकि :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में सूरतगढ़ क्षेत्र में कुछ समय पहले सैनिकों से कुछ बम गुम हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो वे बम किस प्रकार के थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो वह बम कौन सा था जिसके बारे में यह बताया गया था कि गत ७ जनवरी को उसके फटने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)** : (क) से (ग). उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

७ जनवरी, १९६३ को प्रातः लगभग ८–३० बजे सूरतगढ़ नगर के समीप एक विस्फोट हुआ जिसमें तीन व्यक्ति मर गये । असैनिक पुलिस के प्रतिवेदन के अनुसार दुर्घटना स्थल से २" मार्टर के छोटे-छोटे टुकड़े पाये गये थे । प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि विस्फोट कदाचित एक 'अंध' बम से हुआ था जो कि १९५१ में कभी राज्य सेना यूनिटों की चांदमारी की समाप्ति पर छुपा रह गया था । अग्रेतर जांच हो रही है ।

श्री प० ला० बारूपाल : मेरा प्रश्न तो हिन्दी में था ।

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर एक बयान रख दिया गया है ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न हिन्दी में पूछा जाय उस का उत्तर तो हिन्दी में ही देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं ने यह कहा हुआ है कि जब हिन्दी में जवाब दिया जाय कि सभा पटल पर एक बयान रक्खा जाता है तो उस की अंग्रेजी की जरूरत नहीं है उसी तरह से अगर यह कहा जाये कि 'ए स्टेटमेंट इज लेड आन दि टेबल" तो उस की हिन्दी करने की भी जरूरत नहीं है ।

श्री प० ला० बारूपाल : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मृतकों को कोई मुआवजा देने पर विचार किया जा रहा है ? यह बात इसमें नहीं है ।

†**श्री दा० रा० चह्वाण** : जांच के प्रतिवेदन के मिलने के बाद राजस्व प्राधिकारियों के साथ परामर्श कर के प्रतिकर के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह हिन्दी में उत्तर दे सकते हों तो अधिक अच्छा होगा ।

श्री दा० रा० चह्वाण : कम्पेन्सेशन का सवाल विचाराधीन है और सम्बन्धित अधिकारियों से रिपोर्ट आने पर रेवेन्यू आथारिटीज से उस के बारे में बातचीत की जायेगी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में लिखा है :

> "प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि विस्फोट कदाचित एक 'अंध' बम से हुआ था जो कि १९५१ में कभी राज्य सेना यूनिटों की चांदमारी की समाप्ति पर छुपा रह गया था ।"

क्या मैं जान सकता हूं कि 'अंध' बम वास्तव में क्या होता है ? साफ (क्लीन) बम, सुरक्षित (सेफ) बम और ऐसे बमों की बात तो सुनी है परन्तु अंध बम क्या होता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा बम जो उस समय सक्रिय नहीं होता ; ऐसा बम जो उस समय नहीं फटता ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : तब तो यह 'मूक' बम हुआ, 'अंध' बम नहीं। जब बम देख नहीं सकता तो वह 'अन्धा' कैसे हो सकता है ? उत्तर क्या है ? हमें उत्तर दीजिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) :** कुछ वर्ष पूर्व चांदमारी हुई थी और तीन गोले नहीं फट पाए थे । बाद में, बहुत वर्षों के बाद, चेतावनी दिये जाने पर भी उन्हें कुछ छेड़ा गया और वह फट गये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** 'अंध' शब्द मिथ्या नाम है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** परन्तु यदि साधारणत: शब्द का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिये ।

†**श्री विश्राम प्रसाद :** सरकार ने सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध उसकी असावधानी के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यह अनुमान कैसे लगाते हैं कि अधिकारी असावधान था ?

परिवहन विमान

*५६६. **श्री कछवाय :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार युद्ध काल में सैनिक सामान के परिवहन के लिये विशेष प्रकार के विमान खरीदने के लिये राष्ट्रीय रक्षा कोष में से धन व्यय करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितने विमान खरीदे जायेंगे तथा उनकी कुल लागत क्या होगी ; और

(ग) इस धनराशि का भुगतान किस रूप में किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां । निर्णय किया गया है कि राष्ट्रीय रक्षा कोष में से २७ करोड़ रुपया परिवहन विमानों सहित फौजी साज-सामान खरीदने में व्यय किया जाये ।

(ख) सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

(ग) खरीद साधारण तरीकों से की जायेगी, और अदायगी डिफेन्स सर्विसिज एस्टीमेट्स से । इन कार्यों के लिये राष्ट्रीय रक्षा कोप से नियत की गई राशिएं, डिफेन्स सर्विसिज एस्टीमेट्स में, प्राप्तियों के तौर पर जमा की जायेंगी ।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या किन्हीं देशों से इस के लिये टेंडर मंगाने के लिये बातचीत की गयी है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : किस बात के टेंडर ?

अध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्य अपने सप्लीमेंटरी सवाल लिख कर लाते हैं इसलिये बहुत मश्किल होती है । सप्लीमेंटरी लिखा हुआ नहीं होना चाहिये । जब जवाब दिया जाये उसी वक्त सप्लीमेंटरी आना चाहिये । अगर लिखा हुआ होता है तो उसका सम्बन्ध जवाब से नहीं होता क्योंकि वह पहले ही लिख लिया गया है ।

---

†मूल अंग्रजी में

श्री कछवाय : क्या किन्हीं देशों से टेंडर मांगे गये हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : किस चीज के टेंडर ?

श्री कछवाय : हवाई जहाज खरीदने के टेंडर ।

अध्यक्ष महोदय : यह जवाब दिया गया कि कुछ हवाई जहाज खरीदे जायेंगे । सवाल यह है कि उनको खरीदने के लिये क्या टेंडर मांगे गये हैं या सीधी बातचीत हो रही है ।

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : इस प्रकार के फौजी साज-सामान को सामान्यतः संक्रिया आवश्यकताओं के अनुसार खरीदा जाता है ।

श्री कछवाय : इस के लिये किसी विशेष कम्पनी से बातचीत हुई है ?

†**श्री रघुरामैया** : वह तो स्वाभाविक ही है, जब हम कुछ खरीदते हैं तो सम्बन्धित लोगों से बातचीत करते ही हैं ।

†**श्री विश्राम प्रसाद**: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये एकत्रित किये गये इस रुपये को खर्च करने के बारे में मुख्य मंत्रियों को कोई निदेश जारी किया गया है और क्या जनता को बताया जायेगा कि मुख्य मंत्रियों ने रुपया कैसे खर्च किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे मुख्य मंत्रियों ने खर्च नहीं करना है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं । यह रुपया मुख्यालय में खर्च किया जाता है, मुख्य मंत्रियों द्वारा नहीं ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : मेरा अभिप्राय उस रुपये से है जो राज्यों में इकट्ठा किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह भी केन्द्रीय लेखे में डालना होता है । इस का अर्थ यह नहीं है कि मुख्य मंत्री इसे खर्चेंगे । अनुपूरक पूछने से पहले माननीय सदस्यों को प्रश्न को समझ लेना चाहिये क्योंकि कभी-कभी यह अच्छा नहीं लगता कि प्रश्न भली भांति सोचा समझा न गया हो । श्रीमती मुकर्जी ।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या मैं जान सकती हूं कि एवरो--७४८ जो कि अब कानपुर के वायुसेना डिपो में बना लिया गया है और जिसके बारे में माननीय प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री ने हमें आश्वासन दिलाया था कि वह अपेक्षित कार्य-सक्षमता स्तरों तक पहुंच गया है देश की वर्तमान परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं बनाया जा सकता है ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं नहीं समझता कि इस में से यह प्रश्न कैसे उठता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या एवरो भी यह प्रयोजन पूरा कर सकता है ?

†**श्री रघुरामैया** : एवरो का निर्माण कार्यक्रम और उपलब्ध क्षमता के अनुसार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पेकिंग को 'मैत्री यात्रा'

+

†*५६७. श्रीमती सावित्री निगम :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० के० देव :
श्री प्र० कु० घोष :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ व्यक्तियों का एक दल भारत से "मैत्री यात्रा" पर पेकिंग के लिये रवाना हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो दल में कौन-कौन लोग हैं (नाम तथा राष्ट्रीयता) तथा उनका कार्यक्रम क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उनको कोई पासपोर्ट दिये हैं ; और

(घ) क्या दल को कोई सरकारी समर्थन प्राप्त है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दल में कौन-कौन लोग हैं और उन का कार्यक्रम क्या है, यह दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) दल के भारतीय सदस्यों को भारतीय सरकार ने पासपोर्ट दिये हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

विवरण

नाम	राष्ट्रीयता
१. श्री शंकरराव देव	भारतीय
२. श्रीमती जानकी छारनेल	भारतीय
३. श्री त्रिपुरारी शरण	भारतीय
४. कुमारी तारा भागवत	भारतीय
५. श्री एस० आर० सुब्रामण्यम	भारतीय
६. श्री यू० एम० चन्द्रशेखर	भारतीय
७. श्री जवाहरलाल जैन	भारतीय
८. श्री मेक्स मेक्सवैल	ब्रिटिश
९. आदरणीय माइकेल स्काट	ब्रिटिश
१०. श्री एडवर्ड लाजर	अमरीकन

†मूल अंग्रेजी में

नाम	राष्ट्रीयता
११. श्री ग्रलबर्ट बिंगलो	ग्रमरीकन
१२. भिक्षु एन० शूगेई . . .	जापानी
१३. श्री जी० छारनेल	ग्रास्ट्रियन

दल १ मार्च, १९६३ को देहली से पेकिंग के लिये रवाना हुग्रा। पेकिंग तक की चार हजार मील की सारी यात्रा का पैदल किये जाने का विचार है। दल का जिस रास्ते से जाने का विचार है वह पूर्वी भारत, पूर्वी पाकिस्तान ग्रौर बर्मा के कुछ भागों में से हो कर जाता है। दल के सितम्बर, १९६४ में किसी समय पेकिंग पहुंच जाने की संभावना है क्योंकि यात्रा के पूर्ण होने में डेढ़ वर्ष लगने का ग्रनुमान है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : इस दल के बारे में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रक्रिया रही है ? क्या वह इस दल का स्वागत करेगी ग्रथवा नहीं ?

†**श्री दिनेश सिह** : पाकिस्तान सरकार से हमें कोई सूचना नहीं मिली है।

†**ग्रध्यक्ष महोदय**: समाचारपत्रों में एक समाचार था कि पाकिस्तान ने ग्रपने क्षेत्र में से दल के गुजरने को नहीं माना था। उनका उल्लेख उसी ग्रोर है।

†**श्री दिनेश सिह** : हमने तो कुछ नहीं सुना।

†**श्रीमती सावित्री निगम**: क्या मैं जान सकती हूं कि क्या भारत सरकार को कोई ऐसा पत्र भेजा गया है कि चीन सरकार ने पाकिस्तान सरकार से विरोध किया है ग्रौर यह भी घोषणा की है कि यदि पाकिस्तान सरकार ने उनकी सहायता दी या उनका स्वागत किया तो इसे ग्रमैत्रीपूर्ण काम समझा जायेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा ग्रणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इस विषय पर भारत सरकार ने किसी ग्रन्य सरकार से पत्र-व्यवहार नही किया है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमने उन्हें पासपोर्ट दिये हैं ग्रौर ऐसी सुविधायें प्रदान की हैं जिनकी उन्हें ग्रावश्यकता थी तथा ग्रन्य सरकारों से सीधा सम्पर्क स्थापित करना उनका काम है शायद वे ऐसा कर भी रहे हैं।

श्री रघुनाथ सिह: मैं जानना चाहता हूं कि क्या चीन सरकार ने भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कोई पत्र भेजा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने ग्रभी ग्रर्ज किया कि हमारी ग्रौर चीन सरकार की इस बारे में कोई खतो-किताबत नहीं हुई है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो शान्ति यात्रा के लिए दल भारत से रवाना हुग्रा है इसने ग्रपनी यात्रा ग्रारम्भ करने से पहले क्या भारत सरकार से कोई परामर्श किया था ? यदि हां, तो भारत सरकार की इस यात्रा के सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: जी हां, उनसे हमारी कुछ बातें हुई थीं ग्रौर हमने उनसे कहा कि जहां तक हम उनकी सहायता कर सकते हैं कर देंगे, पर हमें मालूम नहीं कि इसका लाभ कुछ होगा या नहीं, यह ग्राप समझें। हमने उनको यह सलाह भी दी थी कि जो ग्रौर देश हैं, जैसे चीन, पाकिस्तान ग्रौर बर्मा उनसे भी वे इजाजत ले लें।

†मूल ग्रंग्रेजी में।

†**श्री हरि विष्णु कामत:** पटल पर रखे विवरण में कहा गया है कि दल के सितम्बर १९६४ में किसी समय पेकिंग पहुंचने की सम्भावना है और अनुमान है कि यात्रा के पूरा होने में डेढ़ वर्ष लगेंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय प्रधान मन्त्री अथवा सरकार की इस दल के साथ चर्चा में इस पद-यात्री दल को प्रभावित करने का प्रयत्न किया गया था कि शायद इन डेढ़ वर्षों में भारत-चीन स्थिति अत्यधिक बदल जाये और यदि हां, तो उनके मिशन का प्रयोजन पूरा होगा अथवा विफल हो जाएगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह बात उनके ध्यान में लाई गई थी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उनकी प्रतिक्रिया क्या थी ? कोई प्रतिक्रिया नहीं थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतिक्रिया तो ज्ञात ही है कि वे चल पड़े हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या उन्होंने सरकार के परामर्श पर कोई ध्यान दिया था ?

अध्यक्ष महोदय : श्री त्यागी।

†**श्री त्यागी:** इस दल को जाने की अनुमति देने से पहले क्या सरकार ने सुनिश्चित कर लिया था कि उनका उद्देश्य क्या है,और वे कौन सी शर्तें हैं जो वे चीन सरकार से मनवा लेने की आशा रखते हैं ? क्या ऐसी कोई शर्तें हैं जो सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक मैं जानता हूं उनके चीन सरकार के साथ किन्हीं शर्तों पर चर्चा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वे तो केवल एक वातावरण तैयार करना चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जाली पासपोर्ट

***५५८ श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** १९ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'जाली ब्रिटिश पासपोर्ट' रखने वालों के मामले की जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) क्या अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरम्भ की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी नहीं। जांच अभी चल रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

मुख्य मंत्रियों द्वारा आगे के इलाकों का दौरा

†***५५९. श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा प्राधिकारी ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा आगे के क्षेत्रों के दौरों को अच्छा नहीं समझते जिनका वहां जाना परमावश्यक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों के मुख्य मन्त्री ऐसे 'गैर आवश्यक' प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं ; और

(ग) भारत-चीन सीमा के पास के आगे के इलाकों की उनकी यात्रा रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)** : (क) जी हां । सामान्य नियमानुसार सरकार ऐसे कार्यों के लिए, जो परमावश्यक न हों, आगे के क्षेत्रों के दौरे पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जाने के पक्ष में नहीं है ।

(ख) जी नहीं । राज्य के मुख्य मन्त्रियों सहित प्रतिष्ठित व्यक्तियों का 'परमावश्यक' या 'गैर परमावश्यक' प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूप में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता । प्रत्येक दौरे की जांच इस सामान्य नीति का ध्यान रख कर उसके गुणों के आधार पर की जाती है कि 'गैर परमावश्यक' वर्ग के अन्तर्गत आने वाले दौरे रोके जायें ।

(ग) प्रश्न के उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

कनाडा से डकोटा विमान

५६८. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रायल कैनेडियन एयरफोर्स भारतीय वायु सेना को दो 'डकोटा' तथा पांच 'ओटर' परिवहन विमान दे रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो व्यवस्था का पूरा ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)**: (क) जी हां । कनाडा सरकार दो डकोटा विमान और पांच ओटर परिवहन विमान देने पर सहमत हो गई है । ये नवम्बर, १९६२ में हमें दिये गये छः डकोटा विमानों के अतिरिक्त हैं ।

(ख) कनाडा सरकार ने सूचित किया है कि जिन वस्तुओं के लिए भारत सरकार ने प्रार्थना की है और भविष्य में प्रार्थना करे वे कनाडा की वर्तमान आवश्यकता से अधिक होने पर व अनुदान के आधार पर दी जा सकती हैं । कनाडा से भारत को सामान जाने पर परिवहन व्यय तथा अन्य व्यय हम उठायेंगे ।

जैट विमानों का उत्पादन

†*५६९. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रिशांग किशिंग :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री महेश्वर नायक :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैट विमान उत्पादन का एक मिस्र का दल हाल ही में सुपरसोनिक (ध्वनि की गति से भी अधिक तेज चलने वाला) लड़ाकू विमान का संयुक्त रूप से उत्पादन करने की सम्भावनाओं के बारे में भारतीय विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने के लिए बंगलौर आया था ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

†**प्रति रक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां। कुछ प्रतिरक्षा सामान के विकास तथा उत्पादन के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग की सम्भावना की खोज करने के लिए संयुक्त अरब का एक दल भारत आया था।

(ख) अभी विचार विमर्श हो रहे हैं।

'साउंडिंग राकेट्स' का छोड़ा जाना

†*५७०. श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री कजरोलकर :
श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के राकेट छोड़ने वाले केन्द्र से पहला 'साउंडिंग राकेट', कब छोड़े जाने की आशा है ; और

(ख) इन राकेटों से वस्तुतः क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ?

†**वैदेशिक कार्य-मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) वर्तमान चित्र ये हैं कि थुम्बा (केरल) से पहला 'साउन्डिंग राकेट' इस वर्ष के उत्तरार्ध में छोड़ा जाये।

(ख) 'साउंडिंग राकेट' वातावरण के विस्तृत क्षेत्र का प्रयोगात्मक अध्ययन करने के बहुत अच्छे साधन हैं। वास्तव में, ३० और २०० किलोमीटर तक के आधार पर अर्थात्, गुब्बारों की उच्चतम सीमा और उपग्रहों की कार्य संचालनात्मक ऊंचाई के नीचे सीधे नापतोल करने के वे ही एक मात्र साधन हैं। ये राकेट भूमि के चुम्बकीय क्षेत्र, अयन मण्डल तथा यथाकथित भूमध्ययीय इलैक्ट्रो जेट की जांच पड़ताल करने के लिए विशेषकर लाभदायक होंगे। थुम्बा भू-चुम्बकीय भू-मध्य रेखा के बहुत पास है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूतपूर्व सैनिक

†*५७१. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन भूतपूर्व सैनिकों को, जिन्हें प्रति मास १५ रुपये पैंशन मिलती थी, प्रतिरक्षा संस्थाओं में असैनिक कर्मचारी के रूप में नियुक्त हो जाने पर भी यह पैंशन मिलती रहेगी ;

(ख) क्या पैंशन की यह रकम उन के वेतन में से अब काटी जा रही है ;

(ग) क्या अखिल भारतीय कर्मचारी संघ ने प्रतिरक्षा मंत्रालय से एक अपील की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख). जिन भूतपूर्व सैनिकों को १५ रु० से अधिक मासिक पैंशन नहीं मिलती, उन के मामले में असैनिक रूप में पुनः नियुक्ति होने पर वेतन निर्धारण के लिए पैंशन का ध्यान नहीं रखा जाता । जो भूतपूर्व सैनिक १५ रु० मासिक से अधिक पैंशन ले रहे हैं और जिन का वेतन असैनिक रूप पुनः नियुक्त होने पर २४ मई, १९६२ से पहिले निर्धारित किया गया था, उन के वेतन निर्धारण के लिए विद्यमान आदेशों के अधीन पूरा ध्यान रखा गया था । ये आदेश कहते हैं कि नये पद का वेतन और पैंशन मिल कर अन्तिम वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिये । २४ मई, १९६२ के बाद वेतन निर्धारण के ऐसे मामलों में, जिन में पैंशन १५ रु० प्रति मास से अधिक है, सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से सारी पैंशन की गणना कर सकता है या आजकल लागू पुनरीक्षित आदेशों के अन्तर्गत १५ रु० में इस का कोई भाग छोड़ सकता है ।

(ग) जी हां ।

(घ) यह सरकार के विचाराधीन है ।

चीन में भारतीय युद्ध बन्दी

†*५७२. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय तथा भारतीय रेड क्रास सोसाइटियों को चीन सरकार ने चीन में भारतीय युद्धबन्दियों से मिलने की अनुमति नहीं दी है ;

(ख) क्या चीन सरकार की यह अस्वीकृति युद्धबन्दियों सम्बन्धी जेनेवा अभिसमय का उल्लंघन है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)** : (क) जी हां ।

(ख) चीनी रेड क्रास के द्वारा की गई भारतीय रेड क्रास की एक प्रार्थना के उत्तर में चीनी रेडक्रास ने बताया था कि सम्बन्धित प्राधिकारियों से कोई उत्तर नहीं मिला है। अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास कमेटी के अध्यक्ष की एक प्रार्थना का चीनी सरकार ने उत्तर दिया है कि क्योंकि चीनी रेड क्रास सोसाइटी और भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के बीच सीधे सम्बन्ध हैं और क्योंकि बन्दी बनाये गये भारतीय सेना कर्मचारियों सम्बन्धी प्रश्न सीधे भारतीयों तथा चीनियों को सुलझाने चाहियें, उन्हें अपनी कमेटी से यह पूछना आवश्यक नहीं है कि वह सहायता दे। वस्तुत: चीनी सरकार की इस कार्यवाही का अर्थ यह है कि वह अनुमति देने से मना करती है और यह अस्वीकृति युद्ध बन्दियों सम्बन्धी जेनेवा समझौते के विरुद्ध है।

(ग) भारतीय रेड क्रास सोसाइटी और अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास कमटी बन्दियों से मिलने की अनुमति प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास कर रही हैं।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन

†*५७३. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व केन्द्रीय श्रम मंत्रणा बोर्ड ने औद्योगिक विवाद अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करने की सिफारिश की थी तथा सरकार ने उन सिफारिशों के आधार पर एक विस्तृत विधान बनाना तय कर लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान कब पेश किया जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उप मंत्री तथा योजना मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) और (ख). औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ के कुछ संशोधनों की समय-समय पर भारतीय श्रम सम्मेलन की स्थायी श्रम समिति तथा स्थायी श्रम समिति की समिति ने सिफारिश की है। यथाशीघ्र एक संशोधनकारी विधेयक पेश किया जायेगा ।

अमरीका तथा ब्रिटेन के लिये भारतीय शिष्टमंडल

†*५७४. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमंडल ब्रिटेन तथा अमरीका के साथ दीर्घकालीन प्रतिरक्षा सहायता के बारे में बातचीत करने के लिए उन देशों की यात्रा करने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या शिष्टमंडल के जाने से पहले प्रारम्भिक बातचीत हो चुकी है अथवा होगी ?

†**वैदेशिक कार्य-मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) और (ख) जी हां। अमरीका और ब्रिटेन के अनेक मिशनों से प्रतिरक्षा सामग्री प्राप्त करने के बारे में हम जो वार्ता करते रहे हैं, उसे आगे बढ़ाने के लिए इन देशों को एक मिशन भेजने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सी० ओ० डी० दिल्ली छावनी

†*५७५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ४२ बक्से जिन में बेयरिंग थे, नं० २ सब-डिपो सी० ओ० डी० दिल्ली छावनी से चोरी चले गये थे ;

(ख) क्या चोरी का पता २१ फरवरी, १९६३ को लगा था ;

(ग) क्या ७ बक्से मार्च, १९६२ में चोरी गये थे ;

(घ) सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) क्या सभी वस्तुओं की जांच के आदेश दे दिए गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)**: (क) और (ख). २१-२-१९६३ को दिल्ली छावनी में सी० ओ० डी० में 'बालबीयरिंग' के ५२ बण्डलों की संदिग्ध चोरी पकड़ी गई ।

(ग) ६ बण्डलों के बाल बीयरिंग मार्च, १९६२ में खोये हुए पाये गये ।

(घ) १ मार्च, १९६२ में बाल बीयरिंग खोने के जिस मामले का पता लगा था, दिल्ली पुलिस, सी० आई० डी०, दण्ड शाखा उस की जांच पड़ताल कर रही है । २१-२-१९६३ को पकड़ा गया संदिग्ध चोरी का मामला जांच पड़ताल के लिये विशिष्ट पुलिस संस्थान को दे दिया गया है ।

(ङ) जी हां ।

पलाना लिग्नाइट खनन परियोजना

†१०८२. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलाना लिग्नाइट खुली हुई खनन परियोजना में प्रयोग के लिए वर्तमान योजना काल में राजस्थान सरकार को धन दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहिले और दूसरे वर्ष में कितना धन दिया गया है और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उक्त परियोजना के लिए प्रति वर्ष कितना धन देने का विचार है ; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) और (ख). राज्य की तीसरी योजना में २४५ लाख रु० के उपबन्ध के लिए प्रथम दो वर्षों में और खोज के कार्य पर, जो लिग्नाइट के अतिरिक्त निक्षेपों, सतह योजनायें तैयार करने, एक संगठन बनाने और अन्य प्रारम्भिक बातों को निश्चित करने के लिये जायेगा, लगभग १४ लाख रु० व्यय होंगे ।

(ग) परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत लगभग ४ करोड़ रु० है ।

पलाना (राजस्थान) में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

†१०८३. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पलाना (राजस्थान) में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र पर २४ सितम्बर, १९५९ से ३१ मार्च,

---

†मूल अंग्रेजी में

१९६२ तक हुए व्यय का क्या ब्यौरा है :

(१) अनावर्तक,

(२) कर्मचारी के वेतन पर आवर्तक,

(३) यदि कोई और बात हो, तो आवर्तक;

(ख) कितने कोयला खान मजदूरों को प्रौढ़ शिक्षकों ने प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा दी ;

(ग) क्या सरकार को केन्द्र कर्मचारियों के विरुद्ध धन के गबन करने की शिकायतें मिली हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क)

	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२
	रु०	रु०	रु०
(१) . .	८६५	४१५	
	७१६	१,६६२	२,००,२४९
	—	२९५	१,४६५

(ख) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र में ७० मजदूरों ने शिक्षा कक्षा में भाग लिया जिनमें से ३० मजदूरों को शिक्षित घोषित किया गया है ।

(ग) हां ।

(घ) मामले की जांच की गई और गबन का कोई मामला नहीं पाया गया ।

फिलीपाइन में भारतीय आप्रवासी

†१०८४. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिलीपाइन सरकार ने भारतीय आप्रवासियों के प्रवेश से रोक हटा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां ।

(ख) फिलीपाइन आप्रव्रजन विधि के उपबन्धों के अन्तर्गत, भारतीय नागरिक फिलीपाइन जा सकते हैं, परन्तु ऐसी ही सुविधायें फिलीपाइन के नागरिकों को भारत में आने के लिए दी जानी चाहिये । भारत से आप्रवासियों की संख्या किसी भी पत्री वर्ष में ५० से अधिक नहीं होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में तिब्बती शरणार्थियों का बसाया जाना

†१०८५. **श्री प्र० चं० देवभंज :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक केन्द्रीय सरकारी योजना के अन्तर्गत तिब्बत के शरणार्थी बड़ी संख्या में उड़ीसा में बसाये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी ठीक संख्या कितनी है ; और

(ग) वे उड़ीसा में कब बसाये जायेंगे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) हां ।

(ख) २५०० ।

(ग) गंजम जिला ।

कूच-बिहार में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

†१०८६. **श्री राम हरख यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ मार्च, १९६३ को दो पाकिस्तानी अवैध रूप से कूच बिहार में घुसे और एक भारतीय का अपहरण करके ले गये तथा पाकिस्तान में तीस्ता नदी की दूसरी ओर उसे इतना मारा कि वह मर गया ; और

(ख) यदि हां, तो घटना का क्या ब्यौरा है और इस प्रकार के अत्याचार रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** (क) और (ख). हां ।

१ मार्च, १९६३ को ब्रह्मवेला में चार पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने अवैध रूप से गांव झरसिंगेश्वर थाना हलडिवारी, जिला कूच बिहार में भारतीय सीमा में घुसे और एक भारतीय राष्ट्रजन का अपहरण करके ले गये जिसे उन्होंने बाद में तीस्ता नदी के किनारे मार डाला ।

पूर्वी पाकिस्तान के जिला तथा राज्य अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई है । तत्काल अपराधियों को दृष्टान्त स्वरूप दण्ड और मृत भारतीय राष्ट्रजनों के परिवार को पर्याप्त प्रतिकर देने की तुरन्त जांच करने की मांग की गई है । विरोध पत्रों का अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है ।

"सैनिक समाचार"

†१०८७ **श्री अ० व० राघव** : क्या **प्रतिरक्षा मन्त्री** १८ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३८२ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सैनिक समाचार" का मलयालम भाषा में एक संस्करण छापने के मामले में इस बीच कोई निर्णय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब प्रकाशित होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) का मामला अभी विचाराधीन है ।

ठेके के मजदूर

†१०८८. **श्री म० प० स्वामी** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उद्योगों में ठेका-मजदूर प्रणाली समाप्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान का ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) और (ख). यह प्रश्न कि ठेका-मजदूर प्रणाली समाप्त की जा सकती है या नहीं विधि मन्त्रालय के परामर्श के साथ विचाराधीन है ।

उड़ीसा में रेडियो सेट

†१०८९. **श्री उलाका** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो सेट देने का कोई केन्द्रीय लक्ष्य निर्धारित है ; और

(ख) राज्य को कितने सेट दिये जा चुके हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ)** : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में ३,००० सेट देने का लक्ष्य है।

(ख) उड़ीसा राज्य को ५०० सेट १९६१–६२ में दिये गये थे । १९६२–६३ में राज्य के लिए आवंटित किये गये ६०० सेटों के शीघ्र दिये जाने की आशा है । ३१–३–६२ तक इस राज्य को कुल ८,४७० सेट दिये जा चुके हैं ।

कटक में आकाशवाणी के कर्मचारी

†१०९०. **श्री उलाका** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कटक (उड़ीसा) में ३१–१–१९६३ तक आकाशवाणी के कितने कर्मचारी कलाकार तथा अन्य कर्मचारी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के थे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
(१) कर्मचारी कलाकार . . .	—	—
(२) नियमित कर्मचारी . .	२०	१

उड़ीसा में पंजीबद्ध 'दक्ष' तथा 'अदक्ष' व्यक्ति

†१०९१. **श्री उलाका** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में अब तक उड़ीसा में अनेक काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने व्यक्तियों ('दक्ष' तथा 'अदक्ष') ने नाम लिखाये ;

(ख) इसी काल में अभी तक ऐसे कितने व्यक्तियों को रोजगार सहायता दी गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन).** (क) और (ख).

काल	पंजीबद्ध व्यक्तियों की संख्या	रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या
अप्रैल १९६२ से फरवरी, १९६३ तक	१,४९,३७३	२१,००८

(ग)

उम्मीदवारों का वर्ग	अप्रैल-दिसम्बर, १९६२ की अवधि में पंजी बद्ध व्यक्तियों की संख्या*	अप्रैल-दिसम्बर, १९६२ की अवधि में रोजगार में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या*
अनुसूचित जाति . . .	७,८३६	८३८
अनुसूचित आदिम जाति .	८,९४०	१,८४७

*यह जानकारी अर्ध-वार्षिक आधार पर एकत्रित की जाती है, इस कारण जानकारी केवल दिसम्बर, १९६२ तक उपलब्ध है ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

१०९२. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रशासकीय निकाय में भारत सरकार का जो प्रतिनिधि था, उसके पद को समाप्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया और अब भारत सरकार की ओर से वहां कौन प्रतिनिधित्व करता है ?

प्रधानमंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रबन्ध परिषद् (गवर्निंग बाडी) में भारत का बराबर प्रतिनिधित्व हो रहा है । इस काम के लिए जिस अफ़सर की नियुक्ति की गई थी, उसके सिर्फ़ पदनाम (डेज़िगनेशन) में परिवर्तन हुआ था ।

प्रतिरक्षा उद्योग में वार्ता व्यवस्था

†१०९३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिरक्षा उद्योगों में असैनिक कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार विमर्श करने के लिए तीन स्तरों पर वार्ता व्यवस्था पुनः आरम्भ का अन्तिम निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रतिरक्षा अधिष्ठापनों में वार्ता व्यवस्था पुनः आरम्भ करने का सम्बन्ध सभी मन्त्रालयों के लिए एक संयुक्त परामर्शदाता व्यवस्था बनाने के सामान्य प्रश्न से है। सरकार व्यवस्था पुनः आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

परिवार-पेंशन

†**१०९४. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन अधिकारियों और जवानों ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध अपनी मातृभूमि की रक्षा करते समय अपने प्राण गंवाये थे क्या उनके परिवार के समस्त सदस्यों को उपदान देने के लिये अनुदेश दे दिये गये हैं ; और

(ख) पेंशन संबंधी दावों पर कब तक निश्चय हो जाने की संभावना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)** : (क) जी, हां। यह अनुदेश दे दिये गये हैं कि प्रतिरक्षा सेवा अधिकारियों, जूनियर कमिशन्ड अफसरों तथा जवानों के परिवारों को पेंशन तथा उपदान जितनी शीघ्र संभव हो सकें दे दिये जायें।

(ख) सामान्यतया, पेंशन के दावे उस आकस्मिक दुर्घटना की तिथि से जिसके कारण दावे किये जाते हैं एक या दो मास के अन्दर निपटा दिये जाते हैं। उपदान, जैसा कि मान्य थे, साधारणतया अधिक शीघ्र दे दिया जाता है।

जवानों के लिये भूमि

१०९५. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २१ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बीच अन्य किन किन राज्यों ने सीमा की रक्षा करते हुये बलिदान होने वाले जवानों के लिये भूमि देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) जिन राज्यों ने जवानों के लिये भूमि देने का प्रस्ताव किया है, उन्होंने अन्तिम रूप से कितनी भूमि तथा अन्य प्रकार की सहायता देने का निश्चय कर लिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) असम, बिहार, पश्चिमी बंगाल और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों और अन्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने जवानों और उनके कुटुम्बों को भूमि देने का प्रस्ताव किया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्रशासनों द्वारा स्वीकृत, विभिन्न सुविधायें तथा सहायता के लिये भूमि-दान संबंधी पगों समेत, उठाये गये पग दिखाये गये हैं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०२८/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन

†१०९६. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने राज्यों के सांख्यिकी ब्यूरोज से फरवरी, १९६१ में यह प्रार्थना की थी कि वे विनियोजन, निर्माण के रूप तथा प्रकार, क्षेत्र, निवास इकाइयों तथा आवासिक भवनों की दीवारों, छतों तथा फर्श में उपयोग की गई सामग्री के संबंध में एकसमान प्रतिरूप पर निगमों तथा नगरपालिकाओं से जानकारी एकत्रित करना प्रारम्भ कर दें ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) अधिकांश राज्य सांख्यिकी ब्यूरोज ने इस मामले पर अपने स्थानीय स्वायत्त शासन विभागों से बातचीत की है और यह सुझाव दिया है कि निर्माण कार्य संबंधी आंकड़े नगरपालिकाओं/नगर निगमों द्वारा ही उनके भवनों संबंधी उपनियमों के संचालन के एक भाग के रूप में ही एकत्रित किये जायें । तदपि, आंकड़ों को एकत्रित करने के वास्तविक कार्य में अधिक प्रगति नहीं हुई है ।

लंका जाने वाले भारतीय राष्ट्रजनों के लिये प्रवेशपत्र

†१०९७. **श्री केप्पन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि लंका के लिये प्रवेशपत्र प्राप्त करने में भारतीय राष्ट्रजनों को भारी कठिनाई का अनुभव हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इसका उपचार करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशकि कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) निम्नलिखित दो श्रेणियों के भारतीय राष्ट्रजनों को होने वाली कठिनाइयों के अतिरिक्त लंका के लिये प्रवेशपत्र प्राप्त करने में भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा अनुभव की जाने वाली किसी भी कठिनाई का सरकार को ज्ञान नहीं है :—

(१) वे भारतीय राष्ट्रजन जो उनके प्रवेशपत्रों में अधिकृत अवधि से अधिक दिन वहां ठहरते हैं और जिन्हें श्रीलंका को छोड़ने की सूचनायें दे दी जाती हैं ।

(२) वे भारतीय व्यापारी जो क्रयादेश लेने के लिये श्रीलंका जाना चाहते हैं ।

(ख) उक्त श्रेणी (१) में जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है वे लंका की सरकार के प्रवेशपत्र संबंधी विनियमों अथवा/तथा अप्रवास विधियों का उल्लंघन करते हैं । इसलिये, भारत सरकार कठिनाई से ही इस मामले में कोई कार्य कर सकती है ।

जहां तक भारतीय व्यापारियों का संबंध है, इस प्रश्न पर पहले ही से लंका सरकार से बातचीत की जा रही है । दिसम्बर, १९६२ में भारतीय व्यापार मंडल के लंका के दौरे के समय भी इस मामले पर चर्चा की गई थी । यह मान लिया गया था कि विशेष रूप से क्रयादेश लेने के लिये लंका जाने वाले भारतीय व्यापारियों के प्रवेश पत्रों के संबंध में लंका सरकार अपने मिशनों को दिये गये विद्यमान अनुदेशों में उपयुक्त फेरबदल करने के लिये विचार करेगी । इससे आगे स्थिति के विकासों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विशाखा पटनम में घाट का निर्माण

†१०९८. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री यलमंदा रेड्डी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम में बनाये जाने वाले घाट के लिये योजनाओं तथा रूपांकनों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) निर्माण-कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) अभी तक नहीं, श्रीमन् ।

(ख) परियोजना पर १ करोड़ ३० लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

(ग) घाट के निर्माण कार्य के १९६५ के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है ।

आसाम में विकास परियोजनायें

†१०९९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आसाम के सीमावर्ती राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिये किये गये आवंटनों को राष्ट्रीय आपात को दृष्टिगत रखते हुये पुनः निर्धारित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे०रा० पट्टाभिरामन)** : (क) जी, हां ।

(ख) हाल ही के राष्ट्रीय आपात की दृष्टि में राज्यों के विकास-कार्य का सुधार करने के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा दिये गये निदेशों को ध्यान में रखते हुये, १९६२–६३ तथा १९६३–६४ की वार्षिक योजना के संबंध में राज्य सरकार के प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं । इनकी जांच के पश्चात् इन्हें मान लिया गया था । इन दो वर्षों में कृषि उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत्शक्ति के विकास संबंधी कार्यक्रमों में तीव्र गति से कार्य किया गया ।

उड़ीसा के मुख्य मंत्री को दिल्ली में सौंपा गया काम

११००. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के मुख्य मंत्री के लिये विदेश मंत्रालय में कोई कमरा सुरक्षित रखा गया है ; और

(ख) क्या किसी अन्य राज्य के मुख्य मंत्री को भी यह सुविधा दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं ।

शिल्पकारों का प्रशिक्षण

†११०१. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सेवाओं तथा उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये शिल्पकारों को प्रशिक्षित करने की एक योजना प्रारम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन पाठ्यक्रमों और व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जायेगा ; और

(ग) प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति प्रशिक्षित किये जायेंगे ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) जी, हां ।

(ख) पाठ्यक्रम तथा व्यवसाय निम्नलिखित विवरण में दिखाये गये हैं :—

क्रम संख्या	व्ययवसाय का नाम	पाठ्यक्रम
१	लोहार	छः महीने
२	बढ़ई	छः महीने
३	बिजली वाला	छः महीने
४	ग्राइन्डर	छः महीने
५	वायरमैन	छः महीने
६	(मोटर) मिस्त्री	छः महीने
७	मिलर	छः महीने
८	स्लौटर	तीन महीने
९	शैपर	तीन महीने
१०	प्लानर	तीन महीने
११	(गैस) वैल्डर	तीन महीने
१२	(विद्युत) वैल्डर	तीन महीने
१३	मोल्डर	छः महीने
१४	(डिजेल) मिस्त्री	छः महीने
१५	बिजलीवाला (एम० वी०)	छः महीने
१६	पलम्बर	छः महीने
१७	फिटर	छः महीने
१८	शीट मेटल वर्कर	छः महीने
१९	टर्नर	छः महीने
२०	वायरलैस आपरेटर	तीन महीने
२१	रेडियो मिस्त्री	छः महीने
२२	मोटर चालक	दो महीने

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १ फरवरी, १९६३ को जो सत्र प्रारम्भ हुआ है उसमें १६०० प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश दिया गया है।

स्त्रियों के कार्य की दशायें

†११०२. **श्री कोया** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि में स्त्रियों के कार्य की दशाओं पर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के प्रतिवेदन की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्त्रियों की अवस्थाओं में सुधार करने और उनकी मजूरियों में वृद्धि करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) जी, हां।

(ख) जैसे कदमों की ओर कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के प्रतिवेदन में स्वयं ही संकेत किया गया है: "सामान्यतः, ऐसा प्रतीत होता है कि सभी स्तरों पर कृषि में कार्य करने वाली स्त्रियों की बहुत अधिकांश आवश्यकताओं व समस्याओं को केवल ऐसी आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों द्वारा दूर किया जा सकता है जिनसे कि बिना किसी प्रकार के भेदभाव के ग्रामीण जनसंख्या के सभी भागों को लाभ हो और ऐसे उपायों से नहीं जिनसे कि विशेष व्यवहार के लिये स्त्रियों को अलग छांट लिया जाय। अग्रेतर, यह भी प्रतीत होता है कि कृषि में कार्य करने वाली स्त्रियों की बहुत सी समस्यायें मुख्यरूप से इस एक वृहद समस्या से सम्बन्धित हैं कि कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ शिल्पकला विज्ञानों तथा यन्त्र कलाओं और शहरी क्षेत्र के जीवन के सुख तथा सुविधाओं को किस प्रकार से लाया जाय, विशेष रूप से उनको जो कि कठिन शारीरिक परिश्रम तथा अधिक समय खाने वाली घर की समस्याओं से उन्हें मुक्ति दिलायें।"

तदपि, एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषरूप से स्त्रियों के भाग्य को सुधारने के लिये उठाये गये कदम, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के प्रतिवेदन में स्वीकार किये गये हैं, और समस्त ग्रामीण समुदाय के लाभ के लिये उठाये गये सामान्य रूप के कदम दिखाये गये हैं।

विवरण

१(क) सामुदायिक विकास कार्य क्रम : इसमें योजना स्तर पर विस्तार कर्मचारी स्त्रियां हैं और इसके अन्तर्गत दसियों लाख स्त्रियां ग्रामीण विकास कार्यक्रम में आ गई हैं। इस कार्यक्रम में स्त्रियों के लिये ऐसी कलाओं का प्रशिक्षण सम्मिलित है जैसे कि दरजीगिरी, सिलाई, कटाई, बुनाई, गुड़िया बनाना, साबुन बनाना, टोकरी बनाना, कताई आदि।

(ख) ग्राम उद्योग कार्यक्रम : यह कार्यक्रम गांवों की लगभग ५० लाख शिल्पकार तथा कम रोजगार पर लगी स्त्रियों को आंशिक सहायता प्रदान करने के हेतु बनाये गये हैं। ग्रामीण स्त्रियों के लिये हस्तकला विज्ञानों में कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक संघ जैसी स्वैच्छिक संस्थायें भी प्रशिक्षण देती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अब अधिकांश राज्य सरकारों ने कृषि कार्य में रोजगार में लगे हुए पुरुषों व स्त्रियों के लिये न्यूनतम मजूरी की दरें निर्धारित कर दी हैं। यह दरें समय-समय पर अधिक कर दी जाती हैं। जब कि कुछ राज्यों में स्त्रियों के लिये न्यूनतम मजूरी की दरें विधि बनाकर कम निर्धारित कर दी गई हैं, काफी, चाय तथा रबर बागानों में, जहां कि कार्य के अनुसार मजूरी दी जाती है, स्त्रियां प्रायः पुरुषों से अधिक मजूरी कमा लेती हैं।

२. जहां तक कि समस्त ग्रामीण समुदाय की अवस्था को सुधारने के लिये उठाये गये कदमों का सम्बन्ध है, वहां तक न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने और ग्राम उद्योगों को उन्नत करने के अतिरिक्त, अन्य निम्नलिखित कदमों का उल्लेख किया जा सकता है :—

(१) आर्थिक सहायता सहित मकानों के लिये जगह देना और बेदखली से बचाना ;

(२) भूमि को कृषि योग्य तथा उपजाऊ बनाना और उसकी पुनः व्यवस्था करना ;

(३) भूदान तथा ग्रामदान आन्दोलनों के अन्तर्गत भूमि-अनुदानों का वितरण करना ;

(४) सहकारी कृषि का विकास करना ;

(५) ग्रामीण औद्योगिक सम्पदाओं की स्थापना करना ;

(६) बेकार श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों का चलाना ; और

(७) भूमिहीन निर्धनों में सरकारी बंजर भूमि का वितरण करना।

फौजी सामान की स्थानीय खरीद

११०३. श्री राम सेवक यादव : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी कमान ने उत्तर प्रदेश में बरेली कैंट के स्थानीय बाजार से जो फौजी सामान खरीदा है, वह बाजार भाव से कई गुना ज्यादा मूल्य पर खरीदा गया;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ केन्द्रीय विशेष पुलिस स्थापना द्वारा कोई जांच की जा रही है ; और

(ग) उसकी रिपोर्ट कब तक मिलने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) मंत्रालय में शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि बरेली में सैनिक अधिकरणों को कुछ प्रतिरक्षा सामान का संभरण बाजार में प्रचलित दरों से अधिक दरों पर किया गया था।

(ख) शिकायतें स्पेशल पुलिस को भेज दी गई थी, जो इन आरोपों की जांच कर रही है।

(ग) यद्यपि इस समय कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है, रिपोर्ट के शीघ्र मिलने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विद्यालय (नेशनल डिफेंस कालेज)

†११०४. श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री अ० व० राघवन ।
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विद्यालय (नेशनल डिफेंस कालेज) को अनिश्चित काल के लिये बन्द करने का सरकार ने निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विद्यालय के विद्यमान कर्मचारियों को खपाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) अप्रैल, १९६३ में चालू पाठ्यक्रम के समाप्त हो जाने के पश्चात् राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विद्यालय (नेशनल डिफेंस कालेज) के पाठ्यक्रमों को अस्थायी रूप से बन्द कर दिया जायेगा ।

(ख) क्योंकि यह विद्यालय मुख्य रूप से वरिष्ठ सेना अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिये है और क्योंकि अन्य स्थानों पर भी महत्वपूर्ण कार्यों के लिये ऐसे अधिकारियों की भारी मांग है, अतः इस समय विद्यालय में प्रशिक्षण लेने के लिये उन्हें खाली रखना सम्भव नहीं होगा ।

(ग) उन्हें दूसरी यूनिटों में खपाया जा रहा है ।

इंग्लैंड से भारतीयों का निकाला जाना

†११०५. श्री प्र० के० देव :
श्री प्र० कु० घोष :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष कितने भारतीय राष्ट्रजन इंगलैंड से निकाले गये हैं और इस प्रकार उनके निकाले जाने के क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** एक भी नहीं, श्रीमन् ।

नेफा में उपभोक्ता सहकारी समितियां

†११०६. श्रीमती रेणुका बड़फकी :
श्री बसुमतारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेफा में उपभोक्ता सहकारी समितियां खोलने के लिये कोई कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे कदम क्या हैं और किन-किन स्थानों पर सरकार ने उपभोक्ता सहकारी समितियां खोल दी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) नेफा में ४० उपभोक्ता सहकारी समितियां चल रही हैं । उनका जिलेवार वितरण निम्नलिखित प्रकार है :—

(१) कामेंग फ्रंटियर डिवीजन	६
(२) सुबनसिरी फ्रंटियर डिवीजन	४
(३) सियांग फ्रंटियर डिवीजन	१५
(४) लोहित फ्रंटियर डिवीजन	९
(५) तिराप फ्रंटियर डिवीजन	६

अधिक ऊंचाई पर सांस लेना

११०७. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक ऊंचाई पर लड़ने में हमारे जवानों को सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इन २-३ महीनों में क्या जवानों की इस कठिनाई को दूर करने के लिये कुछ उपाय निकाला गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)** : (क) अगर जवानों को जलवायु के अनुरूप न बना लिया जाये तो ऊंचाइयों पर युद्ध करते समय उन्हें सांस लेने में कठिनाई पेश आयेगी ।

(ख) जहां भी सामरिक तथा प्रदायवाहिकी, स्थितिएं अनुकूल हों, सैनिकों को ऊंचाइयों पर युद्ध में झोंकने से पहले, दर्मियानी ऊंचाइयों के जल-वायु के अनुरूप बना लिया जाता है ।

बुलडोजर की दुर्घटना

११०८. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ३ सितम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में जो एक फौजी बुलडोजर पीपलकोटी से कुछ आगे दुर्घटना ग्रस्त हो गया था, उसकी जांच का क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : कोर्ट आफ इन्कवायरी ने निर्णय दिया है, कि बुलडोजर जो मिट्टी हटाने तथा टीले को साफ करने में लगाया गया था, नीचे से मिट्टी हट जाने के कारण, गिर गया था। चालक अर्हता प्राप्त था, और एक जूनियर कमीशंड अफसर इस काम में उसका मार्ग-दर्शन कर रहा था । चालक उस मशीन को बचाने का अन्तिम क्षण तक यत्न करता रहा इसलिये दुर्घटना ऐसे कारणों-वश हुई जो चालक के वश से बाहर थे ।

सेना के जनरल

†**११०९. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकाल को ध्यान में रखते हुए सेना के जनरलों की सेवा निवृत्ति

---

†मूल अंग्रेजी में

की आयु को बढ़ाने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आयु को बढ़ाने के सम्बन्ध में निश्चय हो जाने के बावजूद भी क्या निकट भविष्य में सेवा से निवृत्त होने वाले जनरलों को इसकी अनुमति दी जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयुध कारखानों में उत्पादन

†१११०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में विभिन्न आयुध कारखानों में विभिन्न वस्तुओं का कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) पंजाब राज्य में किन गैर-सरकारी कारखानों का प्रतिरक्षा उत्पादन के लिए उपयोग किया गया तथा उन्होंने क्या काम किया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) १९६२-६३ के वास्तविक मूल्य के उत्पादन अभी मालूम नहीं हैं परन्तु चालू प्रवृत्तियों से मालूम होता है कि यह लगभग ५० करोड़ रुपये के है।

(ख) पंजाब में गैर-सरकारी कारखानों को प्रतिरक्षा उत्पादन के लिए अपेक्षित सामग्री के संभरण के लिए बहुत से आर्डर दे दिए गए हैं। इन उत्पादों में ऊनी तथा सूती कपड़े, तेल, रोगन तथा रसायन, इमारती लकड़ी, मोटर गाड़ियों के ढांचे, टायर, ट्यूब तथा मोटर गाड़ियों के फ्लैप, विविध वस्तुयें शामिल हैं। उत्पादन अच्छा हुआ है।

केरल में प्रतिरक्षा उत्पादन उद्योग

†१११११. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट ।

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में केरल राज्य में कितने प्रतिरक्षा उत्पादन उद्योग स्थापित करने का विचार है ;

(ख) इनके नाम क्या हैं तथा इनको कहां पर स्थापित करने का विचार है ;

(ग) इन उद्योगों में किन विदेशों का सहयोग होगा ; और

(घ) पहली तथा दूसरी योजना अवधि में केरल में स्थापित उद्योगों का ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) केरल में कोई प्रतिरक्षा उत्पादन उद्योग स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) कोई नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

गढ़ाई के लिये मिश्र धातुओं के टुकड़ों (बिलट्स) का निर्माण

†१११२. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड' ने एक अमरीकी सार्थ के सहयोग से गढ़ाई के लिये हलकी मिश्र धातुओं का निर्माण करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाने में प्रस्तावित क्षमता का उत्पादन क्या है तथा इसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) योजना में कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी, हां।

(ख) विमान उद्योग तथा सामान्य गढ़ाई के लिए आवश्यक हल्की मिश्रधातु के टुकड़े (बिलट्स) बनाने का निर्णय लिया गया है। गढ़ाई संयंत्र की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता ३५० टन (अनुमानतः) है जिसका मूल्य ८०.०० लाख रुपये है।

(ग) निर्माण के लिए आवश्यक पूंजी विनियोजन में लगभग १०० लाख की विदेशी मुद्रा है।

अधिक ऊंचाई पर परीक्षण उड़ान

†१११३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच० ए० एल० के १९६१-६२ के प्रतिवेदन में उल्लिखित अधिक ऊंचाई पर परीक्षण उड़ानों तथा तेज़ रफ्तार तथा विभिन्न पद्धति तथा नियंत्रणों के विकास के क्या परिणाम निकले ; और

(ख) इन परीक्षणों के आधार पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) और (ख). सुपरसोनिक विमान के मामले में विशेषतया तथा अन्य विमानों की परीक्षण उड़ान लगातार होती रहती है। अब तक किए गए परीक्षणों के आधार पर पद्धति तथा नियंत्रण के सुधार किए जा रहे हैं।

आकाशवाणी नागपुर से हिन्दी में समाचार

†१११४. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सवा आठ बजे सवेरे तथा सवा आठ बजे सायंकाल के दिल्ली के समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र से बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(ग) हिन्दी समाचारों के स्थान पर इस समय क्या कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) :** (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कार्यक्रम में उचित समायोजना करने के लिए ऐसा किया गया ताकि आपातकाल के विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जा सके।

(ग) आपातकाल से संबंधित देशभक्ति के गाने तथा अन्य कार्यक्रम के प्रसारण के लिए।

आकाशवाणी नागपुर से 'विविध भारती' कार्यक्रम

†१११५. **श्री बाल कृष्ण वासनिक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'विविध भारती' कार्यक्रम के प्रसारण के लिए आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र में एक ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे कब प्रसारण होने लगेगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :** (क) जी हां।

(ख) अप्रैल, १९६३ में।

भंडारा में आयुध कारखाना

†१११६. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २५ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भंडारा में एक आयुध कारखाना स्थापित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) :** सभी संयंत्र के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। कालोनी, उत्पादन तथा माल-उत्पादन भवनों का निर्माण कार्य समय पर पूरा हो जाने की आशा है। रेलवे साइडिंग का निर्माण अनुसूची के अनुसार हो रहा है। आशा है कि संयंत्र समय पर बन जायेगा तथा आयोजना के अनुसार काम करना शरू कर देगा।

स्वर्गीय श्री गोविंद वल्लभ पंत

१११७. श्री भक्त दर्शन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त का अधिकृत जीवन वृत्त और उनके चुने हुये लेखों व भाषणों का संग्रह प्रकाशित करने के बारे में अब तक क्या कायवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : इस बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मगर प० पन्त के महत्वपूर्ण भाषणों के संकलन के बारे में कुछ कार्य किया गया था। फिर भी इस मामले पर शीघ्र ही विचार किया जायेगा।

अमरीका में भारतीय जाति व्यवस्था के सम्बन्ध में टेलीवीजन 'डाक्युमेंटरी'

†१११८. **श्री हेम बरुआ :**
श्री प्रिय गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि भारतीय जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता की समस्या

---

†मूल अंग्रेजी में

पर ४ मार्च, १९६३ को अमरीका में नेशनल ब्राडकास्टिंग कम्पनी द्वारा एक टैलीविजन "डाक्युमेंटरी" दिखाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसको बहुत से देखने वालों ने भारत विरोधी प्रचार का सबसे खराब तरीका बताया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीका सरकार से इस मामले पर बातचीत की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जावहरलाल नेहरू) :** (क) अमरीका के ३ मार्च, १९६३ को नेशनल बाडकास्टिंग कम्पनी कार्यक्रम में टेलीविज़न पर भारत की जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता पर एक 'डाक्युमेंटरी फिल्म' दिखाई गई थी।

(ख) एक समाचार अभिकरण के समाचार में कहा गया था कि कुछ टेलीविज़न दर्शकों के ख्याल में इस फिल्म का टेलिविज़न पर दिखाया जाना अमरीका में किये गये भारत विरोधी प्रचार का सबसे अधिक खेदजनक उदाहरण था।

(ग) क्योंकि कार्यक्रम अमरीका की टी०वी० की गैर-सरकारी संस्था द्वारा प्रसारित किया गया था इसलिए अमरीका सरकार से बातचीत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। परन्तु भारत सरकार ने वाशिंगटन में भारतीय दूतावास से कहा है कि वह नेशनल ब्राडकास्टिंग कम्पनी के हैडक्वाटर से इस विषय में बातचीत करे। दूतावास से यह भी कहा गया है कि वह एन० बी० सी० से यह कहे कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों का प्रदर्शन न किया जाये।

सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड

१११९. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ३ सितम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिला सैनिक, नाविक व वैमानिक बोर्डों के जिन कर्मचारियों को फरवरी, १९६२ का वेतन नहीं मिल पाया था, क्या इस बीच उन्हें वेतन दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस मास के वेतन की अदायगी कब की गई ; और

(ग) उन कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन दिये जाने के बारे में अब स्थिति में कहां तक सुधार हो गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) तथा (ख). उत्तर प्रदेश के विभिन्न, सैनिकों, नाविकों तथा नभ-सैनिकों के बोर्डों के कर्मचारियों को फरवरी १९६२ की तन्खाह बांटने के लिए, आवश्यक राशिएं उत्तर प्रदेश राज्य के सैनिकों, नाविकों तथा नभ-सैनिकों के बोर्ड द्वारा, विभिन्न जिला बोर्डों को २० मार्च १९६३ को भेजी गई थी। इसलिए कर्मचारियों को फरवरी १९६२ की तन्खाह अब तक मिल जानी चाहिए।

(ग) जैसे पिछले, उल्लिखित प्रश्न में बताया गया है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार, जिला सैनिकों नाविकों तथा नभ-सैनिकों के बोर्ड को एक स्थायी राज्य संस्था बनाने का सुझाव मान ले, और उन पर होने वाले सारे खर्च को प्रारम्भिक-तौर पर, अपने राजस्व से स्वयं सहन करले, तो स्थिति सुधर सकती है। यह सुझाव उनके विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

श्री बी० पटनायक द्वारा वाशिंगटन में दिया गया कथित वक्तव्य

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न-लिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उन से निवेदन करता हूं कि वह उस पर अपना वक्तव्य दें :—

"श्री बी० पटनायक द्वारा वाशिंगटन में भारतीय सेना की शक्ति, सीमा क्षेत्रों में रडार उपकरण और अमरीका से गतप्रयुक्त और अतिरिक्त वायुयान खरीदने की योजना के सम्बन्ध में दिया गया कथित वक्तव्य।"

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान्, मुझे प्रसन्नता है कि मुझे इस विषय पर जिसने जनता के मस्तिष्क में उलझन पैदा कर दी थी बोलने का मौका मिला। मैं इस बात को मानता हूं कि जब मैं ने उड़ीसा के मुख्य मंत्री श्री बी० पटनायक की वाशिंगटन में हुई एक भेंट के सम्बन्ध में अखबारों में पढ़ा तब मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और कुछ दुःख भी हुआ। मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सका कि जिसे भेंट कहा गया है वह वास्तव में सच है। मैं ने उस कथित भेंट के बारे में कई अखबारों में पढ़ा और मुझे पता चला कि उन में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। अमरीका के अखबारों में जो कुछ छपा था उसका भी हवाला हमें मिला है। यह हवाला भी जो कुछ भारत के अखबारों में छपा था उससे अलग था। हमारे प्रतिरक्षा मंत्री के बारे में जो कुछ कहा गया था उससे मुझे खास तौर से दुःख हुआ।

कल सुबह श्री बी० पटनायक अमरीका से लौट कर दिल्ली आ गये। मैं ने उन्हें बताया कि उन की भेंट के विषय में भारतीय अखबारों में क्या छपा है और इस बात से किस प्रकार हम लोगों को ताज्जुब और दुःख हुआ है, खास तौर से प्रतिरक्षा मंत्री के सम्बन्ध में कही गई बात से।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : भूतपूर्व या वर्तमान।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : दोनों।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन्होंने जवाब दिया कि इन में से कुछ खबरों को पढ़ कर उन्हें भी बहुत दुःख हुआ है। यह खबरें बिलकुल भी सच नहीं थीं और उन्होंने जो कुछ कहा और अमरीकी अखबारों के दिल्ली स्थित संवाददाता ने जो कुछ कहा उस में अन्तर है।

श्री पटनायक ने अमरीका के दो मुख्य अखबारों "**दि वाशिंगटन पोष्ट**" और "**दि वाल्टिमोर-सन**" के संवाददाताओं से एक साथ भेंट की थी। इस के अलावा "**क्रिश्चियन साइंस मोनिटर**" के दिल्ली स्थित संवाददाता ने भी कुछ कहा। वह दिल्ली से बाहर के लिये था। इस सब से मिल कर गड़बड़ हो गई और ऐसा मालूम होता है कि भारतीय अखबारों में जो कुछ छपा है वह श्री पटनायक ने कहा ही नहीं; बल्कि वह "**क्रिश्चियन साइंस मोनिटर**" के संवाददाता ने कहा है। श्री पटनायक जो श्री चह्वाण के खास मित्र हैं इन बातों को सुन कर बहुत दुःखी हुए।

वाशिंगटन में हुई भेंट में उन से पूछा गया कि श्री चह्वाण कैसा काम कर रहे हैं। उनका उत्तर था कि वह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न यह था "क्या प्रधान मंत्री युवा व्यक्तियों

---

†मूल अंग्रेजी में

को अपने नजदीक लाने की बात सोच रहे हैं ?" उन्होंने जवाब दिया "आप देखते ही हैं कि श्री चह्वाण प्रतिरक्षा मंत्री हैं । मैं अकसर दिल्ली जाता हूं । प्रधान मंत्री दूसरे युवा व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी सोचते होंगे ।" फिर यह पूछा गया कि श्री पटनायक दिल्ली कब जायेंगे । उन्होंने जवाब दिया "मेरा सम्बन्ध पूर्ण रूप से उड़ीसा से है और जब कभी समय आया मैं ही इसका निश्चय करूंगा ।" अर्थात् इस विषय का कि क्या वह उड़ीसा छोड़ कर जा सकते हैं । इसका कथित मंत्रिमंडल के पुनर्गठन अथवा श्री चह्वाण से कोई सम्बन्ध नहीं ।

श्री पटनायक से भारत की रडार सम्बन्धी व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछा गया था और यह भी पूछा गया था कि क्या इन रडारों को ढाका स्थित रडारों के साथ ही बढ़ाया जा सकता है ? उन्होंने जवाब दिया कि चूंकि यह रडार सीटो क्षेत्र में है इसलिये इस बात से कुछ उलझनें उत्पन्न हो जायेंगी ।

श्री पटनायक को प्रधान मंत्री का खास राजदूत कहा गया है । यह भी ठीक नहीं है । वह मेरे और मंत्रिमंडल की आपातकालीन समिति के अनुमोदन से वाशिंगटन गये थे और हम ने उन से हमारी प्रतिरक्षा समस्याओं के कुछ पहलुओं पर जांच पड़ताल के रूप में बातचीत करने के लिये कहा था । इस बातचीत में श्री पटनायक ने हमारी वायु सेना की रडार सम्बन्धी आवश्यकताओं, संचार सुविधाओं, वायुयान और अत्यावश्यक प्रतिरक्षात्मक उपकरणों की चर्चा की थी । उन्होंने सीटो से गठबंधन के सम्बन्ध में नहीं कहा और यह भी नहीं सुझाया कि अमरीकी गतप्रयुक्त वायुयान या उपकरण हमारी आवश्यकताओं के लिये काफी होंगे ।

श्री पटनायक की चर्चा निश्चय ही आम और अनौपचारिक थी । वह अमरीकी प्रशासन विभाग के व्यक्तियों से भी मिले और भारत की सुरक्षा और राज्य क्षेत्रीय एकता के प्रति वर्तमान और भावी धमकियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिये हमारी औद्योगिक और प्रतिरक्षा सम्बन्धी क्षमता के निर्माण से सम्बन्धित कार्यक्रमों के विषय में भी वहां के सीनेटरों और कांग्रेसमैनों से बातचीत की । इस धमकी का मुकाबला करने के लिये भारतीय वायु सेना को सशक्त बनाने के विषय में भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की । उन्होंने प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामग्री अथवा उपकरणों को उपलब्ध कराने के विषय में किसी योजना अथवा परियोजना के सम्बन्ध में अमरीकी प्राधिकारियों से चर्चा नहीं की । अमरीका में उन के जाने से वहां के लोग हमारी वर्तमान राष्ट्रीय प्रतिरक्षा की समस्या को अधिक अच्छी तरह समझने की स्थिति में हो गये हैं । उन्होंने हमारी सैनिक तैयारियों के विषय में कुछ ऐसे ब्यौरों का उल्लेख किया है जिन्हें हम आम तौर पर जनता को नहीं बताते । किन्तु सामान्य रूप से ऐसी कोई बात नहीं कही गई जिसे यहां के लोग नहीं जानते । ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने कुछ कुछ अमरीकी सैनिक अधिकारियों की जनता को अपनी सैनिक तैयारियों के विषय में बहुत अधिक जानकारी देने की पद्धति को अपनाया है ।

श्री पटनायक श्री चह्वाण से मिले थे और उन्हें यह बता दिया गया है कि दिल्ली में मंत्रिमंडल के पुनर्गठित होने सम्बन्धी सारी खबरें दिल्ली स्थित "क्रिश्चियन साइंस मोनिटर" के संवाददाता द्वारा दी गई हैं और उनका उन खबरों से कोई ताल्लुक नहीं है । यह संवाददाता द्वारा किया गया एक दुर्भाग्यपूर्ण अनुमान था जिसका कोई आधार नहीं है ।

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, यह हिन्दुस्तानी में देश की राष्ट्रभाषा में भी पढ़ा जाना चाहिए . . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं ने भी कौलिंग एटैंशन नोटिस दिया है। अगर मैं दिये गये स्टेटमैंट को समझूंगा नहीं तो उस के बारे में मैं प्रश्न क्या करूंगा ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानते हैं कि रोज़ का हमारा प्रोसीज्योर है कि अगर पहले नाम जिसका है उसका सवाल अंग्रज़ी में है तो उसका जवाब अंग्रेज़ी में आयेगा और अगर पहले नाम हिन्दी वाले का है तो हिन्दी में जवाब दिया जायेगा।

श्री बागड़ी : अंग्रेज़ी में ट्रान्सलेट कर दिया जाता है, क्या उसी तरह अंग्रेज़ी के स्टेटमैंट का हिन्दी में अनुवाद नहीं किया जा सकता ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य अब बैठ जांय। वे जानते हैं कि जिस तरीके से हिस्टौरिकल डेवलपमैंट हो रहा है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चैंज ओवर हो रहा है। पिछली लैंग्वेज अंग्रेज़ी चूंकि चली आ रही है, कामकाज उस में हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि यह अंग्रेज़ी से हिन्दुस्तानी में चेंज ओवर आहिस्ता आहिस्ता हो और हिन्दुस्तानी उसकी जगह आगे चल कर ले, इस वास्ते हम को तर्जुमा करवाना पड़ता है। लेकिन अगर हम हर एक चीज़ का तर्जुमा करवायेंगे तो उस में इतना अधिक समय लगेगा जोकि हम ख़र्च नहीं कर सकते हैं।

श्री बागड़ी : यह ख़ाली मेरी बात नहीं है सारे देश की बात है। अब इस तरह के महत्वपूर्ण मामले को अगर मैं समझूंगा नहीं तो उस पर प्रश्न क्या करूंगा ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने पास में बैठ हुए साथी से पूछने की कोशिश करें।

श्री बागड़ी : क्या वे मुझ से ज्यादा पढ़े लिखे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है कि आप अंग्रज़ी समझ सकते हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को देखते हुए कि श्री पटनायक ने वाशिंगटन में कुछ वक्तव्य दिये थे जिन में से कुछ का पुष्टीकरण प्रधान मंत्री ने भी कर दिया है, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि श्री पटनायक के वाशिंगटन जाने से पूर्व उन्हें हमारी नीतियों, प्रतिरक्षा आवश्यकताओं और उन के प्रतिरक्षा मंत्री की मूल महत्वाकांक्षा से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी दे दी गई थी और क्या उन से प्रतिरक्षा सम्बन्धी जानकारियों को गुप्त रखने के सम्बन्ध में शपथ ले ली गई थी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न का अंशत: उत्तर दिया जा चुका है। शेष बातों का भी उत्तर दिया जाये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य ने फिर कुछ लांछन लगाये हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** नहीं यह लांछन नहीं। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य ने कहा था "उनकी मूल महत्वाकांक्षा"।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं उन से स्तष्ट उत्तर चाहता हूं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह लांछन है।

†**श्री हेम बरुआ :** नहीं यह स्पष्ट बात है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता। यदि माननीय सदस्य को 'लांछन' शब्द पर आपत्ति है तो मैं कहूंगा कि यह आरोप है। यह शब्द अधिक स्पष्ट है।

†**श्री हेम बरुआ** : आप बिना ऐसा कोई शब्द प्रयोग किये ही काम चला सकते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य बिना लांछन लगाये हुए जिनका प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है, सीधा ही प्रश्न क्यों नहीं पूछ लेते ?

†**श्री हेम बरुआ** : उत्तर तो दिया ही नहीं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य ने मुझसे दो प्रश्न पूछे। पहला तो यह था कि क्या उन्हें पर्याप्त जानकारी दे दी गई थी। मैं उनसे कह सकता हूं कि वह हमारे प्रतिरक्षा मंत्रालय के कार्यों के जनरलों, मंत्रालय समितियों और कुछ सीमा तक विदेशों से यहां आने वाले दलों के भी निकट सम्पर्क में रहे हैं और संभवत इतने निकट सम्पर्क में रहे हैं जितने हम लोग हैं।

जहां तक उनके शपथ लेने का प्रश्न है, उन्होंने निश्चय ही कोई शपथ नहीं ली। ऐसे मामले में शपथ लेने का प्रश्न न उत्पन्न होता है न हुआ। मैंने यही कहा था कि उन्होंने कुछ ऐसी जानकारी दी है जिसे हम आम रूप में यहां नहीं देते क्योंकि हमें सुरक्षा का अधिक ध्यान है। किन्तु अमरीका में ऐसी जानकारी देने की सामान्य प्रथा है ; और यह जानकारी जानबूझ कर दी जाती है। जैसा कि मैंने कहा था उन्होंने अमरीकी प्रथा को अपना कर कुछ जानकारी दी थी। वास्तविक बात यह है.....

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह उचित था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इन प्रश्नों का पृथक पृथक निश्चय किया जाना है। इनमें से कोई बात ऐसी नहीं है जो आम तौर से यहां भारत में विदित नहीं।

†**श्री हेम बरुआ** : नहीं, श्रीमान्।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सरकारी तौर पर इसे नहीं कहा गया है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सभा को भी नहीं बताया गया है।

†**श्री हेम बरुआ** : संसद की तो बात ही क्या देश में किसी को भी इसका पता नहीं। इसलिये यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि उन्होंने सेना की शक्ति संबंधी कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें सामान्यतया सरकार यहां नहीं बताती।

†**श्री हेम बरुआ** : रडार और अन्य बातों के सम्बन्ध में क्या उत्तर है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उसका भी उत्तर दिया जा चुका है।

†**श्री हेम बरुआ** : उसे यहां नहीं बताया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस प्रश्न को पृथकत: पूछा जा सकता है। क्या किसी अन्य सदस्य को प्रश्न पूछना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। यहां पर जानकारी यह कह कर नहीं दी जाती कि यह लोक-हित में नहीं है। किन्तु वही जानकारी प्रधान मंत्री के दूत अमरीका में जाकर देते हैं। यह कहां तक उचित है ?

†**श्री हेम बरुआ** : वह हमारे संघीय मंत्रियों में से नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि अपने अधिकारों की सीमा में ही रहें और बार बार हस्तक्षेप न करें।

जहां तक औचित्य के प्रश्न का संबंध है, यह प्रश्न कई बार उठाया जा चुका है और मैं भी इससे सहमत हूं कि जो जानकारी यहां नहीं दी जाती उसका वहां दिया जाना उचित नहीं था। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं।

†**श्री राजेश्वर पटेल** (हाजीपुर): श्रीमान् एक और औचित्य का प्रश्न है। प्रधान मंत्री ने कहा था कि श्री पटनायक ने अमरीकी प्रथा को अपनाकर ही वह जानकारी दी थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे दूत हमारे देश की अथवा जिस देश में वह जाते हैं उस देश की प्रथा के अनुसार कार्य करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ मैंने कहा है वह श्री पटनायक द्वारा कही गयी बातों के दोनों पहलुओं के संबंध में है। वहां कुछ भी प्रक्रिया, रूढ़ी अथवा परम्परा हो श्री पटनायक को यहां की प्रथा के अनुसार ही कार्य करना था।

†**श्री राजेश्वर पटेल** : मैंने केवल यही नहीं पूछा था कि उन्होंने क्या किया, अपितु मैं यह भी जानना चाहता था कि भविष्य में क्या किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पृथक प्रश्न है।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (बिजनौर) : प्रधान मंत्री महोदय ने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अनुदानों पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए एक बात यह कही थी कि श्री विजयानन्द पटनायक अमरीका जा रहे थे अपने राज्य के संबंध में कुछ सहायता प्राप्त करने के लिए और उसी समय हम ने उन को केन्द्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपी। अब तक की परम्परा यह रही है कि विदेशों से जो सहायता प्राप्त की जाती है, वह केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्राप्त की जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों और उनके मुख्य मंत्रियों को यह छूट दे दी है कि वे अपने अपने प्रान्तों के संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिये दूसरे देशों से सीधी बात चीत करें।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल तो इससे अलाहदा है।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : जी नहीं। यह इसी से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों ने कांलिग एटेन्शन नोटिस पर अपने नाम दिये हैं, क्या उनमें से कोई सवाल पूछना चाहते हैं ?

†**श्री प्रिय गुप्त** : श्रीमन्, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। जब ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तब मेरा नाम भी वहां था। आपने कहा था कि जिसका काम वहां है उसे नहीं बुलाया जायेगा। और आज आप कहते है कि जिनके नाम वहां थे उन्हें ही बुलाया जायेगा। इनमें कौन सी बात ठीक है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** इन दोनों बातों में मुझे कोई विरोध दिखाई नहीं देता। जिनके नाम वहां है उनका निहित अधिकार नहीं है और मैं उनमें से प्रत्येक को बुलाने के लिये बाध्य नहीं हूं। किन्तु कुछ अन्य खड़े हुये थे और मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि वह प्रयत्न न करे क्योंकि मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा। दोनों बातें अलग हैं।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस लिये यह कोई नियम नहीं होना चाहिये कि जिस माननीय सदस्य का नाम उस में न हो, वह सवाल नहीं पूछ सकता है। जब कोई प्रश्न इस सदन के सामने आता है, तो वह इस सदन की प्रापर्टी बन जाता है और इस सदन के माननीय सदस्यों और विशेषकर विरोधी सदस्यों, का सही बातें और सूचना निकालने का जो अधिकार होता है वह आप के आदेश से समाप्त हो जाता है। इस लिये मेरा निवेदन है कि आप इस तरह की परम्परा न डालें और इस तरह की महत्वपूर्ण बातों पर प्रश्न पूछने का ज्यादा से ज्यादा मौका दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री कपूरसिंह।

†**श्री कपूर सिंह :** प्रधान मंत्री ने जो समाचार पत्रों प्रतिनिधि का उल्लेख किया था वह कहीं उनके मन की ही बात तो नहीं थी।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** मैंने वक्तव्य में कहा था कि मैंने पढ़ा था कि यह निराधार है।

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि हमारे देश के डिफ़ेंस के बारे में जो बातें हिन्दुस्तान की जनता भी इस सदन की मार्फ़त नहीं जान सकी, क्या कोई उन बातों को इस नाते से कह सकता है कि किसी दूसरे मुल्क की ऐसी ट्रैडीशन है या ऐसा तरीका है। अगर वहां पर ऐसी कोई ट्रैडीशन थी, तो क्या श्री पटनायक उस के बारे में पहले सलाह मश्वरा कर के गए थे कि वहां पर यह बात कहनी है ? वहां के अख़बार में श्री पटनायक के प्रधान मंत्री और डिफ़ेंस मिनिस्टर बनने की बात छप गई थी। क्या श्री पटनायक ने उस का कान्ट्राडक्शन किया और कहा कि यह बात ग़लत छपी है ?

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त कोई तकरीर नहीं हो सकती है।

श्री बागड़ी : मैं तकरीर नहीं करना चाहता हूं। मैं इन बातों का जवाब चाहता हूं। वह अमरीका में प्रधान मंत्री बनने की बात करते हैं।

श्री जवाहर लाल नेहरू : मैं कोशिश करूंगा उनके सवालों का जवाब देने की आख़िर तक। मगर इतने सवाल मिल जाते हैं कि मुझे याद ही नहीं रह जाता है कि क्या क्या सवाल उन्होंने किए। जहां तक मुझे याद है उन्होंने कहा है कि वहां जाने के पहले क्या उनको बता दिया गया था कि क्या कहें और क्या न कहें ? यह तो नामुम्किन है एक एक लफ़्ज़ बताना और एक एक न बताना। जैसा मौका होता है, कहा जाता है।

दूसरी बात जो उन्होंने कही उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हालांकि जैसे मैंने कहा जाब्ते से हम ने यहां लोक सभा के सामने उसको पेश नहीं किया है, लेकिन उनकी चर्चा काफ़ी दिनों से यहां अख़बारों में और दूसरी जगहों पर हो रही है .....

† **श्री हेम बरुआ :** यहां नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने कहा है कि हिन्दुस्तान के अख़बारों में हो रही है कि कितनी हमारी फ़ौज बढ़ाई जा रही है, किस किस तरह के हथियार हमें चाहिये . . . (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री हेम बरुआ :** प्रश्न । इसने हमारे राष्ट्रीय सम्मान पर प्रभाव डाला है ।

श्री बागड़ी : सरकारी तौर पर तो नहीं बताया गया है. . .

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि अख़बारों वग़ैरह में हो रही है । इसकी निसबत ज़ाहिर है हमारी बातें जो यहां अमरीका की टीम्ज़ वग़ैरह आईं उन से भी हुई हैं क्योंकि उन से कई बातें तय करनी थीं हथियारों वग़ैरह की निसबत । क्या कहें और क्या न कहें ख़ामख़ाह के लिए, यह उनकी समझ पर छोड़ दिया जाता है । बाक़ी यह है कि जो उन्हों ने कहा उससे हमें कोई नुक्सान नहीं हुआ है किसी किस्म का . . .

†**श्री प्रिय गुप्त :** श्री पटनायक द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित विवरण के खंडन के विषय में क्या स्पष्टीकरण है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : ख़ैर, इस में कई रायें होती हैं कि कितना कहा जाए और कितना न कहा जाए । मुमकिन है कि हमारी डिफ़ेंस मिनिस्ट्री ने ज़रा ज्यादा इन बातों में ख़ामोशी अख़्तयार की हो । मुम्किन है कि यह भी राय हो कि लोगों को मालूम हो जाना चाहिये और इससे कुछ फायदा ही होता है । असली बात जो नहीं बताई जाती है यह है कि कितनी फौज कहां रखी जाती है, कहां हो . . .

अध्यक्ष महोदय : सवाल का पर्टिकुलरली वह हिस्सा जो था कि इतने डिविज़न रेज़ कर रहे हैं, इतनी स्ट्रेंग्थ हो रही है, उसके बारे में . . .

श्री बागड़ी : कंट्रेडिक्शन क्यों नहीं किया गया. . .

श्री जवाहरलाल नेहरू : कंट्रेडिक्शन हो नहीं सकता था . . .

†**श्री हेम बरुआ :** एक औचित्य का प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** पहले उत्तर देने दिया जाए . . . (**अन्तर्बाधायें**) ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : कंट्रेडिक्शन हो नहीं सकता था । अगर माननीय सदस्य ज़रा ठहराम आने पर करें तो ज्यादा उनकी समझ में आ जायेगा । दो रोज़ यह हवाई जहाज़ में सवार थे जिस वक्त यहां के अखबारों में यह निकला । वह किस तरह से कंट्रेडिक्शन कर सकते थे । यहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि यहां के अख़बारों में इस तरह की चीज़ें निकली हैं . . .

श्री प्रिय गुप्त : चीफ़ मिनिस्टर डेली अख़बार नहीं देखते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** कुछ सीमा होनी चाहिये ।मुझे यह कहते हुए खेद होता है । माननीय सदस्यों को कुछ प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना चाहिए । एक ओर तो वे कहते हैं कि यह अत्यधिक गंभीर प्रश्न है और दूसरी ओर वह ऐसे कार्य करते हैं जो सभा की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं । यह निन्दनीय है . . . (**अन्तर्बाधायें**)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम सहाय पांडेय** (गुना) : : इतना शोर हो रहा है कि हम कुछ भी नहीं सुन सकते (**अन्तर्बाधायें**)

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । क्या माननीय सदस्य अध्यक्ष को भी बोलने का अवसर देना नहीं चाहते ? एक दिन मेरी पौत्री संसद का सत्र देखने आई थी और उस ने यह कहा कि मेरा काम केवल "शांति, शांति" कहना है और उसे भी कोई नहीं सुनता । एक बच्ची को यहां के कार्य के बारे में यह विचार है । यह अत्यन्त खेद की बात है ।

†**श्री हेम बरुआ :** वह बच्ची है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** किन्तु उस के ऊपर यह प्रभाव यहां के आचरण द्वारा पड़ा है ।

†**श्री हेम बरुआ :** मेरा एक औचित्य का प्रश्न है । आप ने यह विनिर्णय दिया था कि श्री पटनायक द्वारा अमरीका में कुछ जानकारी देने का कार्य अनुचित नहीं था । फिर भी प्रधान मंत्री, श्री बागड़ी के प्रश्न का उत्तर देते समय, उन का बचाव करने का प्रयत्न कर रहे थे । क्या अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय पर आपत्ति उठाई जा सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य निस्सन्देह यह जानते है कि सभा में अध्यक्ष के विनिर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती । प्रश्न यह है कि क्या सभा में उसे चुनौती दी गई है ? मेरा मत है कि ऐसा नहीं किया गया । में श्री कामत से सहमत हूं । प्रधान मंत्री ने निश्चय ही यह कहा था कि श्री पटनायक ने कुछ ऐसी बातें कही है जिन से देश में सब को खेद हुआ है । स्पष्टीकरण करने के बाद भी में ने यह कहा था कि जो कुछ भी जानकारी दी गई है वह भी उचित नहीं है चाहे किसी भी संदर्भ में कही गई हो ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** (कलकत्ता मध्य) : कुछ प्रश्न हैं जिन पर मैं आप से पथप्रदर्शन चाहता हूं . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री मुकर्जी का नाम यहां नहीं है । में उन्हें कोई प्रश्न पूछने या स्पष्टीकरण चाहने की अनुमति नहीं दे सकता ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** में प्रधान मंत्री के उत्तर के सम्बन्ध में कुछ नहीं पूछना चाहता ; किन्तु संसद के कार्य संबंधी कुछ औचित्य के विषय में आप का मत जानना चाहता था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह बाद में मेरे पास आयें, हम इस विषय में चर्चा कर लेंगे ।

श्री बागड़ी : मेरे आधे सवाल का जवाब नहीं दिया गया है । कहा जाता है कि पटनायक जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल कर बता सकूंगा कि अभी डिफेंस मिनिस्टर बनूं या न बनूं और आगे चल कर प्रधान मंत्री बनूं, इस का जवाब नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इस के बारे में जवाब दे चुके हैं और वह जवाब आप के ध्यान में है ।

त्रिरुची-रोणी एक्सप्रेस और एक बस में हुई दुर्घटना

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्री जी का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूं और चाहता हूं कि वह अपना वक्तव्य दें :—

---

†मूल अंग्रेजी में

"१२२ डाउन तिरुच्चिरापल्ली-रेणिगुंटा एक्सप्रेस और एक बस के बीच दुर्घटना जिस के फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई व्यक्तियों को चोटें आईं।"

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : २१-३-६३ को तड़के लगभग ४ बज कर १२ मिनट पर जब १२२ डाउन तिरुच्चिरापल्ली-रेणिगुंटा एक्सप्रेस गाड़ी गुन्तकल्लु. . .

श्री बागड़ी : (हिसार) : इस का उत्तर तो हिन्दी में पढ़वा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : हिन्दी में ही तो पढ़ रहे हैं।

श्री राम सेवक यादव : शोर इतना ज्यादा हो रहा है कि पता ही नहीं चलता है . . .

अध्यक्ष महोदय : यही तो मेरी शिकायत है कि शोर बहुत ज्यादा हो रहा है।

श्री शाहनवाज खां : २१-३-६३ को सुबह लगभग ४ बज कर १२ मिनट पर, जब १२२ डाउन तिरुच्चिरापल्ली-रेणिगुंटा एक्स्प्रेस गाड़ी गुन्तकल्लु डिवीजन के पाकाला-रेणिगुंटा मीटर लाइन सेक्शन के चन्द्रगिरि और तिरुपति ईस्ट स्टेशनों के बीच मील नं० १६५/६-७ के समपार (लैवेल क्रासिंग) से गुजर रही थी, उसी समय एक सवारी मोटर बस समपार से गुजरी और गाड़ी के इंजन से टकरा गयी। इस समपार पर चौकीदार तेनात है और इस पर अन्तर्पाश (इंटरलाकिंग) की व्यवस्था नहीं है।

टक्कर लगने से बस उलट गयी और उस में बैठे हुए २३ यात्री घायल हो गये। मरहम पट्टी के बाद घायलों को आगे इलाज के लिये तिरुपति के सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया। इन में से एक आदमी मर गया। दूसरे ३ यात्रियों को गहरी और बाकी १९ को मामूली चोटें आयीं।

रेल गाड़ी के कर्मी दल (क्रिउ) या रेल यात्रियों को कोई चोट नहीं आई। रेल गाड़ी के इंजन को मामूली नुक्सान पहुंचा।

सूचना मिलते ही रेलवे के डाक्टर तुरन्त घटनास्थल के लिए रवाना हो गए और कुछ ही देर में वहां पहुंच गए। डाक्टरी सहायता गाड़ी भी तुरत घटना स्थल पर भेज दी गयी।

दुर्घटना में जो आदमी मर गया और जिन लोगों को सख्त चोटें आईं, उन के निकट सम्बन्धियों को अनुग्रह के रूप में कुछ रकम देने की व्यवस्था की गयी है।

दुर्घटना के कारण की जांच करने के लिए सीनियर स्केल अफ़सरों की एक कमेटी नियुक्त की गई है और जांच की जा रही है।

आखिरी सूचना जो मिली है, उस के अनुसर जिन आदमियों को मामूली चोटें आई थीं, उन में से बारह को अस्पताल से छुटटी दे दी गई है। मालूम हुआ है कि जिन लोगों को सख्त चोटें आई थीं, उन की हालत में तसल्लीबख्श सुधार हो रहा है।

श्री राम सेवक यादव : लेवेल क्रासिंग्स पर बार बार यह दुर्घटनायें होती रहती है, कभी इंटर-लाकिंग की गड़बड़ी से और कभी इसलिए कि नीचे पुलों के वास्ते या सड़क के वास्ते स्टेट सरकारों का सहयोग नहीं है, इसलिए इस चीज को दूर करने के लिये मंत्रालय की तरफ से अब तक क्या कदम उठाये गये, और उस को लेने में वह कहां तक सफल हुआ ? यदि सफल नहीं हुए तो उस के लिए और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : जैसा माननीय सदस्य को मालूम है, इस देश में लगभग १६,००० ऐसी लेवेल क्रासिंग्स हैं, जिन के ऊपर आदमी तैनात नहीं हुए हैं । रेलवे ने एक सर्वे किया और जहां पर ज्यादा ट्रैफिक है ऐसी लेवेल क्रासिंग्स पर आदमी तैनात करने के लिए १२०० लेवेल क्रासिंग्ज़ के गेट्स को चुना गया । स्टेट गवर्नमेंट्स से सिफारिश की गई है कि इस पर जो खर्चा होगा उस में वे रेलवे के साथ हिस्सा बटायें । बहुत सी लेवेल क्रासिंग्स ऐसी हैं जिन पर हम ने अपने खर्चे से चौकीदार बिठला दिए है । यहां पर मैं यह भी अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो अनमेन्ड लेवेल क्रासिंग्स हैं, जहां पर चौकीदार नहीं होता है, उनको पार करते वक्त जो मोटर बस या मोटर लारियां चलाने वाले है उनको भी देखना चाहिये कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है । यह तो एक मामूली सी खबरदारी है जिस को हर एक मुसाफिर को, हर एक मोटरगाड़ी या दूसरी गाड़ी चलाने वालों को देखना चाहिये ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : क्या मैं जान सकता हूं कि इस ऐक्सिडेंट की तहकीकात रेलवे के सिक्योरिटी स्टाफ के द्वारा कराई जा रही है या रेलवे बोर्ड के अफसरान इसकी तहकीकात कर रहे हैं ?

श्री शाह नवाज़ खां : मैंने अर्ज किया है कि रेलवे के सीनियर स्केल आफिसर्स इसकी जांच कर रहे हैं । सिक्योरिटी स्टाफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री बागड़ी : मैं जानना चाहता हूं कि जहां पर आम रास्ते हैं और आमदरफ्त बहुत है, वहां पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए जो रेलवे मंत्री ने बार-बार एलान किया है कि उसका ५० परसेंट राज्य सरकारें दें, और मिसाल के तौर पर मैं बतलाऊं कि हिसार में जो रेलवे ब्रिज बनाने की बात है, उसका ५० परसेन्ट वहां की मिनिस्ट्री और म्युनिसिपैलिटी देने के लिए तैयार है, और इसके लिये मने चिट्ठी भी लिखी है मंत्रालय को वह सिर्फ जबानी बात है या कोई स्पेशल केसेज़ हैं उन में वह ऐसा कर रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : माननीय सदस्य ने मुझे जो चिट्ठी लिखी थी उसका जवाब मैंने उन्हें दे दिया है । उन्हों ने मुझे लिखा था कि मैं पंजाब गवर्नमेंट को लिखूं । मने उनको लिखा है । अगर वह पैसा देने के लिए तैयार होंगे तो वहां ओवर ब्रिज बन जायेगा ।

श्री बागड़ी : अगर म्युनिसिपैलिटी दे तो हो जायेगा या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : कोई दे उनको । वह आधा देने के लिए तैयार हों ।

श्री स्वर्ण सिंह : जी हां, वहां की म्यूनिसिपैलिटी दे, पंजाब गवर्नमैंट दे । लेकिन इस में आधे का सवाल नहीं है, ऐप्रोच रोड और ब्रिज का सवाल है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वर्ष १९६२ के लिये प्रशासकीय सतर्कता विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) :** श्रीमान्, मैं वर्ष १९६२ के लिये प्रशासकीय सतर्कता विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० १०२५/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: श्रीमान, मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) दिनांक ९ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २६९ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, १९६३ ।

(२) दिनांक १६ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २९७ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १०२६/६३]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

सचिव : मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र में पास किये गये और १८ फरवरी, १९६३ क सभा को दिये गये अन्तिम प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६३

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६३

(३) विनियोग विधेयक, १९६३

(४) केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६३

(५) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६३

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि गुजरात राज्य के राजकोट निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित लोक सभा के सदस्य, श्री उ० न० ढेबर, ने २१ मार्च, १९६३ से लोक सभा में अपने स्थान से त्याग पत्र दे दिया है ।

श्री बागडी द्वारा कही गई बातों के बारे में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : अध्यक्ष महोदय, शनिवार, २३ मार्च, १९६३ को आयव्ययक पर चर्चा के समय, श्री बागड़ी ने मेरे विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे जिनका तथ्यों के साथ बिल्कुल संबंध नहीं है और जिनसे मानहानि होती है । उन्होंने इसी प्रकार के अनिश्चित और व्यापक प्रहार मंत्रिमंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों पर किये । यदि ऐसी बातें संसद् के बाहर कही जातीं तो व्यवहार अथवा दंड विधि के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जा

---

†मूल अंग्रेजी में

सकती थी। क्योंकि संसद् के अन्दर कही गई बातों के लिये विशेषाधिकार प्राप्त हैं; अतः मैं सभा के सम्मान को बनाये रखने के लिये और जिन व्यक्तियों पर ऐसे प्रहार किये जाते हैं उनकी प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये, ऐसे अनियत और अनुचित आरोपों के विरुद्ध आपका संरक्षण चाहता हूं। इसलिये मैं आप से अनुरोध करता हूं कि इन आरोपों की जांच की जाय, और पहुंचाई गई हानि के निवारण के लिये और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के प्रयोजन से आप जो कार्यवाही आवश्यक समझें वह करें।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्योंकि यह वक्तव्य वाद-विवाद में अभिलिखित है, इसलिये मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वह श्री बागड़ी के पूर्ण वक्तव्य को और जो आरोप उन्होंने लगाये हैं उनको मुझे भेज दें। इसके साथ ही साथ, मैं श्री बागड़ी से कहूंगा कि वह अपनी व्याख्यायें, और अपने वक्तव्य अथवा आरोपों के संबंध में जो भी सबूत उनके पास हों, मुझे भेज दें। मैं दोनों का अध्ययन करूंगा और किसी कार्यवाही की आवश्यकता पर विचार करूंगा।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : अध्यक्ष महोदय, मैं औचित्य प्रश्न उठाता हूं। मेरा अनुरोध है कि आपत्तिजनक वक्तव्यों संबंधी मामले, विशेषतया जब यह मानहानिकारक हों, प्रथा के अनुसार सभा में औचित्य प्रश्न उठा कर और आपका विनिर्णय प्राप्त कर के सुलझाये जाते हैं। या तो आप वक्तव्य के उस भाग को निकाल देते हैं या आप सदस्य से कहते हैं कि वह उन्हें वापिस ले लें। यही सामान्य प्रक्रिया है। माननीय मंत्री द्वारा सुझाई गई रीति ठीक नहीं है। मेरा अनुरोध है कि पहली प्रथा को ही इस मामले में कायम रखा जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : आपने यह धारणा कैसे बना ली कि मैं जांच करवाऊंगा? मैंने तो केवल दोनों पक्षों के कथनों को मांगा है।

†**श्री रंगा** (चित्तूर): अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि आप द्वारा दी गयी राय सभा में गत वर्षों की प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है। इससे सभा के सदस्यों के सम्मान तथा विशेषाधिकार को आघात पहुंचेगा। गत वर्षों में यह प्रक्रिया रही है कि जिस सदस्य के विरुद्ध ऐसे आरोप लगाये गये वह उनका खंडन कर सकता था। और तत्पश्चात् यदि आप ने उचित समझा तो आप आपत्तिजनक कथनों को निकालने का आदेश दे देते थे। मैं आप से अनुरोध करता हूं कि सदस्यों के सम्मान तथा विशेषाधिकार को दृष्टि में रखते हुये आप किसी नयी प्रथा को चालू न करें और पूर्व की प्रथा का ही अनुसरण करें। माननीय मंत्री ने कह दिया है कि श्री बागड़ी द्वारा लगाये गये आरोप अनुचित हैं। अब यदि आप चाहें तो वाद-विवाद से इन कथनों को निकालने का आदेश दे सकते हैं। आप यदि चाहें तो दोनों सदस्यों की व्याख्याओं की मांग कर सकते हैं, परन्तु श्री बागड़ी के कथनों को वाद-विवाद से निकालने से अधिक कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–मध्य) : मंत्री महोदय का वक्तव्य मेरे लिये बहुत आश्चर्यजनक बात है।

वर्ष १९५४ में मैंने किसी मंत्री अथवा उपमंत्री के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे जिसका बाद में सम्बद्ध मंत्री अथवा उपमंत्री द्वारा खंडन किया गया। उस समय अध्यक्ष महोदय ने गुप्त रूप से मुझ से आरोपों के लिये सबूत मांगे थे, जो मैंने दे दिये थे। तब मंत्री अथवा उपमंत्री ने अपने बचाव पक्ष में कुछ व्याख्यायें भी दी थीं। परन्तु अध्यक्ष महोदय ने मेरे और मंत्री महोदय के कथनों को, व्याख्याओं सहित, सभा पटल पर रख कर वाद-विवाद में छपने दिया था। उस बारे में अध्यक्ष महोदय ने अपना विनिर्णय कुछ नहीं दिया था। उसके परिणाम सदस्यों पर छोड़ दिये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

वर्तमान मामले में श्री बागड़ी द्वारा कुछ आरोप लगाये गये जिनका खंडन मंत्री महोदय द्वारा कर दिया गया था। परन्तु आज मंत्री महोदय द्वारा यह वक्तव्य बना सम्बद्ध सदस्य के शुद्ध भाव पर गम्भीर लांछन लगाना है। मंत्री महोदय का वक्तव्य वाद-विवाद में छप जायेगा और प्रेस में भी आ जायेगा और इसके परिणामस्वरूप एक धारणा भी बन जायेगी, परन्तु सदस्य का वक्तव्य मालूम नहीं कितने समय पश्चात् सामने आयेगा।

मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को वक्तव्य देने की अनुमति देकर आपने उचित बात नहीं की। समस्या का समाधान केवल दोनों पक्षों के कथनों को सुनकर ही हो सकता है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं आपका ध्यान लोक सभा के कार्य संचालन के ३५२ और ३५३ नियमों की ओर आकर्षित करता हूं। नियम ३५२ के अनुसार कोई सदस्य मानहानिकारक बात नहीं कह सकता। परन्तु नियम ३५३ के अनुसार, यदि कोई सदस्य ऐसी बात कहता है जिससे मान-हानि होती है तो उस पर उसी समय आपत्ति की जानी चाहिये। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मंत्री महोदय किस नियम के अनुसार यह नयी प्रक्रिया चालू करने के लिये कह रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं नहीं समझ पाया कि मेरे द्वारा मंत्री और सदस्य से केवल तथ्यों और कथनों की मांग करने पर किस प्रकार आपत्ति की जा रही है। मैंने वाद-विवाद का अध्ययन किया है और जहां तक मैं समझता हूं एक निश्चित आरोप लगाया गया है कि मंत्री ने एक प्रयोगशाला से, जोकि उन के अधीन कार्य कर रही थी, बैटरी प्लेट मांगी, जो कि उनको दे दी गई। इस पर लेखा-परीक्षा संबंधी आपत्ति की गई, और सदस्य के पास उसकी एक फोटोस्टेट कापी है। यह बातें कही गई थीं। मैं मंत्री और सदस्य से कह रहा हूं कि वह मुझे तथ्यों संबंधी सूचना दें ताकि मैं उन्हें सभा के समक्ष रखने संबंधी निर्णय पर पहुंच सकूं। मैं यह भी देख सकूं कि उन में वास्तव में कोई आपत्ति-जनक बात है कि नहीं, और कि सदस्य के पास अपने द्वारा कही गई बातों के सबूत हैं कि नहीं। अन्यथा, मैं निश्चय करूंगा कि क्या किया जाना चाहिये। मैं ने अपने द्वारा अपनाये जाने वाले मार्ग के बारे में कोई पूर्णनिर्णय अथवा पूर्वधारणा नहीं दी। मैंने तो केवल तथ्यों की सूचना मांगी है। श्री मुकर्जी ने यह कह कर मेरा समर्थन किया है कि पहले एक अवसर पर इस प्रकार के मामले में सदस्यों को अपने अपने कथन भेजने के लिये कहा गया और बाद में दोनों के कथनों को सभा-पटल पर रख दिया गया, और कि मामला वहीं उसी स्थिति में छोड़ दिया गया था। उन्होंने यही बात अभी अभी की है। मैं तो केवल तथ्यों के लिये कह रहा हूं और यह पूछ रहा हूं कि वास्तव में क्या हुआ था। सदस्य ने कहा है कि उन के पास सारे सबूत हैं। क्या मैं यह जानने का अधिकारी नहीं हूं कि कौन से सबूत उनके पास हैं? मैंने किसी के विरुद्ध कार्यवाही तो नहीं की है। इस पर एक सदस्य यह भी कह रहे थे कि मैं स्वयं निर्णय करने का भार अपने ऊपर ले रहा हूं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** मंत्री और सदस्य ने जो कुछ कहना है उसके ऊपर निर्णय तो बाद में लिया जायेगा, परन्तु आज मंत्री के वक्तव्य द्वारा सदस्य के शुद्धभाव पर गम्भीर लांछन लगाया गया है। आज मंत्री महोदय को एक पक्षीय वक्तव्य का अवसर नहीं दिया जाना चाहिये था।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री ने केवल यह कहा है कि श्री बागड़ी का आरोप अनुचित था और कि उनका तथ्यों से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने अधिक से अधिक यही कहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : उन्हें एक पक्षीय वक्तव्य की अनुमति दी गई जो सभा की कार्यवाही का भाग बन जायेगा और समस्त संसार को परिचारित किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु श्री बागड़ी का वक्तव्य तो पहले से ही परिचारित किया जा चुका है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह आप के अधिकार में है कि आप शंकाओं को मिटाने के लिये कोई भी पग उठा सकते हैं, परन्तु मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि जब श्री बागड़ी बोल रहे थे तो क्या उस समय माननीय मंत्री ने या उनकी ओर से किसी ने उनके मानहानिकारक कथनों पर आपत्ति की थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आप को यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने माननीय उपाध्यक्ष महोदय से परामर्श किया था और उन्होंने कहा कि भाषा सचमुच आपत्तिजनक थी।

श्री रमासेवक यादव : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष महोदय : अब अगर इस मौक़े पर बागड़ी साहब उस स्टेटमैंट के बारे में जो कि उन्होंने किया था कुछ कहना चाहते हों तो मैं उनको भी इजाज़त दे देता हूं ।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं ने सुना कि जिस दिन जब बहस चल रही थी माननीय सदस्य श्री बागड़ी ने कुछ बातें कहीं और मंत्री महोदय ने जवाब देते हुए यह भी कहा कि मैं बागड़ी साहब से निवेदन करूंगा कि वह बैठे रहें और मैं जो उत्तर दूं उस को सुनें । मंत्री महोदय के उत्तर को उन्होंने सुना । लेकिन मंत्री महोदय आज जो यह ब्यान दे रहे हैं इसका मतलब है कि इस बीच उन्होंने कोई इनक्वायरी की होगी तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने बागड़ी जी से भी यह जानने की तक़लीफ़ की कि तुम्हारे पास कौन से सबूत हैं? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और कह रहे हैं कि सारी बातें ग़लत हैं । अब यह तो बिल्कुल एकतरफ़ा बात हो जायेगी....

अध्यक्ष महोदय : मैं बागड़ी जी को अगर वह इस पर कहना चाहें तो इजाज़त देता हूं ।

श्री रामसेवक यादव : अब मंत्री महोदय तो तैयार होकर आये हैं लेकिन बागड़ी साहब अभी कैसे बयान दे देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : कल तक दे देंगे ।

श्री रामसेवक यादव: यह तो बड़ा अन्याय होगा .....

अध्यक्ष महोदय : परसों दे देंगे ।

श्री त्यागी : मैं अर्ज करूंगा कि यह एक नया रिवाज़ पड़ रहा है कि पुरानी कही हुई बातों पर इस हाउस में दुबारा मुकद्दमा खोला जा रहा है । मेरा कहना है कि यह दुबारा मुकद्दमा खोलने का रिवाज़ नया है । इसलिए मैं यह अर्ज़ करूंगा कि इस पर आप ग़ौर कर लीजिये । अभी तक का रिवाज़ तो यह रहा है कि जब कभी ऐतराज़ के काबिल कोई तक़रीर करता है तो जिसके खिलाफ़ ऐतराज़ होता है वह उसी वक्त उसके खिलाफ़ प्रोटैस्ट करता है और वहीं मामला आप की रूलिंग से तय हो जाता है । लेकिन अगर पिछले मामलों पर आप रास्ता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्यागी]

खोल देंगे तो साल साल भर की तक़रीर को उठाने का रास्ता भी खुल जाता है । इसलिए मैं यह अर्ज करूंगा कि इस तरह का एक नया रिवाज न शुरू किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे त्यागी जी की बात कुछ समझ में नहीं आई क्योंकि न अभी कोई रास्ता खोला गया है और न ही कोई चीज़ की गई है ।

श्री रामसेवक यादव : मंत्री महोदय के इस बयान के बाद कि बागड़ी साहब ने जो सारी बातें कहीं वे सब असत्य हैं और माननीय सदस्य ऐसे ग़ैर जिम्मेदार आदमी हैं कि मंत्रियों पर ऐसे असत्य भाषण कर के आरोप लगाया करते हैं, यह एक बहुत बड़ी चीज़ हो गयी . . .

अध्यक्ष महोदय : अब मैं यादव जी से कहूंगा कि बागड़ी जी ने जो इल्ज़ाम लगाये और जैसे कहा कि मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास फोटोस्टेट कांपीज़ हैं, उन सबूतों को अगर वह दे देते हैं और वह सच हैं तो भी मामला वहीं रुक जाता है लेकिन चूंकि वह दिये नहीं गये हैं इसलिए वह ऐक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वह किस बिना पर दिया था ? अब जो क़ायदा होगा उसके मुताबिक़ चला जायेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालौर) : मैं आरोपों के औचित्य में नहीं जाना चाहता । मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो नवीन प्रक्रिया इस सारे मामले की जांच के बारे में अपनाई जा रही है उस के परिणामों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । इस से यह सभा एक जांच करने वाला निकाय बन जायेगा । इस प्रकार की जांच करना प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुकूल नहीं है । मेरा अनुरोध है कि इस प्रक्रिया के परिणामों की जांच की जाय । इस बारे में संसद्-सदस्य अथवा नियम समिति विचार कर सकते हैं कि क्या प्रक्रिया होना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** परन्तु जब तक मैं तथ्यों का ज्ञान प्राप्त नहीं करता तब तक मामले को यों ही नहीं छोड़ा जा सकता ।

†**श्री तिरुमल राव** (काकिनाड़ा) : माननीय सदस्यों को जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं उन्हें संयम और सावधानी से प्रयोग में लाना चाहिए । केवल कही-सुनी बात के ऊपर विश्वास कर के ही आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए । ऐसे मामले आप के समक्ष बहुत कम आते हैं । एक मामला श्री अय्यंगार के काल में आया था और दूसरा अब आया है । क्योंकि हमारे अधिकारों का संरक्षण आप ही करते हैं इसलिये आप को देखना ही है कि वक्तव्य सभा की प्रतिष्ठा और परम्परा के अनुकल ही हों । आप तथ्यों की जांच कर सकते हैं और उस के पश्चात् आप चाहें तो उन्हें सभा पटल पर रख सकते हैं अथवा वाद-विवाद से उन कथनों को निकाल सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जहां तक मैं समझता हूं वाद-विवाद से इस कार्यवाही को निकाल देना कोई उपचार नहीं है । भाषणों के पश्चात् शब्दों को निकालना नहीं चाहिए । यदि किन्हीं शब्दों को निकालना है तो जब उनका उच्चारण किया जाय उस के तुरन्त पश्चात् निकालना चाहिए । तभी ऐसा करने का सही प्रभाव हो सकता है । अब, जैसा कि माननीय मंत्री कहते हैं, कि अगर संसद् से बाहर कोई ऐसी बात कही जाये जिससे मानहानि होती हो तो निश्चय ही न्यायालय का उपचार है । परन्तु सभा के अन्दर किसी कार्यवाही को केवल सभा द्वारा ही किया जा सकता

---

†मूल अंग्रेज़ी में

है, और सभा ही निर्णय कर सकती है कि कुछ किया जाना चाहिए अथवा नहीं । इस संबंध में सारी प्रक्रिया का संचालन स्वयं सभा को करना है । क्योंकि मुझ से एक शिकायत की गई है और श्री बागड़ी ने निश्चय ही ऐसा कहा था कि उन के पास सबूत हैं और फोटोस्टैट कापी हैं, उन्हें उस समय बेशक सभा पटल पर नहीं रखा गया था, मैं माननीय मंत्री और श्री बागड़ी दोनों से कह रहा हूं कि जो भी तथ्य उन के पास हैं, वह मुझे दिये जायें । यदि केवल उन्हें सभा पटल पर रखना है तो ऐसा ही किया जायेगा । यदि उन में कोई ऐसी बात होगी जिसे रिकार्ड में नहीं आना चाहिए या जिसे सभा पटल पर नहीं रखा जाना चाहिए तो भी उस पर विचार किया जायेगा । क्या मुझे यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि मैं उस बारे में निर्णय कर सकूं कि अमुक कार्यवाही को वाद-विवाद से निकाल दिया जाय ताकि भविष्य में एक दूसरे के विरुद्ध कोई आरोप न लगाये जायें ? इस का निर्णय कौन करेगा ? मैं उन कथनों को मांग रहा हूं । अब दोनों सदस्यों को सूचना मिल चुकी है । वह जो कुछ कह गया है उस विषय में जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं । क्योंकि बहुत गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, इस लिये सम्भव है कि यदि मुझे उन में कोई सच्चाई दिखाई दे तो मैं उन्हें माननीय प्रधान मंत्री के पास भेजना आवश्यक समझूं । उन वरिष्ठ पदाधिकारियों के विरुद्ध क्यों कार्यवाही न की जाय जिन के बारे में कहा गया है कि वह अपने घरों में कारखाने चला रहे हैं, और कुछ अन्य बातें भी कहीं गई हैं, यह मैं अपनी स्मरण शक्ति से ही कह रहा हूं ? क्या माननीय सभा इस बात पर सहमत नहीं है कि यदि गम्भीर आरोप हैं तो उन्हें सरकार की जानकारी में लाया जाना चाहिए । और उन पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय, यदि श्री बागड़ी ने जो कुछ कहा वह सच साबित हो तो ? केवल कथन प्रस्तुत किये जाने हैं। जब वह कथन मुझे मिल जायेंगे तो मैं उन की जांच कर सकता हूं कि क्या उन में कोई आपत्ति-जनक बात है और क्या दोनों के कथनों को रिकार्ड में जाना चाहिए और सभा पटल पर रहना चाहिए । इसी बारे में मैं तब विचार करूंगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं भविष्य के लिये यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि किसी समय मानहानिकारक बातें कही जायें तो उन पर उसी समय अविलम्ब ही आपत्ति की जानी चाहिए । आप बेशक उस पर निर्णय बाद में दें । यदि आपत्ति तुरन्त ही नहीं की जाती तो उस में बल नहीं रह जायेगा ।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : यह एक तरह से जांच ही होगी, अतः आप को अपना निर्णय देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं इस से सदस्यों के संसद् में वाक्-स्वातंत्रय संबंधी अधिकारों पर रोक तो नहीं लगती ।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि अगर आप इस तरह से किसी मिनिस्टर को मिनिस्टर होने की वजह से किसी बात पर प्रोटेस्ट लाज करने की इजाजात देंगे, तो दूसरे दिन एक मेम्बर दूसरे मेम्बर के खिलाफ़ और एक मिनिस्टर दूसरे के खिलाफ़ प्रोटेस्ट करने लग जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय: अगर किसी मेम्बर साहब के बरखिलाफ़ कुछ कहा गया हो, तो वह भी अपना एक्स्पलेनेशन दे सकता है । इस का भी प्राविज़न है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

अनुदानों की माँगें—जारी

अणु-शक्ति विभाग—जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह वाद-विवाद का उत्तर दें ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** अध्यक्ष महोदय, अणु शक्ति विभाग की मांगों सम्बन्धी वाद-विवाद अत्यन्त सन्तोषजनक रहा है क्योंकि इस विभाग द्वारा किये गये कार्य तथा विकास के लिये लगभग प्रत्येक सदस्य ने सामान्य समर्थन की भावना व्यक्त की है। इस विभाग से संलग्न विभिन्न मामलों के बारे में कुछ आलोचनायें हुई हैं, बल्कि ऐसा कहना चाहिये कि कुछ सुझाव दिये गये हैं। मैं संक्षेप में उन का उल्लेख करूंगा ।

केरल में खनिज रेत, विशेषतया इल्मेनाईट के निर्यात का प्रश्न प्रायः इस सभा के समक्ष प्रश्नों, आदि, के रूप में आया है। मैं ने बारम्बार इस मामले की जांच की है। कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण जो हमारे बस की नहीं थीं, और कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण जो स्वयं उद्योग के अन्दर उत्पन्न कर दी गई हैं, एक संकट पैदा हो गया है। अन्य देशों में इल्मेनाईट के नये और सस्ते संसाधनों अथवा इस के बदले के संसाधनों का प्रकट होना, भारतीय इल्मेनाईट में क्रोमियम तथा वनाडियम जैसी कुछ प्राकृतिक अशुद्धियों का पाया जाना, और हाल ही में टिटानियम डायक्साईड के निर्माण में तकनीकी विकास, अंशतः यह कारण है जिन का उक्त परिणाम हुआ है। जैसे भी हो, इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच की गई है। निर्यात बाजार ढूंढने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं। वास्तव में, किसी हद तक सफलता पहले ही मिल चुकी है। एक मार्केट अमरीका में मिली है और सम्भवतः एक ही जापान में मिलने की सम्भावना है। सारे मामले के लिये जांच की आवश्यकता है और इस की जांच हो रही है। दुर्भाग्यवश, वही परिस्थितियां जिन में यह उद्योग चल रहा था इस के रास्ते में बाधक सिद्ध हुईं। उस समय राज्य सरकार द्वारा ७५ प्रतिशत स्वामिस्व लिया जाता था जिस के कारण संसार की मार्कीटों में खनिजों के बिक्री मूल्यों में प्रतिस्पर्धा और भी कम हो गई, और स्टाक इक्कट्ठे हो गये, और कारखानों को चलाना असम्भव हो गया अब इल्मेनाईट का बिक्री मूल्य बहुत हद तक कम हो गया है और बिक्री बढ़ाने के लिये गहन आन्दोलन आरम्भ किया गया है। भारतीय इल्मेनाईट में से अशुद्धियों को निकालने सम्बन्धी प्रयोग भी आरम्भ हो गये हैं। यदि इन सब में सफलता प्राप्त हुई, जैसा कि हमें आशा है, तो एक आधुनिक कारखाना स्थापित करने का विचार है जिस से हम संसार के बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर दाखिल हो सकेंगे।

वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में भी निर्देश किया गया। मैं समझता हूं कि वेतन आयोग के प्रतिवेदन को केवल कार्यान्वित ही नहीं किया गया बल्कि कुछ मामलों में अणु शक्ति आयोग इन सिफारिशों से भी आगे बढ़ गया है। मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि अणु शक्ति आयोग में लगभग सभी वैज्ञानिक, कुच्छेक को छाड़ कर, काफी कम आयु के हैं। बहुत से वैज्ञानिक ४० और कुछ ३० वर्ष से भी कम आयु के हैं। इस के बावजूद भी वह काफी उत्तरदायी पद ग्रहण किये हुए हैं। वह विभागाध्यक्ष हैं और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। सरकार के कई एक अन्य विभागों में पदोन्नति, आदि, के लिये जो साधारण पद्धतियां अपनाई जाती हैं उन का अनुसरण

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विभाग द्वारा नहीं किया जाता। केवल योग्यता को, ज्योंहि यह स्पष्ट हो जाय, तुरन्त मान्यता दी जाती है।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : इसी कारण शायद बहुत से लोग प्रायः इस विभाग को छोड़ कर अन्य स्थानों में काम तलाश करते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बहुत से लोगों के इस विभाग को छोड़ने के बारे में मैं नहीं जानता। कुछ व्यक्तियों ने बेशक इस विभाग को छोड़ दिया होगा। वहां पर ३००० अणु वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। मैं इस समय नहीं बता सकूंगा कि कितने व्यक्ति इस विभाग को छोड़ गये हैं। एक प्रश्न के उत्तर में मैं ने आंकड़े दिये थे। ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने साहा नाभिकीय भौतिक शास्त्र सम्बन्धी संस्था, कलकत्ता के बारे में कुछ कहा। वह समझते हैं कि शायद इस की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि दूसरी योजना में इस संस्था को सहायक अनुदान के रूप में ५५ लाख रुपये दिये गये थे, परन्तु तीसरी योजना में इसे बढ़ा कर ९५ लाख रुपया कर दिया गया है। कठिनाई यह है कि साईक्लोट्रोन काम नहीं कर रहा है। यह साईक्लोट्रोन पुराने ढंग का है और यह पूर्णतया समयातीत हो चुका है। इस को प्रयोग में लाने के लिये यह आवश्यक है कि इस के स्थान पर समूचा साईक्लोट्रोन नया स्थापित किया जाये। इतने बड़े कार्य के लिये बड़ी मात्रा में विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी।

इस के अतिरिक्त, कैंसर गवेषणा के लिये टाटा स्मारक अस्पताल की ओर निर्देश किया गया। इस को अणुशक्ति विभाग के अन्तर्गत लाने सम्बन्धी निश्चय करते समय, हम ने अस्पताल विभागाध्यक्षों और अन्य सम्बद्ध लोगों से परामर्श करके, इस मामले पर अत्यन्त सावधानी-पूर्वक विचार किया था। वास्तव में, जिन अमरीका जैसे देशों में ऐसे मामलों की विशेष रूप से जांच की जाती है, वहां रेडियो आईसोटोप्स द्वारा अणुशक्ति के इलाज के कैंसर पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिये अणु शक्ति विभाग के अधीन विशेष अस्पताल होते हैं। सोचा यह गया था कि अणु शक्ति विभाग के अधीन लाने से यह अधिक कुशलता और प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकेगा।

दो, तीन अन्य मामलों की चर्चा मैं करना चाहूंगा। उन में से एक हमारे द्वारा परमाणु शस्त्र, परमाणु बम, बनाने के बारे में है, जिस की चर्चा एक सदस्य द्वारा की गई। इस प्रश्न पर, यदि आप चाहें तो, सैद्धान्तिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से अथवा बिल्कुल व्यावहारिक दृष्टि से, देखा जा सकता है, बेशक इस से नैतिक दृष्टि को आघात पहुंचे। जब से हम ने बम्बई में रिएक्टर चालू किया है मैं ने कई बार दोहराया है कि हम परमाणु आयुधों का निर्माण नहीं करेंगे। मैं अब भी यही विचार रखता हूं। मैं इस के नैतिक औचित्य में नहीं जाऊंगा। मैं समझता हूं कि परमाणु आयुधों का निर्माण करना तो उचित है परन्तु व्यवहारिक दृष्टि से यह सोचना अथवा कल्पना करना बिलकुल गलत है कि एक परमाणु बम तैयार कर के हम रक्षा की दृष्टि से अधिक सशक्त हो जायेंगे, अथवा मैं इस को एक अन्य प्रकार से आप के सामने रखता हूं, कि चीनी परमाणु बम परीक्षण में सफल हो कर सैन्य क्षमता की दृष्टि से अधिक सशक्त बन जाते हैं, क्योंकि इस समय हम चीनी आक्रमण के प्रसंग में ही सोच रहे हैं।

इस समय रूस और अमरीका यह दो शक्तियां हैं जिन के पास परमाणु शस्त्र बहुत मात्रा में हैं। यूनाईटेड किंगडम इन से बहुत पीछे है। एक अन्य देश फ्रांस है जिस ने विभिन्न प्रकार के परमाणु बमों का परीक्षण किया है, इस के बावजूद भी यह सन्देहास्पद है कि इतने परीक्षण करने के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पश्चात् भी फ्रांस के पास हमले के लिये काफी शस्त्रास्त्र हैं। एक परमाणु बम के विस्फोट करने का यह अर्थ नहीं हो जाता कि किसी के पास प्रयोग में लाने के लिये काफी शस्त्रास्त्र इस प्रकार के हैं। इस के लिये धन सम्बन्धी अथवा अन्य प्रकार की सुविधाओं के होते हुए भी कई वर्ष दरकार हैं, बेशक ऐसे बमों का विस्फोट किया जाता रहे। अन्य सुविधाओं से मेरा तात्पर्य यह है: जैसे कि अमरीका ने प्रशांत महासागर के बहुत बड़े क्षेत्रों में और कुछ अन्य स्थानों में ऐसे परीक्षण किये हैं। रूस ने ऐसे परीक्षण आर्कटिक के जीवरहित क्षेत्रों में किये हैं। आप ऐसे परीक्षण विस्फोट आबाद क्षेत्रों में नहीं कर सकते।

कुछ ही दिन पूर्व फ्रांस ने परमाणु बम का सहारा रेगिस्तान में भूमिगत विस्फोट किया जिस के परिणामस्वरूप अफ्रीका में इस स्थान के आस पास के देशों के लोगों में, विशेषतया अल्जीरिया के लोगों में, काफी घबराहट और चिन्ता उत्पन्न हुई। स्वाभाविक तौर पर, हमें इस का बड़ा खेद हुआ कि विस्फोट वहां किया गया, यद्यपि उन्होंने ऐसा अल्जीरिया के नेताओं से संधि करते समय हुए समझौते के अनुसार ही ऐसा किया। संधि में यह तय हुआ था कि फ्रांस सहारा में परीक्षण कर सकेगा। परन्तु यह सच है कि ऐसा प्रबन्ध परिस्थितियों के प्रभाव के अधीन ही किया गया था। यद्यपि तकनीकी दृष्टि से यह भले ही ठीक हो, यह दुर्भाग्य की बात है कि फ्रांस ने अपने अधिकार का प्रयोग किया, क्योंकि इस से अफ्रीका में द्वेष बढ़ेगा। जब कि आवश्यकता इस बात की है, विशेषतया अल्जीरिया और फ्रांस के मध्य, कि अच्छे और सहकारी सम्बन्ध स्थापित हों।

इस लिये यह कल्पना करना ठीक नहीं है कि हम अणु आयुधों सम्बन्धी कार्य आरम्भ करें और अणु बम बनाने में सफल हों, यद्यपि ऐसा करना सम्भव है। वास्तव में, इस के लिये कुछ समय की आवश्यकता है। यदि हम इस कार्य को आरम्भ कर देते तो शायद अब तक परीक्षण करने योग्य हो जाते। इस के लिये धन और स्थान की समस्या भी है। अन्य कार्यों को समाप्त कर के ऐसे प्रयोगों पर अत्यधिक धन व्यय किया जा सकता है। परन्तु विचारणीय बात यह है कि ऐसा कर के कुछ मनोवैज्ञानिक लाभ के अतिरिक्त हमें क्या फायदा होगा। अथवा, आप मान लें कि चीन ऐसे प्रयोग करता है। एक दिन आप सुनते हैं कि उन्होंने अणु परीक्षण किया है। उसी समय ऐसी घटना का सैन्य क्षमता से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। परन्तु ऐसी घटना के १० अथवा २० वर्ष पश्चात् सैन्य क्षमता का प्रश्न उत्पन्न होता है। ऐसी घटना इस बात की साक्षी होगी कि चीन ने उन्नति की है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उस का लाभ होगा। लोगों को ऐसी विचार धारा के पीछे नहीं चलना चाहिये।

नैतिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है, परन्तु मैं पूर्णतया व्यवहारिक दृष्टि से कहता हूं कि हमारे लिये उचित मार्ग यही है कि हम अणु शक्ति को आयुधों अथवा परमाणु शस्त्रास्त्रों के उत्पादन के लिये प्रयोग में न लाने सम्बन्धी अपने निश्चय का ही पालन करें। एक ओर हम परमाणु शक्तियों को कह रहे हैं कि वह परीक्षण करना समाप्त करें। यह कैसे हो सकता है कि स्वयं अपने द्वारा बार बार व्यक्त किये गये विचारों के विरुद्ध जा कर हम वही काम स्वयं करें। परन्तु, जैसाकि मैं ने कहने का साहस किया है, कि इस बात के अलावा भी, गो यह भी एक उचित कारण है, ऐसा करने से हमारी रक्षा-क्षमता में वृद्धि नहीं होती। इस के विपरीत, धन को अधिक उपयोगी व्यवसायों में न लगा कर इन कार्यों पर लगाने से हानि ही होगी।

एक अन्य सदस्य ने कहा कि यदि हम अणु शक्ति का प्रयोग इस प्रकार नहीं करना चाहते तो इतना धन इस पर व्यय करने की क्या आवश्यकता है, यदि हम शस्त्रास्त्रों का उत्पादन नहीं

करना चाहते तो परमाणु शक्ति के विकास पर इतना धन क्यों व्यय कर रहे हैं। इस से यह बात स्पष्ट है कि इस बारे में एक अजीब गलतफहमी पाई जाती है।

नाभिकीय (न्यूक्लियर) शक्ति एक अत्यावश्यक वस्तु है। हम नाभिकीय युग के दरवाजे पर खड़े हैं, बल्कि हम इस में दाखिल भी हो चुके हैं। भविष्य में इस शक्ति का अधिक से अधिक प्रयोग किया जायगा। हमें आशा करनी चाहिए कि इस का प्रयोग रचनात्मक प्रयोजनों के लिए किया जायगा, ध्वंसात्मक प्रयोजनों के लिये नहीं। जो देश नाभिकीय विज्ञान का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा अथवा इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकेगा वह उसी प्रकार पिछड़ जायगा जिस प्रकार हम विद्युत शक्ति और स्टीम शक्ति, आदि, के नये विकास के कारण पिछड़ गये हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि आधुनिक युग में किसी क्षेत्र में पीछे न रहा जाय और शक्ति संबंधी इन नये अविष्कारों का लाभ उठाया जाय।

आप संसार का इतिहास उस के द्वारा समय समय पर प्रयुक्त शक्ति संसाधनों के आधार पर लिख सकते हैं। काफी समय तक मानव शक्ति, पशु शक्ति, आदि का प्रयोग होता था; या आप कह सकते हैं गोबर शक्ति का प्रयोग होता था, जैसे कि बहुत समय तक भारत में होता रहा है और अब भी होता है। उस के पश्चात अन्य वस्तुयें आईं। उस के पश्चात स्टीम आई और फिर विद्युत आई। और अचानक ही संसार ने अत्यधिक उन्नति की। इस लिये शक्ति बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। इस बारे में सन्देह नहीं होना चाहिए कि अणु शक्ति के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कास्मिक शक्ति के प्रयोग आदि से कई प्रकार से विकास होने की सम्भावना है, हमें अवश्य ही अन्य संसार के देशों के साथ रहना है। यह स्वभाग्य का विषय है कि यहां पर एक बहुत अच्छी अणु शक्ति स्थापना है जो कि बहुत सारवान कार्य कर रही है। इस के द्वारा किये जा रहे कार्य को समूचे संसार द्वारा मान्यता दी जा रही है।

जसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, हम एक स्टेशन महाराष्ट्र में तारापुर में, दूसरा राजस्थान में राना प्रतापसागर के निकट, और तीसरा मद्रास में स्थापित करने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि तीसरे स्टेशन का निर्माण हम पूर्णरूपेण स्वयं कर सकेंगे।

जहां तक तारापुर स्टेशन का संबंध है, कुछ ऐसी बातों के बारे में, जिन के बारे में मत-विभेद है, हम कुछ अमरीकन अभिकरणों से चर्चा कर रहे हैं। व्यक्तिगत चर्चाओं के फलस्वरूप लगभग सभी बातों का हल ठंढ लिया गया है। केवल एक अथवा दो महत्वपूर्ण बातें शेष हैं। मुझे आशा है कि उन का हल भी शीघ्र निकाल लिया जायगा, ताकि हम इस कार्य में आगे बढ़ सकें। परन्तु मैं पूर्णतः निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता।

†**श्री रंगा (चित्तूर) :** मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जब यह अणु शक्ति स्टेशन स्थापित किया जा रहा था, तो हमें बताया गया था कि इस स्टेशन संबंधी सभी बातों का ध्यान रखा जायगा, जैसे इसके कृत्य, व्यय, आदि। परन्तु इस के चालू होने से काफी समय पूर्व सरकार ने दो अतिरिक्त स्टेशन कैसे आरम्भ कर दिये हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** क्योंकि इन सब बातों पर सोच-विचार कर लिया गया है।

†**श्री रंगा :** केवल सोच-विचार ही हुआ है, अनुभव तो प्राप्त नहीं हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी हां, अनुभव भी।

†**श्री रंगा :** अभी तो इस संबंध में विकास ही हो रहा है । स्टेशन चालू तो नहीं किया गया।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस के बावजूद भी अनुभव हो सकता है।

†**श्री रंगा :** इस पर लागत व्यय क्या होगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** अपने तथा अन्य देशों के अनुभवों के आधार पर इस की ठीक ठीक गणना कर ली गई है।

†**श्री रंगा :** इंग्लैंड में अणु शक्ति संबंधी परियोजनाओं के कार्यों को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि इस पर व्यय बहुत हो रहा था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं इस मामले के अर्थ संबंधी पहलुओं में नहीं जाऊंगा। परन्तु इस मामले पर समुचित चर्चा हो चुकी है। इस मामले पर डा० भाभा ने संसद सदस्यों के समक्ष दो बार भाषण दिया है। उन्होंने विभिन्न अवसरों पर इस बारे में तथ्य तथा आंकड़े दे कर लिखा है कि इस का आर्थिक पक्ष सुकर है।

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्वारा अपने अभिभाषण में इस मामले की ओर निर्देश किया गया है। उस में कहा गया है कि किसी क्षेत्र विशेष में, शक्ति परियोजनाओं की स्थापना और अणु शक्ति संबंधी अर्थ की आवश्यकता वास्तव में शक्ति उत्पादन के प्रचलित उपायों से कम है। इस का अर्थ यह है कि जहां कोयला निकलता है वहां यह शक्ति कोयले की अपेक्षा सस्ती नहीं होगी ; और जहां विद्युत अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है वहां भी विद्युत की अपेक्षा यह सस्ती नहीं होगी ; परन्तु वहां से जब कोयला राजस्थान अथवा किसी अन्य स्थान पर पहुंचता है तो वहां पहुंचने पर, रेलवे भाड़ा आदि मिला कर, कोयले की अपेक्षा अणु शक्ति अवश्य सस्ती रहेगी। जो भी हो, इस तथ्य को अब सामान्यतया स्वीकार किया जाता है।

†**श्री रंगा :** इस के सस्ती पड़ने की सम्भावना है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जिन विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा इस मामले की जांच की गई है उन्होंने सामान्यतया यह स्वीकार किया है कि यह शक्ति कुछ परिस्थितियों में आर्थिक दृष्टि से सस्ती है और इस की प्रवृत्ति अधिक से अधिक सस्ती होने की है।

जैसा भी हो, भारत में शक्ति की मांग को दृष्टि में रखते हुए इस प्रकार के प्रत्येक प्रयास को प्रोत्साहन देना अत्यधिक महत्व का विषय है। हो सकता है कि प्रथम प्रयास शत प्रतिशत सफल न हो, इस में केवल ९० अथवा ८० प्रतिशत सफलता प्राप्त हो। हो सकता है कि प्रथम प्रयास अधिक सस्ता न पड़े, परन्तु दूसरा अथवा तीसरा प्रयास सस्ता पड़ सकता है। परन्तु जब तक हम इन प्रक्रियाओं में से नहीं गुजरेंगे हम उस प्रक्रम तक नहीं पहुंच सकते। इस समय जो पहला स्टेशन हम बना रहे हैं उसमें शक्ति सांख्यिक गणनाओं की सभी साधारण प्रक्रियाओं के अनुसार, कई पनबिजली तथा इस प्रकरा की अन्य योजनाओं की अपेक्षा सस्ती पड़ेगी। निस्संदेह इन योजनाओं में बड़ी भिन्नता पाई जाती है। वास्तविक टेंडरों के आधार पर मैं आप के समक्ष कुछ आंकड़े रखूंगा। तारापुर

---

†मूल अंग्रेजी में

अणु शक्ति स्टेशन पर वास्तविक टेंडर जिस के हमारे द्वारा स्वीकृत किये जाने की आशा है १२७५ रुपये प्रति के डब्ल्यू है।

रिहान्द स्टेशन की प्रति के डब्ल्यू संस्थापित क्षमता लागत १२३५ रुपये है, जो कुछ ही कम है। यमुना प्रक्रम २ की १२४० रुपये प्रति के डब्ल्यू और उहल प्रक्रम २ की १५७४ रुपये प्रति के डब्ल्यू है। यद्यपि उन्हें कुछ लाभ भी हैं, जैसे वहां रिहान्द का एक पन-बिजली स्टेशन है, वहां भी लागत केवल थोड़ी सी कम है, कुछ मामलों में यह इस से कहीं अधिक है।

सामान्यतया यह आशा की जाती है कि इन अणु शक्ति स्टेशनों में उत्पादित विद्युत शक्ति की लागत ताप विद्युत स्टेशनों में उत्पादित विद्युत शक्ति की तुलना में काफी कम होगी। परन्तु मैं समझता हूं कि यदि इस प्रक्रम पर यह ठीक न भी हो, हालांकि व्यावहारिक रूप से यह ठीक है क्योंकि इस काम को प्रसिद्ध सार्थों के हवाले किया गया है जो अपने काम में पीछे नहीं रह सकते, फिर भी इस कार्य को जारी रखना ही वांछनीय है, क्योंकि नई विद्युत, नई शक्ति और नये विज्ञानों के विकास के यह प्रारम्भिक प्रक्रम हैं और कोई भी देश, विशेषतया भारत जैसा विशाल देश, इन विकासों की अवहेलना नहीं कर सकता। साधारण-तया, पनबिजली स्टेशन ताप विद्युत स्टेशनों की तुलना में कुछ सस्ते होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोयला कितनी दूर ले जाना पड़ता है।

एक माननीय सदस्य ने पूछा कि एक अमरीकन सार्थ ने, जिन के सपुर्द तारापुर स्टेशन का निर्माण-कार्य किया गया है, क्या इस की गारंटी दी है, और क्या कार्य सम्पादन में त्रुटि पाये जाने पर उन्हें दंड दिया जा सकता है। इस का उत्तर हां में है। यदि वास्तविक कार्य सम्पादन गारंटी के अनुसार न पाया गया तो या तो वह सार्थ उस संयंत्र में पाई जाने वाली त्रुटि को अपने व्यय से ठीक करेगा, जिस के लिए वह उत्तरदायी है, या वह त्रुटि की सीमा के अनुपात में प्रतिकर देगा।

डा० का० ला० राव को स्थान के चुनाव में लगने वाले इतने समय और प्रयास की आवश्यकता के बारे में आश्चर्य हुआ। मुझे इस पर हैरानगी है, क्योंकि स्थान का चुनाव करना एक सीधा और आसान काम नहीं है। कई एक राज्यों की इस इच्छा के अतिरिक्त भी कि यह स्टेशन उक्त राज्य में स्थापित किया जाय, इस पर बड़ी सावधानी से विचार करना है। केवल इतना ही नहीं। वास्तव में, एक बड़े कारखाने को स्थापित करने के लिए स्थान का चुनाव करना भी एक आसान बात नहीं होती। कई एक बातों पर विचार करना पड़ता है ; परन्तु, विशेषतया एक अणु शक्ति स्टेशन के मामले में यह अत्यधिक महत्व की बात है कि इस के लिये वही स्थान चुना जाय जहां इस के लिये बहुत सी अनुकूल परि-स्थितियां पाई जाती हों।

उन्होंने सुझाव दिया कि वायुमण्डल संबंधी गवेषणा वैज्ञानिक क्रिया का एक महत्वपूर्ण विभाग है अतः इस कार्य को एक भिन्न अभिकरण के सपुर्द करना चाहिए। यदि इसमें काम बढ़ जाये तो ऐसा हो सकता है। प्रत्येक कार्य के लिये एक अलग विभाग का होना अच्छी बात नहीं है। आखिरकार, यद्यपि हम यह सब कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं, प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या सीमित है। इस समय ट्राम्बे में अणु शक्ति संबन्धी कार्य करने वाले लगभग ३०००—४००० वैज्ञानिक हैं। वायुमण्डल गवेषणा कार्य अंशतः टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामैंटल रिसर्च के निर्देशन में है, जो कि अणु शक्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इसके अतिरिक्त एक प्रयोगशाला अहमदाबाद में डा० विक्रम साराभाई के अधीन है जो कि वायुमण्डल गवेषणा संबंधी कार्य कर रही है और वह भी अणु शक्ति विभाग के अधीन है। यह प्रयोगशाला वायुमण्डल गवेषणा संबंधी भारतीय राष्ट्रीय समिति द्वारा आरम्भ किये गये वायुमण्डल गवेषणा संबंधी कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले रही है।

डा० गायतोंडे ने इस बारे में टिप्पणी की कि अणुशक्ति संबंधी कार्यों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या के बारे में अमरीका ने प्रतिवेदन जारी किये हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही आंकड़े अथवा प्रतिवेदन हमारे द्वारा भी तैयार क्यों नहीं किये जाते? इस का कारण यह है कि हमारे यहां कोई दुर्घटना नहीं हुई। हम ने दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये काफी सावधानी बरती और पूर्वोपाय किये।

कुछ माननीय सदस्यों को अणु शक्ति कार्यों में हुए विकास में भारत की चीन से तुलना करना स्वाभाविक बात है। मेरे लिए ऐसी तुलना करना कठिन है। समय समय पर हम सुनते हैं कि एक परीक्षणात्मक विस्फोट होने वाला है। वास्तव में कुछ समय पूर्व यह भी कहा गया कि सिंकियांग के किसी क्षेत्र में विस्फोट हुआ। यह संदेहास्पद है कि ऐसा विस्फोट हुआ हो, क्योंकि किसी भी विदेशी वैधशाला द्वारा ऐसे लक्षणों का रिकार्ड नहीं किया गया। अन्य ऐसे विस्फोटों का रिकार्ड तो ट्राम्बे में भी है। इसलिए, मुझे इसमें पूर्ण सन्देह है कि ऐसा विस्फोट किया गया। मैं यह भी नहीं कह सकता कि विस्फोट किये जाने की सम्भावना नहीं है। परन्तु अपनी जानकारी के अनुसार हम कह सकते हैं कि सामान्यतया अणु शक्ति सम्बन्धी कार्यों में चीन हम से अधिक विकासाशील नहीं है, किसी विशेष क्षेत्र में भले ही हो। हो सकता है कि किसी एक पहलू की ओर वह अधिक ध्यान देते हों और उस पहलू में वह अधिक अच्छे परिणाम दिखायें, जैसे परमाणु बम का निर्माण। कुल मिला कर, मैं समझता हूं, कि सभा को ट्राम्बे आदि स्थानों पर हमारे द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे में सन्तोष होना चाहिए, और इस ओर हम आशाजनक दृष्टि से देख सकते हैं।

एक विरोधी सदस्य ने कहा है कि आप इसकी खोज क्यों करते हैं, और इतना रुपया खर्च कर के फिर इसे बंद कर देते हैं। मैं यह आलोचना समझ नहीं सका, क्योंकि हमें विभिन्न स्थानों पर खोज करनी होती है। जहां परिणाम निकलें, हम इसे जारी रखते हैं, जहां न निकलें, हम बन्द कर देते हैं। यह हर प्रकार की खोज पर लागू होता है, चाहे तेल हो या कुछ और।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : भारत ने किन देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते किये हैं, अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण तथा अशान्तिपूर्ण प्रयोगों के बारे में ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे पास यह जानकारी नहीं है किन्तु हम रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ सहयोग कर रहे हैं। हम कुछ पूर्वी यूरोपीय देशों के सम्पर्क में भी हैं।

†**श्री प्रिय गुप्त** : अणुशक्ति विभाग के खनिज उपभाग के निदेशक के पद को कब भरा जायेगा?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे बताया गया है उपयुक्त व्यक्ति की खोज जारी है।

†**श्री शिवाजी राव देशमख** : हम तारापुर के आण्विक इंधन को तैयार करने में किस हद तक जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम इस मामले में अधिक से अधिक स्वतंत्र रहना चाहेंगे किन्तु यदि कोई और प्रक्रिया अपनाई जाये, तो उस से हम पर बहुत भार पड़ेगा । अतः हम ने मितव्ययता के लिए ऐसा किया था, किन्तु भविष्य में हम अपने आप पर निर्भर करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अणुशक्ति विभाग की निम्न लिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१०६	अणु शक्ति विभाग	१४,४२,०००
१०७	अणु शक्ति अनुसंधान . . .	७,७६,१८,०००
१४७	अणु शक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय . . .	१५,०६,२०,०००

स्वास्थ्य मंत्रालय

वर्ष १९६३–६४ के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
४७	स्वास्थ्य मंत्रालय	१७,७३,०००
४८	चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य	६,३६,७१,०००
४९	स्वास्थ्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	६१,८१,०००
१३०	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	८,५२,०५,०००

†**श्रीमती विमला देवी** (एलूरू) : गत वर्ष स्वास्थ्य मंत्री ने चेचक फैलने के बारे में चेतावनी दी थी । उस के बावजूद भी प्रत्येक राज्य में लोगों को उचित रूप से चेचक का टीका नहीं लगाया गया । अतः उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और आंध्र में चेचक फैला हुआ है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरी समझ में नहीं आता हर तीसरे साल लोगों को चेचक का टीका लगाने में क्यों असफल रही है ।

आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ जिलों में फ़िलेरिया बढ़ रहा है । बाल मृत्यु की दर अब भी बहुत ऊंची है ।

देश में अधिकांश गांवों में पीने के ताजा पानी की अब भी कमी है, जिस के कारण छत को बहुत सी बीमारियां रोकी जा सकती हैं ।

खाद्यान्नों और दवाओं में मिलावट ने व्यापक रूप धारण कर रखा है, जिस के कारण राष्ट्र को विशेष कर स्त्रियों को बहुत चिन्ता हो रही है । समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करनी चाहिये । दवाओं में मिलावट करने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए । दवाइयां बनाने

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती विमला देवी]

वाला उद्योग सरकार और जनता दोनों को धोखा दे रहा है। प्रत्येक दुकान में दवाइयों की कीमत भिन्न भिन्न ली जाती है। दवाओं की किस्म और कीमतों पर नियंत्रण करना अत्यन्त आवश्यक है।

इस समय चिकित्सा पद्धति में परिवर्तन करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। आजकल मिक्सचर पिलाने का जमाना नहीं है, क्योंकि इन से कोई लाभ नहीं होता।

युद्ध तथा असैनिक जीवन की आपात स्थिति का सामना करने के लिये अस्पतालों में रक्त-बैंकों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये। उनके कार्यों का विस्तार कर केन्द्रीय सरकार के सब औद्योगिक कर्मचारियों पर इसे लागू किया जाना चाहिये। यह धारणा दूर की जानी चाहिये कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर होता है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयं रक्त दान करके एक आदर्श स्थापित किया है।

तम्बाकू पीने की आदत बहुत बढ़ गई है। यदि छोटी आयु के बच्चों को तम्बाकू पीने से न रोका गया, तो अगले पंद्रह वर्षों में फेफड़ों का कैन्सर बहुत बढ़ जायेगा। सरकार को धूम्रपान के विरुद्ध प्रचार करने के लिये आकाशवाणी और प्रलेखीय चलचित्रों का प्रयोग करना चाहिए।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि व्यवसाय जन्य रोगों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये गये हैं। अभ्रक और सोने की खानों में सिलोकोसिस, कोयला खानों में न्यूमोकोनियोसिस तथा स्नायु क्षीणता जैसे रोग व्यवसाय जन्य रोगों में सम्मिलित करना चाहिये।

उन सब स्थानों में जहां सरकारी कर्मचारी काफी संख्या में रहते हैं, अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। दिल्ली छावनी में रहने वाले प्रतिरक्षा मंत्रालय के असैनिक कर्मचारियों को भी उक्त योजना में सम्मिलित करना चाहिये।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना क्लिनिकों के प्रशासन में सुधार करने की आवश्यकता है। प्रति नुस्खा पांच नये पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो वहां जाते हैं, वह अधिकतर गरीब लोग ही होते हैं। यह भी बताया गया है कि वर्गीकृत दवाइयां प्रतिष्टा को देख कर दी जाती हैं और रोग की गम्भीरता को देख कर नहीं।

डाक्टरों को किसी एक स्थान पर अधिक समय के लिए नहीं रखना चाहिए। इन की संख्या भी बढ़ानी चाहिये।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अस्पतालों की इमारतों पर बहुत रुपया खर्च करता है। यदि इस में कटौती कर के इस प्रकार बचाये गये रुपये को चिकित्सा आदि के गुण प्रकार को सुधारने के काम में लाया जाये, तो बहुत अच्छा होगा। जो डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जायें, उन्हें अधिक वेतन दिया जाये।

सरकार सभी डाक्टरों स्नातकों की सेवाओं को, चाहे वे एक प्रणाली से सम्बद्ध हों या दूसरी से--प्रयोग में लाने के प्रयत्न करें। जिन स्नातकों ने औषधि के एकीकृत पाठ्यक्रम पास कर लिये उन्हें हानि न उठाने दी जाये।

विदेशों में काम करने वाले डाक्टरों और नर्सों को वापस बुलाया जाये, क्योंकि सैनिक और असैनिक डाक्टरों की बहुत कमी है।

अस्पतालों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में बहुत कम मौलिक काम होता है। अतः पढ़ाने वाले अस्पतालों में अनुसंधान सुविधा दी जानी चाहिये। नये डाक्टरों के लिए ३ से ५ वर्ष तक सशस्त्र बलों में अनिवार्य सेवा पर आग्रह किया जाये।

†**श्री अं० त्रि० शर्मा** (छतरपुर) : मैं केवल एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं और वह यह कि देशी चिकित्सा प्रणालियों के बारे में सरकार की क्या नीति होनी चाहिए। सरकार ने इन प्रणालियों पर कोई ध्यान नहीं दिया।

औषधि के एकीकृत पाठ्यक्रम का समर्थन आयुर्वेदिक डाक्टरों ने नहीं किया है बल्कि उस समिति ने किया है जिस में एलोपैथिक डाक्टर थे। सारे पाठ्यक्रम में अध्यापकों तथा प्रोफेसरों द्वारा दिए गए नोट थे। उस के लिए आयुर्वेद पर एक भी पुस्तक नहीं थी। इसी कारण उन कालेजों में पास हुए स्नातकों को न तो एलोपैथी में ही योग्यता थी और न ही आयुर्वेद में। सरकारी कार्यालयों में ऐसे स्नातकों को भर दिया गया है। उन्हें आयुर्वेद का विशेषज्ञ माना जाता है और उन के सुझावों को क्रियान्वित कर दिया जाता है। जो शुद्ध आयुर्वेद के डाक्टर हैं, उन के सुझावों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता।

सदन को यह भी बताया गया है कि सरकार आयुर्वेद प्रणाली के विकास के लिए बहुत अधिक काम कर रही है। किन्तु इस के लिए एक पाई भी खर्च नहीं की गई। सरकार ने बहुत सी समितियां नियुक्त की हैं, किन्तु एक भी समिति ने इस प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं कहा। बल्कि उन्होंने यह सिफ़ारिश की है कि ऐसी संस्थायें बन्द कर दी जायें। हाल में उत्तर प्रदेश के, धन के अभाव के कारण आध दर्जन कालेज बन्द कर दिये गये हैं। उन्होंने सरकार से धन के लिए प्रार्थना की थी, किन्तु उन्हें एक पाई भी नहीं दी गई।

मैं पूछना चाहूंगा कि जामनगर के अनुसंधान केन्द्र में क्या अनुसंधान किया जा रहा है। वहां केवल यह बताया जा रहा है कि आयुर्वेदिक दवाइयां बेकार हैं। मेरा सुझाव है कि आयुर्वेद वालों को रिफ्रेशर कोर्स पढ़ा कर स्वास्थ्य विभाग में लगाया जाये। मेरा दूसरा सुझाव है विदेशी औषधि प्रणाली सम्बन्धी परिषद् की स्थापना की जाये जिन में केवल शुद्ध आयुर्वेद हो और सरकार इस की सिफारिशों को मान्यता दे।

आयुर्वेद की औषधियों के प्रमापीकरण का काम उचित रीति से नहीं किया जा रहा है। अन्त में मेरा निवेदन यह है कि आयुर्वेद के सुधार के लिए जो भी धन आवंटित किया जाये, उस को उसी काम के लिए प्रयोग किया जाये और इस का आयुर्वेद के नाम में अपव्यय न किया जाये।

स्वास्थ्य मंत्रालय के सम्बन्ध मे निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४७	३	श्री प्रिय गुप्त	रेलवे डाक्टरों और गैर-सरकारी डाक्टरों में रेलवे कर्मचारियों को दिये जाने वाले प्रमाणपत्रों के काम में समवन्य	१०० रुपये
४८	४	श्री मुहम्मद इस्मैल	डाक्टरी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में पर्याप्त वृद्धि।	१०० रुपये

श्री राम सिंह (बहराइच) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा स्वास्थ्य मंत्राणी जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आशा है, उन पर गौर किया जायेगा।

[श्री राम सिंह]

हर वर्ष तीन हजार डाक्टर पचास मैडीकल संस्थाओं से पास होते हैं। तीसरी योजना तक उनकी संख्या एक लाख हो जायेगी। कुछ युद्ध प्रयत्नों के कारण संख्या में और भी वृद्धि हो रही है। पर जनसंख्या के अनुपात से इस पर विशेष ध्यान देना होगा। शहरों के बाहर गांवों में जहां आबादी ज्यादा है, डाक्टरों की कमी है तथा युद्ध के कारण भी डाक्टरों की आवश्यकता ज्यादा है। इस कारण मैडीकल कालेजों में पढ़ाई के घंटे कुछ और बढ़ा कर तथा पांच वर्ष के बजाय चार वर्ष में ही पढ़ाई का कोर्स समाप्त कर ज्यादा से ज्यादा डाक्टर बढ़ाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। छोटे छोटे शहरों में नर्सें नहीं हैं या नहीं के बराबर हैं इसलिये नर्सिंग स्कूल में ज्यादा नर्सों को ट्रेनिंग दी जावे। नर्सों के काम व मेहनत को देखते हुये उनकी तनख्वाहों को, जो अभी कम हैं, बढ़ाया जावे।

बरफीले पहाड़ों पर शायद शरीर गलने का एक विशेष रोग होता है और उनका इलाज कुछ सीमित डाक्टर ही जानते हैं। आजकल चीनी दुश्मनों के कारण हमारी फौज को बरफों में ही रहना पड़ रहा है। इसलिये इसकी शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये। दिसम्बर, जनवरी जैसे ठंढक के दिनों में फलू जैसे रोग कुछ वर्षों से बढ़ रहे हैं, इसलिये इस पर भी ध्यान देना चाहिये।

जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और डाक्टर भी बढ़ रहे हैं, पर अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयां नहीं हैं, जैसा मैं अपने जिले में देखता हूं। जनता परेशान होती है। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

बाढ़ के स्थानों पर और जंगल के मुकामों पर अधिक बीमारियां होती हैं। ऐसे स्थानों के कुओं की सफाई, दवा डालने व नल का प्रबन्ध करके बीमारियों को खत्म करने की चेष्टा की जानी चाहिये।

खाने पीने के सामान में मिलावट के कारण रोग बढ़ते हैं। ऐसे सामान को बन्द करने का प्रबन्ध कड़ाई से हो। कुछ लोग कहते हैं कि डालडा खाने से उमर कम होती है और आंख कमजोर होती है। सरकार इसे बन्द करने का प्रयत्न करे या साइंस द्वारा इस में रंग मिलाने का प्रयत्न करे जिसमें शुद्ध घी तेल तो प्राप्त हो सके।

बाजारों या मेले आदि स्थानों पर जहां धूल मिट्टी उड़ती है, मिठाई या चाट जैसी खाने पीने की चीजों को ढंक कर रखने के लिये रोक थाम हो क्योंकि इससे कालरा आदि फैलने का डर रहता है। इस के लिये कानून है पर वह अभी बन्द नहीं हुआ है। चीजों को खोल कर रखने को कड़ाई से बन्द करना चाहिये।

गांवों में जहां डाक्टर मिल भी जाते हैं वहां दवाइयां सुलभ नहीं हैं। इसलिये जहां अस्पताल हो, दवाओं की दूकानें या तो सरकार खोले या अन्य लोगों को प्रोत्साहन दे जिसमें जनता परेशानी से बच सके और इलाज सुलभ हो सके।

गांवों में रूरल हाउसिंग की स्कीम जो है, उसे ऐसे गांवों में जहां की मिट्टी खराब है, बाढ़ या पानी के स्थान हैं, जहां कच्चे मकानों के कारण जनता परेशान है, केन्द्रीय सरकार स्टेटों के जरिये चलवाने का प्रबन्ध करे, जिससे गांवों की जनता इस स्कीम का लाभ उठा सके। अभी तक बाढ़ एरिया में कुछ नहीं हुआ है। ऐसे कागजी प्रबन्ध रहने से क्या लाभ ?

फैमिली प्लैनिंग ज्यादा दिनों से चालू है। दस वर्ष पहले इस देश की ३६ करोड़ की आबादी थी जो अब बढ़ कर ४५ करोड़ हो गई है। जब १० वर्ष में ९ करोड़ आबादी बढ़ी, जो कि हर वर्ष

१ करोड़ पड़ती है, तो क्या इसकी रोक थाम में कोई विशेष तरक्की हुई है ? यदि नहीं हुई तो जो २७ करोड़ रु० इस स्कीम के लिये निश्चित हैं, जो कि उसके प्रचार में खर्च होता है, उसे कम किया जावे क्योंकि गांवों में प्रचार नहीं है। इन रुपयों को युद्ध कार्यों या उत्पादन की तरफ लगाया जावे ।

शहरों में बच्चा पैदा होने पर कुछ प्रबन्ध हो जाता है मगर गांवों में जहां आबादी भी ज्यादा है और जहां अस्पताल भी नहीं हैं, वहां आये दिन बच्चा पैदा होते समय जच्चा बच्चा की मृत्यु तक हो जाती है। सरकार को वहां पर जो छोटे अस्पताल हों उन के जरिये लोकल दाइयों को अनिवार्य रूप से ट्रेनिंग देनी चाहिये तथा रूई व दवाइयां देनी चाहियें । साथ ही उन छोटे छोटे अस्पतालों में मुफ्त दूध का प्रबन्ध किया जावे । और वहां पर इस तरह का प्रचार कि बच्चा पैदा होने के पहले व बाद में किस तरह औरतों की हिफाजत की जानी चाहिये, किया जाना चाहिये।

कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, मलेरिया, चेचक क्षय रोग व डायबिटीज जैसे रोगों पर विशेष ध्यान देते रहने की आवश्यकता है जिन पर अभी भी काबू नहीं किया जा सका है।

तन्दुरुस्ती लाख नियामत है, ऐसा कहा जाता है। सरकार उन लोगों की तरफ जो मरीज बन कर अस्पताल में दाखिल होते हैं, ध्यान नहीं देती है। उन लोगों को, जो कि खराब तन्दुरुस्ती के कारण मरीज बन रहे हैं, किसी प्रचार के द्वारा भी बतलाने और बीमारी की रोक थाम की स्कीमों की तरफ भी सरकार ध्यान नहीं देती, जब कि तन्दुरुस्ती खराब होने से ही रोग बढ़ रहे हैं ।

बहुत से ऐसे रोग हैं जिनका इलाज एलोपैथिक के बजाय आयुर्वेदिक चिकित्सा से सस्ते में हो सकता है, जैसे वायु रोग, प्रदर, प्रमेह, पीलिया, संग्रहणी अतिसार तथा कुछ प्रकार के चर्म रोग आदि। इस तरह के रोगों में जहां एलोपथी नाकामयाब रहती है वहां देखा गया है कि आयुर्वेदिक औषधियों से बहुत कामयाबी हुई है ।

आज जिस तरह सरकार ऐलोपैथी और हिकमत को प्रोत्साहन देती है, आयुर्वेदिक चिकित्सा को क्यों न उसी तरह से मौका दिया जाय, जिस में आज भी ऐसे सस्ते और चमत्कारिक नुस्खे हैं जो फौरन लाभ करते हैं। मेरा कहना यह है कि यदि एक ही खुराक में दवा लाभ न करे तो दवा कैसी? अगर दवा न भी दी जाये और इलाज सिर्फ कुदरत पर छोड़ दिया तो भी रोग वैसे ही कम हो जाते हैं ।

आयुर्वेदिक कालेजों में भी नर्सिंग की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये।

सेंट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टिट्यूट एलोपैथिक दवाओं की खोज करने के लिये है। इसी प्रकार आयुर्वेदिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट भी होना चाहिये। एक ऐसी भी आयुर्वेदिक संस्था बननी चाहिये जिस के द्वारा ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां जो शीघ्र लाभ करने वाली हों बनाई जायें। वह देश के चाहे जिस भाग में हो, लेकिन उस से देश भर को लाभ दिलाने का प्रयत्न सरकार करे।

आयुर्वेदिक औषधियों में जो शीघ्र लाभ करने वाली हैं, उन के इन्जेक्शन तैयार किये जाने चाहियें ।

देश में कोई भी सुव्यवस्थित आयुर्वेदिक अस्पताल नहीं है, ऐसा अस्पताल सुविज्ञ वैद्यों की देख भाल में सरकार को बनाना चाहिये जिस में सारी सुविधायें एलोपैथिक अस्पतालों की ही तरह सुलभ की जायें। इसमें आयुर्वेदिक औषधियों से ही इलाज हो। और नर्सिंग आदि का भी प्रबन्ध वैसा ही सुचारु हो। ऐसे अस्पतालों के लिये नये भवनों के निर्माण की व्यवस्था न हो तो किराये के भवनों में ही आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले जायें ।

[श्री राम सिंह]

अभी जो औषधियां दूकानों पर मिलती हैं उनमें पुरानी और बेकार औषधियां भी मिश्रित कर नई के साथ बेच दी जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जो अच्छी औषधियां हैं वह भी इससे खराब हो जाती हैं। इसलिये ऐसी औषधियों के उत्पादन व बिक्री पर नियंत्रण रखना चाहिय। ताकि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो।

सरकार वैधक की टीका टिप्पणी तो करती है और उसको निरर्थक बताती है किन्तु आज कल आयुर्वेदिक औषधियां किसी फार्मेसी या वैद्यों के द्वारा केवल रुपया कमाने के लिये बनाई जाती हैं जिससे जनता को अधिक दिनों तक चिकित्सा करने पर भी लाभ नहीं होता है और कभी कभी हानि भी करती हैं। जनता का ऐसी चिकित्सा पर पैसा भी बरबाद होता है और दवाओं पर से विश्वास भी उठ जाता है। इसलिये सरकार को चाहिये कि ऐसी दवाओं को चाहे वह कहीं भी बनती हों, वह रोके। उन पर रोक लगाये और शुद्ध तथा अच्छी दवायें बेचे जाने की ही अनुमति दे। और तब भी सरकार दोषारोपण का सोचे। मुझे यह देख कर खेद होता है कि आयुर्वेद पद्धति की शिक्षा की व्यवस्था नितांत अपर्याप्त है और उस के ऊपर अनुसंधान की व्यवस्था तो नहीं के बराबर ही है जबकि ऐलोपैथिक औषधियों के निर्माण पर देश का करोड़ों रुपया व्यय किया जाता है और आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण की कोई भी व्यवस्था नहीं, और सरकार आयुर्वेदिक पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिये केवल बातें ही करती है।

श्रीमती जयाबेन शाह (अमरेली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज तक जो हैल्थ मिनिस्ट्री ने कार्रवाई की है और हमारे देश की जो आयुष्य मर्यादा बढ़ी है और कुछ रोगों पर जो कंट्रोल पाया है, इस पर मैं हैल्थ मिनिस्ट्री का धन्यवाद करती हूं। मगर मैं सुझाव के तौर पर कुछ बातों की ओर इस सदन का ध्यान खींचना चाहती हूं।

एक बात तो यह है कि आज कल क्यूरेटिव साइड की ओर ज्यादा जोर लगा रहा है। मेरी समझ में प्रिवेंटिव साइड पर ज्यादा जोर लगाना चाहिये। मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी जरूरी हैं, मगर इन का मिल पाना बड़ा मुश्किल हो गया है, । कुछ समय पहले की बात है, हमने कलकत्ते में देखा, और सदन के सदस्य इस बात को जानते हैं, कि वहां गारबेज के इतने ढेर लगे रहते कि उनके कारण स्वास्थ्य की क्या हालत होगी यह अच्छी तरह सोचा जा सकता है। मैं समझती हूं कि हमारा काम हम जितने समय में करना चाहते हैं वह नहीं हो सकता।

दिल्ली में भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पबलिक लैटरिन्स नहीं हैं, लेवेटरीज भी नहीं हैं और ऐसे इलाके हैं जिनमें शायद बहिनों को भी बाहर खुले में लैटरिन के लिये जाना पड़ता है। ऐसा मैंने दिल्ली में देखा है। मेरी हैल्थ मिनिस्टर से प्रार्थना है कि और मंत्रालयों से बात करके वह ऐसा करे कि जो नये नये कलकारखाने बन रहे हैं वे बड़े बड़े शहरों में स्थापित न हों बल्कि उनको उनसे दूर हटाया जाये।

सब से महत्वपूर्ण बात पीने के पानी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके बारे में सोचा जा रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर बोर्ड बनाया जायेगा। मैं कहती हूं कि इसके लिये इतना सोचने की क्या जरूरत है। हम एक साल भर से सुनते रहे हैं कि यह बोर्ड बनने वाला है। तो मेरी यह भी प्रार्थना है कि यह जल्दी से जल्दी बन जाये और इमरजेंसी के कारण किसी और चीज पर भले ही कटौती आ जाये, पर इस पर न आये। इस बारे में विशेष रूप से इस सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं।

जिस ढंग से हमारे अस्पताल और दवाखाने तथा हैल्थ सेंटर बन रहे हैं, उन का ढंग ऐसा है कि उन में बहुत खर्चा होता है। हमारे देश की हालत हम देखें और उसकी जन संख्या की ओर हम देखें, तो इस ढंग से यदि हम चलते रहेंगे तो मैं यह मानती हूं कि अगले २५ या ५० सालों में भी हम देश के हर एक निवासी को अपने कामों से फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे।

आगे एक बात और है। मलेरिया, फायलेरिया और लेपरासी जैसे रोगों के बारे में कंट्रोल करने की स्कीमें बनायी गयीं अच्छी स्कीमें हैं, उन से लाभ भी हुआ है और उन के द्वारा हम ने कुछ रोगों पर कंट्रोल भी पाया है। मगर इस बारे में पबलिसिटी और प्रोपेगेंडा और ज्यादा होना चाहिए, जो अभी हो रहा है वह काफी नहीं है और जिनके लिए वह जरूरी है उन तक वह पहुंचता भी नहीं है। जैसे स्मालपाक्स है। इस के कारण हजारों बच्चे हर साल मरते हैं। ये जो बच्चे मरते हैं ये ज्यादातर माता पिता के अज्ञानके कारण मरते हैं। उन को नहीं मालूम कि उन को इस बीमारी के प्रिवेंशन के लिए या क्योर के लिए क्या करना चाहिए। तो इस के बारे में जोर से प्रोपेगेंडा होना चाहिए।

दूसरी बात लेपरासी के बारे में भी है। इस के बारे में जो प्रोग्राम बन रहे हैं वे बहुत अच्छे हैं और कई स्टेटों में बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। लेकिन अगर यह काम कुछ स्टेटों में तेजी से चले और कुछ में धीरे चले तो भी काम नहीं बन सकता क्योंकि जो लेपर हैं वे मोवाइल हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। तो मैं समझती हूं कि इस रोग को हटाना है तो उसके लिए कानूनी मदद की भी जरूरत हो सकती है। तो मेरी माननीय मिनिस्टर से प्रार्थना है कि इस के बारे में सोच विचार कर के कोई कानून लायें जिस से हम इस रोग पर विजय पा सकें क्योंकि मालूम हुआ है कि लेपरासी का कंट्रोल करना ज्यादा कठिन नहीं है।

आयर्वेद के बारे में बहुत सी बातें कही गयी हैं। मैं भी इस बारे में अपनी कुछ राय प्रकट करना चाहती हूं। जो महाबलेश्वर में कानफरेंस हुई थी उस में नतीजा यह निकला कि शुद्ध आयुर्वेद ही चलाया जाये। मैं चाहती हूं कि आयुर्वेद के नाम पर धोखेबाजी नहीं चलनी चाहिए। उस में एडल्टरेशन नहीं होना चाहिए। मगर जब हम शुद्ध आयुर्वेद की बात करते हैं तो दिमाग में ऐसी बात आती है कि हम पुराने आयुर्वेद को कायम रखें और उस के बारे में कोई नई बात न सोचें। इस प्रकार सोचना एक्स्ट्रीम तक इस बात को ले जाना है। आयुर्वेद भी एक साइंटिफिक सिस्टम है, मगर उस को माडर्न सिस्टम आफ मैडीसन नहीं मानी जाती है। आज देश के ८० प्रतिशत लोग आयर्वेद का इस्तेमाल करते हैं फिर भी उस को उसका उचित स्टेटस नहीं दिया जाता। अगर उसे शुद्ध आयुर्वेद के नाम पर आइसोलेट कर देंगे तो उसे धक्का पहुंचेगा। तो मेरी प्रार्थना है कि जो नई नई खोजें और एक्सपैरीमेंट होते हैं उनका लाभ आयुर्वेद को भी मिलना चाहिए। आयुर्वेद आरिएंटेशन चाहता है। इस का यह अर्थ नहीं कि वह एलोपैथी की तरह चलाया जाये। उसके अपने जो असूल हैं, उस की जो असली बातें हैं उन पर डटे रहने के बाद, जो कुछ नयापन हो उसे लेने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी सोचना चाहिए कि जिन्होंने इंटीग्रेटेड सिस्टम से शिक्षा पायी है उनका क्या भविष्य होगा।

कांट्रीब्यूटरी हैल्थ स्कीम के बारे में यहां बात कही गयी। इस के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे देश में जो स्कीमें बनती हैं उन को ऊपर के स्तर पर लागू किया जाता है और उनका नीचे आना मुश्किल होता है, बल्कि वे नीचे तक तो आती ही नहीं। हमारी जो मिनिस्टर हैं वह तो बापू के पास रह चुकी हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे कांट्रीब्यूटरी हैल्थ सर्विस या हैल्थ इंश्योरेंस की स्कीम के बारे में सोचें जो कि उन लोगों पर लागू हो जो कि पिछड़े हुए और गरीब लोग हैं। आप ने हम एम० पीज० के लिए और फर्स्ट और सैकिड क्लास अफसरों के लिए यह

[श्रीमती जयाबेन शाह]

सुविधा दी है। हम तो अपने पैसे से भी अपना इलाज करवा सकते हैं और हम इन सुविधाओं के लिए ठहर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि इन स्कीमों को पहले नीचे से लागू करना चाहिए जिससे कई नई नई चीजों का लाभ गरीबों को मिल सके।

एक बात धूम्रपान के बारे में कहना चाहती हूं। कहा जाता है कि इस के बारे में दो रायें हो सकती हैं। कोई कोई कहते हैं कि उस से कोई रोग नहीं होगा। लेकिन जो रिपोर्टें यू० के० की अखबारों में छपी हैं उन से पता चलता है कि वे हैल्थ के लिए हानिकारक हैं। मैं नहीं कह सकती कि सिगरेट को आप कानूनी तौर से रोक सकती हैं या नहीं, लेकिन इतना मेरा सुझाव है कि जो पबलिक प्लेसेज़ हैं, जो पबलिक हाउसेज़ हैं या सिनेमाघर हैं, या रेलवे स्टेशन हैं उन में सिगरेटों के एडवरटाइजमेंट को जल्द से जल्द रोक देना चाहिए। ऐसा रोकने से जो प्रतिष्ठा सिगरेट को मिली हुई है वह खत्म हो जायेगी।

ये बातें मैंने सुझाव के तौर पर आप के सामने रखी हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है और जो हमारे प्राबलम हैं वे सब जल्दी हल नहीं हो सकते, पर हम को पूरी चेष्टा करनी चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया लोगों को पीने का पानी भी अच्छा नहीं मिलता और खाने के पदार्थ भी अच्छे नहीं मिलते। तेल में ह्वाइट आइल लगाया जाता है। दवाओं में भी ऐसा ही होता है। यह तो मैं नहीं कहती कि इन चीजों का नेशनलाइजेशन कर दिया जाये, मगर ऐसी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए कि इन कामों में लोग प्राफीटियरिंग न कर पावें। देश के स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है कि ये चीजें पूर्णतया शुद्ध होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की बड़ी आभारी हूं कि आप ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की बजट मांगों पर बोलने का अवसर दिया। मैं पुनः निवेदन करूंगी कि इस मंत्रालय का काम अधिक तेज़ी से चले। आज देहातों और पिछड़े इलाकों में जो स्वास्थ्य, सफ़ाई और चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है, वह काम ठीक से वहां पर चले। आज हालत यह बन रही है कि डाक्टर लोग देहातों में जाना ही नहीं चाहते। वे शहरों में ही बने रहना चाहते हैं। मंत्रालय को इस चीज़ को देखना चाहिए कि आज डाक्टर लोग देहातों में जाने में खुश नहीं हैं तो उन को वहां जाने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था की जाय। इस के लिए कोई न कोई रास्ता निकाला जाय, देहातों में जाने के लिए उन को ऐक्स्ट्रा इमौल्यमैंट्स दिये जांय और अन्य इंसैंटिव्स दिये जांय। कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिए ताकि डाक्टर लोग देहातों में जाकर काम करें। वहां की ग़रीब जनता के स्वास्थ्य आदि की उचित देखभाल की जा सके।

श्री कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट अनुदानों पर बोलते हुए मैं इस मंत्रालय का ध्यान दो, चार चीज़ों की ओर दिलाना चाहूंगा।

देशी आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली एक बहुत ही प्राचीन और मानी हुई पद्धति हमारे देश की है। इसलिए आयर्वेदिक पद्धति को पूरे रूप से सारे भारतवर्ष में लागू करना अत्यावश्यक है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति संसार की सब चिकित्सा पद्धतियों की अपेक्षा पुरानी है और सच तो यह है कि इस आयुर्वेद ने ही अन्य सभी चिकित्सा पद्धतियों को जन्म दिया है। आयुर्वेदिक पद्धति चूंकि बहुत सस्ती और सहल है इसलिए आज हमारे देहाती क्षेत्रों की ग़रीब जनता इस पद्धति को बहुत अच्छे तरीक़े से स्वीकार करती है।

दुर्भाग्य का विषय यह है कि आयुर्वेद के बारे में सरकार के जो सलाहकार हैं, हैल्थ मिनिस्टर को जो सलाह देने वाले लोग अथवा विभाग है वह सब एलौपेथी को मानने वाले और एलोपैथिक

पढे लिखे होते हैं । उन के मन में आयुर्वेद के लिए एक घृणा या उपेक्षा का भाव रहता है और सरकार को वहलोग यह सलाह देते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति देश केलिए उपयुक्त नहीं है। वह अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है । इस देश के लिए तो एलोपैथिक ही ठीक है और उसी को क़ायम रहना चाहिए । जितने भी मिनिस्टर्स यहां बैठे हुए हैं वे सब एलोपैथी को पसन्द करते हैं और उसी को अच्छा समझते हैं । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में शासन को खोज करानी चाहिए । जितना खर्चा एलोपैथी पर किया जाता है उतना ही खर्चा यदि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धिति पर किया जाय तो हमारा बहुत सा फौरेन एक्सचेंज मनी जोकि अंग्रेज़ी दवाइयों आदि को मंगाने के लिए विदेशों में चला जाता है वह निश्चित रूप से जाना बन्द हो जायगा । लेकिन मेरा ऐसा कहने का यह मतलब नहीं है कि एलोपैथी नितांत बुरी है । बिला शक उस में बहुत सी अच्छाइयां व गुण भी हैं और हमें वह गुण अवश्य लेने चाहिएं । अब आपरेशन व चीरफाड़ करने की जो उस में पद्धति है वह बिला शक एक खूबी और विशेषता है और उस का फ़ायदा हमें अवश्य लेना चाहिए ।

आयुर्वेद पढ़ने वाले छात्रों को आज जिस प्रकार से बजाय एनकरेज करने के उलटे हैरेस किया जाता है, आवश्यक सहूलियतें उनको नहीं दी जाती हैं और उन के साथ अन्याय किया जाता है, आज के युग में तत्काल बन्द हो जाना चाहिए । उन को पढ़ाई के दौरान अनेकों असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से सरकार एलोपैथिक के छात्रों को सभी आवश्यक सुविधाएं, सामग्री और प्रोत्साहन आदि देती है वही सब आयुर्वेद के छात्रों को भी मिलना चाहिए । आज वह सब सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही हैं ।

एक अन्य बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सारे भारतवर्ष के अन्दर आयुर्वेदिक और एलोपैथिक इन दोनों पद्धतियों के पढ़े हुए और इन की परीक्षाएं पास करे हुए व्यक्तियों की संख्या ५०,००० है । इस देश में ५०,००० डाक्टर्स हैं । उनका आज की संकटकालीन स्थिति को देखते हुए ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया जाता है, ऐसा मेरा शासन के ऊपर आरोप है । मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार का दुर्व्यवहार आज उन लोगों के साथ क्यों किया जाता है ? मेरी तो समझ में इसका कारण यह है कि हमारी हैल्थ मिनिस्टरी में जो सुझाव देने वाले हैं और शासन के जो सलाहकार हैं वे इस देशी आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के बिलकुल विरुद्ध हैं और वह इस को किसी प्रकार से देश में लाना नहीं चाहते । शासन को इस ओर ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और ऐसे लोगों की गुमराहकुन सलाह से आयुर्वेदिक के प्रति उपेक्षा भाव न रखना चाहिए । एलोपैथी पढ़े लिखे लोग जोकि सलाहकार भी होते हैं वह आयर्वेद को कैसी हिकारत की नज़र से देखते हैं इसके लिए मैं आप को बतलाऊं कि मेरे घर में आज एक पत्र आया था । चूंकि वह अंग्रेज़ी में था इसलिए मैं ने उसे अपने एक मित्र से पढ़वाया । उस पत्र में आयुर्वेद की अनेकों बुराइयां लिखी हुई थीं । पत्र में लिखा था कि यह पद्धति बिलकुल अवैज्ञानिक, अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण है और यह कि आयुर्वेद मूर्ख लोगों की पद्धति है। इस प्रकार के शब्द उस में लिखे हुए थे । मुझे बड़ा दुःख है कि जो पद्धति भारतवर्ष में विगत हज़ारों वर्षों से चली आ रही है, जिस पद्धति ने कि अनेक चिकित्सा पद्धतियों को जन्म दिया है, उस प्राचीन और मानी हुई चिकित्सा प्रणाली के लिए ऐसे शब्द लिखना सिवाय मूर्खता के और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है ।

आज की संकटकालीन स्थिति को देखते हुए हमारे देश में डाक्टरों का जो अभाव फैला हुआ है उस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और इस कमी को पूरा किया जाना चाहिए । डाक्टरी सुविधा की समान रूप से सब जगह उचित व्यवस्था हो ताकि हमारे देशवासियों का स्वास्थ्य ठीक रह सके और वह बाहरी शत्रु का सफलतापूर्वक सामना करने में कंधे से कंधा मिला सके ।

आज हमारे देशवासियों में काफ़ी संख्या ऐसे लोगों की हैजिनको कि पौष्टिक तो बात ही क्या पेट भर भोजन तक नहीं मयस्सर होता है । पीने के पानी तक की गांवों में उचित व्यवस्था

[श्री कछवाय]

नहीं है और गंदा पानी पीने के कारण उनको तरह तरह के रोग हो जाते हैं। इस मंत्रालय को लोगों को साफ़ पानी मिल सके इसका भी प्रबन्ध करना चाहिये। पानी की समस्या किसी एक प्रान्त की समस्या नहीं है बल्कि वह तो सारे भारत वर्ष की समस्या है। अनेक प्रांतों में साफ़ पानी की उचित व्यवस्था के अभाव में लोग काफी पीड़ित होते हैं। जहां तक मेरे क्षेत्र का सम्बन्ध है वहां पीने के लिए पानी इतना गंदा मिलता है कि उसको पीने से लोगों को बाला या डेरू नाम की बीमारी हो जाती है। हज़ारों की तादाद में लोगों को निकलता है। शाहजहांपुर में जब मैं पिछली बार वहां गया था तो मैंने देखा कि ३५,००० की बस्ती है जिनमें से कि १५००० लोगों को इस तरह की बीमारी थी।

राजस्थान के अन्दर लोगों को काफी दूर दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। सरकार को इस पानी की समस्या की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। यहां राजधानी तक में पानी का बड़ा अभाव रहता है। सरकार को इस दिशा में विशेष क़दम शीघ्र उठाने चाहियें।

दिल्ली में आने के बाद से मैं यहां पर स्थित लगभग ८३ झुग्गी झौंपड़ियों में घूमा हूं और उनकी हालत को बिल्कुल पास से देखा है। इस तरह से मैंने क़रीब २ लाख ३५ हज़ार जनता से संपर्क स्थापित किया है। मैंने उनकी जो दयनीय दशा देखी उसका कुछ चित्र मैं बहुत संक्षेप में इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं। मैं ने देखा है कि जहां पर १००० झुग्गियां हैं उन १००० झुग्गियों में रहने वाले क़रीब ५, ६ हज़ार लोगों के लिए केवल एक ही नल है। उस एक नल पर बेशुमार भीड़ रहती है और लोगों को ठीक प्रकार से पानी नहीं मिल पाता है। वहां की सफाई की व्यवस्था भी बड़ी शोचनीय है। चारों तरफ़ कूड़े और गंदगी के ढेर जमा रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके प्रति उपेक्षा भाव बर्ता जा रहा है। उनको इतनी गंदगी पानी के अभाव और अन्य असुविधाओं का शिकार होना पड़ता है और उन ग़रीबों की दशा ऐसी ख़राब है कि देख कर रोना आता है। मंत्री महोदय का ध्यान किसी और तरफ़ मालूम पड़ता है, किसी अन्य विचार में डूबे मालूम पड़ते हैं और इस लिये वह मेरी अर्ज़दाश्त पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर इन झुग्गी झौंपड़ियों में रहने वाली सात लाख की अवस्था दर्दनाक है। न उनके लिए पीने का पानी का समुचित प्रबन्ध है, न सफ़ाई की माक़ूल व्यवस्था है और ग़रीबी के अभिशाप से पीड़ित इन लोगों को भर पेट भोजन भी नहीं मिल पाता है। इन गंदी बस्तियों में झुग्गी झौंपड़ियों में रहने वाले निवासियों का जीवन बड़ी ही ख़राब अवस्था में गुज़र रहा है। उनके मकानों और आसपास की गलियों की सफ़ाई की व्यवस्था बड़ी ही ख़राब रहती है जिसके कि कारण ये लोग टी० बी० और मलेरिया आदि अनेकों बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। बरसात में उनकी कठिनाइयां और अधिक बढ़ जाती हैं। वे नारकीय जीवन से इतना तंग आ चुके हैं कि इन झुग्गी झौंपड़ियों में रहने वाली सात लाख जनता के मन में एक बड़ा रोष पैदा हो रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों का ध्यान उधर कतई नहीं जाता है। उन लोगों ने लाचार हो कर आगामी १ मई को संसद भवन के सामने एक बड़ा भारी प्रदर्शन करने का निश्चय किया है ताकि अधिकारियों की आंखें खुलें। वे अपनी दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं। चूंकि हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि यदि १०–२० हज़ार आदमी कोई प्रदर्शन करते हैं तो उसका विशेष असर नहीं पड़ता है इसलिये जब तक १ लाख आदमी हमारे सामने प्रदर्शन करने के लिए नहीं आते हैं तब तक उनकी बात नहीं मानी जाती है। जनता ने उनकी यह बात स्वीकार की है और इन ग़रीब और बेकस मज़दूरों ने यह निश्चय किया है कि एक मई को संसद इस संसद भवन के सामने वह एक लाख की तादाद में व्यवस्थित ढ़ंग से प्रदर्शन करेंगे और इस सदन में देश भर के जो प्रतिनिधि चुन कर आये हैं उनको वे सुनायेंगे कि उनकी समस्या और कठिनाइयां क्या हैं।

इस सम्बन्ध में मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आज हमारे देश में स्वास्थ्य का स्तर बहुत गिरता जा रहा है। हम देखते हैं कि बीस साल का बालक पांच सेर वज़न भी नहीं उठा सकता, क्योंकि उस में ताक़त नहीं होती है। इसका कारण यह है कि हमारे देश में खाने-पीने के पदार्थ शुद्ध नहीं मिलते हैं और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये जो सुविधाएं और सहूलियतें मिलनी चाहियें, वे नहीं मिलती हैं।

दो चार दिन पहले मैं ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों पर हो रहे वाद-विवाद में भाषण करते हुए बताया था कि छोटे शहरों में अधिकांश विद्यार्थी ऐसे होते हैं, जो कि स्कूल जाने के समय सिनेमा चले जाते हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री से नम्रतापूर्वक प्रार्थना करूंगा कि उन को सूचना और प्रसारण मंत्री को लिखना चाहिये कि हिन्दुस्तान में किसी भी स्थान पर दिन के समय सिनेमा नहीं चलने चाहिए और अगर कोई चलाये, तो उस के विरुद्ध कठोर कार्यवाही होनी चाहिये।

इस देश की जनता सस्ते इलाज की आवश्यकता को महसूस करती है। यदि कोई एलोपैथी का इलाज कराये, तो एक इंजेक्शन के लिए तीन चार रुपए देने पड़ते हैं, जिसका अर्थ यह है कि उस की तीन चार रोज़ की मज़दूरी चली जाती है। इस देश का आम आदमी यह सोचता है कि जब मैं आठ या बारह आने रोज़ कमाता हूं, तो दो आने की पुड़िया से मेरी बीमारी ठीक हो जाए। इसलिए सरकार को इस देश के लोगों को सस्ता इलाज सुलभ कराने का प्रयत्न करना चाहिए।

दवाओं के महंगेपन के बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पूना के पास सरकारी कारखाने में जो पेनिसिलिन बनाई जाती है, वह केवल १८ नये पैसे में बन कर तैयार होती है, लेकिन वह ५० नये पैसे में बेची जाती है। इससे प्रकट होता है कि सरकार कितना ज्यादा मुनाफा लेती है। कोई दुकान उस को २५ नये पैसे, कोई ३० नये पैसे और कोई ४० नये पैसे ज्यादा पर बेचती हैं। जब सरकारी कारखाने की दवाओं के दाम बढ़ा कर लिये जाते हैं, तो फिर दूसरे लोग ऐसा क्यों नहीं करेंगे? इसलिये यह आवश्यक है कि दूसरों को कुछ कहने से पहले सरकार को अपने कारखानों में उसका पालन करना चाहिये।

मैं स्वास्थ्य मंत्राणी महोदया से निवेदन करूंगा कि उनको मेरे साथ चल कर दिल्ली नगर की २३५ गन्दी बस्तियों का दौरा करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि वहां पर लोग किस प्रकार अपने परिवार का पालन करते हैं, मां किस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। मंत्राणी महोदया को तो यह जानने का अवसर नहीं मिला कि किस तरह बच्चों को पालना चाहिये। उनको अनुभव प्राप्त करना चाहिये कि वहां पर मां किस प्रकार अपने बच्चों को पालती है और उस को कितने दुख और तकलीफ उठानी पड़ती है।

श्रीमती चावदा (बनस्कंठा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो बातें आ गई है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहती, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहती हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो कुछ कार्य किया है, वह सचमुच प्रशंसनीय है।

देश की बढ़ती हुई आबादी और संकट की स्थिति को देखते हुए हमें डाक्टरों और नर्सों की बहुत जरूरत है। इसलिए हम को जल्दी ही डाक्टर और नर्स तैयार करने चाहिएं और उनको तैयार करने के लिए जो भी खर्च हम करेंगे, वह उपयोगी ही होगा। मरीजों को डाक्टरों और नर्सों दोनों की आवश्यकयता होती है। फिर भी आम नर्सों को मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इस के बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि इस विचार को बदलना चाहिये, क्योंकि हमें नर्सों की बहुत ही जरूरत है और उन

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती चावदा]

के द्वारा मरीजों को डाक्टरों से ज्यादा आराम पहुंचता है। एक अच्छी नर्स पाने पर मरीज अपना आधा दुख भूल जाते है या अपने दुख को कम महसूस करते हैं। हमें इस पर गौर करना चाहिये।

हम को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की अधिक जरूरत है, क्योंकि शहरों के बजाये देहात ज्यादा हैं और देहातों में रहने वालों को किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती है। हर दो या चार हजार आबादी को बस्ती पर प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र खोला जाना चाहिये और इसके साथ ही वहां पर डाक्टरों के रहने का इन्तजाम भी होना चाहिए, ताकि वे देहातों में जायें और वहां रह सकें।

जहां तक पीने के पानी का संबंध है, कई देहात ऐसे हैं, जहां पीने के पानी की सुविधा नहीं होती है। लोग तालाब से पानी पीते हैं, उसी में नहाते और कपड़े आदि धोते हैं। पशु भी उसी में गोबर करते हैं और पानी पीते हैं। प्रकट है कि ऐसा पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और आगे चल कर इससे बीमारियां फैलती हैं और देहाती लोग उन बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। हमें चाहिए कि उन लोगों को साफ पीने के पानी की सुविधा दी जाये।

जिस विभाग से मैं आती हूं, वहां आज भी सौ, सवा सौ देहात ऐसे हैं, जहां पीने के लिए पानी नहीं मिलता है और पानी की चोरी होती है।

एक माननीय सदस्य : कौन सा विभाग है ?

श्रीमती चावदाव : नस्कंठा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। पहले तो और भी अधिक देहात थे, जिन को पानी बिलकुल नहीं मिलता था। वहां स्थिति यह है कि बारिश में जो पानी आता है, वह तालाब में जमा हो जाता है और वे लोग उसी को काम में लाते है। जब गर्मी आती है, तो वह तालाब सूख जाता है। तब तालाब में गड्ढे खोदे जाते हैं और उन में जो पानी निकलता है, उस का इस्तेमाल किया जाता है। उन गड्ढों पर चौकी की जाती है, क्योंकि बहुत कम पानी आता है और अगर उस पर चौकी न की जाए, तो पानी चोरी चला जाता है। जो बहनें पानी भरने जाती हैं, उन के साथ किसी घर वाले को जाना पड़ता है। आज यह परिस्थिति वहां की है। यह स्थिति मैंने स्टेट के हैल्थ मिनिस्टर साहब के सामने भी रखी थी और उन को अपने यहां आने का आमत्रंण दिया था। जब वह आईं, तो मैं ने उन को कहा कि हमारे यहां पानी चोरी होता है। उन्होंने कहा कि यह तो मैं मान नहीं सकती हूं।

मैंने कहा आइये मैं बताती हूं। मैं उनको वहां ले गई। दोपहर का वक्त था जब वह आने वाले थे। पहले ही दो रोज से वहां पर इंतजाम हो चुका था। गर्मियों के दिनों में वैसे ही पानी बहुत कम निकलता है और बड़ी महनत से पीने के पानी को इकट्ठा किया जाता है सरकारी अफसर भी वहां पहुंच गए थे। पीने के पानी का इंतजाम भी कर दिया गया है। वह वहां करीब दो बजे आए। मैंने मंत्री महोदय से पूछा कि आप पानी पीयेंगे या शरबत पानी चाहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पानी ही पीना चाहूंगा। मेरे पास कुछ भाई मौजूद थे और मैंने उनसे कहा कि जा कर आप के लिए पानी ले आयें। जब वह पानी आया तो मंत्री महोदय ने कहा कि आप से तो मैंने कहा था कि मैं पानी पीयूंगा और आप शरबत मंगा लिया है। मैंने उत्तर दिया कि आप पी कर तो देखिये, यह पानी ही है, शरबत नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उन्होंने रंग देख कर ही यह समझ लिया कि यह शरबत है जब कि असल में वह पानी था। उस पानी की काफी सफाई भी की गई थी लेकिन फिर भी यह पानी इतना गन्दा था कि उस में शरबत का ही कलर उनको नज़र आया—

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : वह जिन्दा अभी तक है या नहीं ?

श्रीमती चावदा : उस पानी को पीने के लोग इतने आदी हो गए है कि उन्हें कोई तकलीफ ही नहीं होती और अगर होती भी है तो बहुत कम। फिर और कोई चारा भी तो नहीं है। उनको सब कुछ सहन करना पड़ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपांध्यक्ष महोदय में आपके द्वारा माननीय स्वास्थ्य मन्त्राणी जी की सेवा में निवेदन करना चाहंती हूं कि हमारी जो पानी की कठिनाई है, इसको वह समझें और इसको हल करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठायें।

जो वहां पर पीने के पानी की कमी है, उससे देहातों में अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। खास तौर से स्किन डिजीजिज, आंखो की डिजीजिज तथा पेट के रोग फैलते हैं। लोग इन बीमारियों से बच सकें, इसके लिए जरूरी है कि उनके लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था हो। में चाहती हूं कि यह जो असुविधा वहां है, इसको दूर किया जाए ताकि वे इन रोगों से मुक्ति पा सकें।

अन्त में आपने जो मुझे थोड़ा सा समय दिया है, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रदर्शित करती हूं।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की पृष्ठभूमि में जबकि जंग के बादल हमारे सिरों पर मंडरा रहे हैं, यह देख कर दुख होता है कि हमारे देश में डाक्टरों का बड़ा भारी अभाव है। आप जानते ही हैं कि लड़ाई में डाक्टरों की आवश्यकता होती है, नर्सों की आवश्यकता होती है। जब यहां देश में उनको पूर्ति न हो सके, जब देश में इनकी कमी हो, तो कार्य किस तरह से चल सकता है, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

हमारे देश में अभी कुल ७१ मैडीकल कालेज हैं और उनमें सात हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। यह संख्या बहुत कम है। मेरा विचार है कि प्रशिक्षण के लिए अधिक से अधिक सुविधायें दी जानी चाहियें और अधिक से अधिक संख्या में डाक्टर तैयार किये जाने चाहियें और अधिक से अधिक संख्या में मैडोकल कालेजों में भरती को व्यवस्था होनो चाहिये। खुशी की बात है कि हमारे स्वास्थ्य मन्त्रालय ने इसकी कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्था तो की है। वह कुछ अनुदान के रूप में राज्यो को रुपया भी देता है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इसको बढ़ाया जाना चाहिये। इस एमरजेंसो के दौर में तथा अन्तरिम काल में विद्यार्थियों की संख्या बढ़नी चाहिये।

एम० बी० बी० एस० का कोर्स जो कि साढ़े चार साल का कर दिया गया है, यह एक स्वागत योग्य कदम है। जब तक ये लोग कालेजों में से निकलेंगे तब तक जो गैप है, उसको पूरा करने की भी कोई न कोई व्यवस्था होनो चाहिये। मेरा सुझाव है कि इस अन्तरिम काल के लिए कुछ और प्रशिक्षण को व्यवस्था को जानो चाहिये, चाहे फिर साल भर का कोर्स हो या छः महीने का हो। इस काल में प्रारम्भिक चोजें लोगों को सिखाई जानो चाहियें ताकि जब आवश्यकता हो, उन लोगों को काम में लाया जा सके। अभी मद्रास ने १८ महीने के कोर्स को व्यवस्था की है। उसको लेकर काफी टीका टिप्पणो को जा रही है और कहा जा रहा है कि यह समय अपर्याप्त है और इसमें प्रशिक्षण नहीं हो सकता है। टीका-टिप्पणो तो होगी ही लेकिन यह भी देखा जाना चाहिये कि जो कमी है या जो गैप है, वह कैसे पूरा किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि इसको ओर मन्त्रालय ध्यान दे और छः महीने या साल भर के प्रशिक्षण के कोर्स खोले जायें ताकि कमी पूरी हो सके।

हमारे यहां डाक्टरों की कितनी कमी है, यह मैं आपको बतलाता हूं। हमारी आबादी करीब ४४ करोड़ है और हमारे पास करीब एक लाख डाक्टर हैं। अगर एक हजार आबादी पर एक डाक्टर की व्यवस्था को जाए तो हमें चार लाख ४० हजार डाक्टर चाहियें और उनके लिए करीब १३ लाख दूसरे आदमो चाहियें, जैसे नर्स हैं, कम्पाउंडर हैं या दूसरे लोग हैं। खेद की बात है कि पन्द्रह वर्ष की स्वतंत्रता के बात भी सरकार की समझ में यह बात नहीं आई है कि इस ४४ करोड़ जनसंख्या के लिए एक लाख डाक्टर अपर्याप्त हैं, नितांत अपर्याप्त है। मैं और राज्यों की बात नहीं जानता हूं। उत्तर

[श्री मोहन स्वरूप]

प्रदेश की बात मैं जानता हूं। पिछले वर्ष वहां के मुख्य मंत्री ने, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, कहा था कि उत्तर प्रदेश में करीब ३२०० ऐसी डिसपैंसरीज हैं, जिनमें डाक्टर नहीं हैं . . . .

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : वे ऐसे वक्तव्य का हवाला दे रहे हैं, तो हाल में समाचार पत्रों में प्रकाश हुआ है, जिसमें आंकड़े ३२०० नहीं, २५० दिये गये हैं।

श्री मोहन स्वरूप : ३०० डिसपैंसरीज ऐसी हैं, जिन में डाक्टर नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस समस्या पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये।

अब मैं होम्योपैथिक प्रणाली के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह बहुत सस्ती प्रणाली है। इस प्रणाली से लोगों को प्रशिक्षण मिले, इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो लोगों का सस्ते में इलाज हो सकता है। सभी जानते हैं कि एलोपैथिक प्रणाली बहुत महंगी प्रणाली है। उसकी दवायें दिन-ब-दिन महंगी होती जा रही हैं। ५ लाख ५८ हजार गांवों में रहने वाले गरीब लोग, मामूली लोग इस प्रणाली से इलाज करा सकें, यह मुमकिन नहीं है। मेरा सुझाव है कि होम्योपैथिक इलाज की भी व्यवस्था होनी चाहिये और इसके प्रशिक्षण की भी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

मेरी कांस्टिटयुएन्सी पीलीभीत है। वहां पर एक आयुर्वेदिक कालेज है जो कि बहुत अच्छा है और बहुत वर्षों से उसकी ख्याति चली आ रही है। मुझे बताया गया है कि सरकार की ओर से यह व्यवस्था की जा रही है कि आयुर्वेदिक के साथ एलोपैथिक मिश्रित इलाज न हो सके। मैं समझता हूं कि यह चीज मुनासिब नहीं है। यह मुनासिब नहीं है कि इसमें परिवर्तन किया जाए। मेरा सुझाव है कि आयुर्वेदिक कालिजों में आयुर्वेद के साथ एलोपैथी के जो मिक्स्ड इलाज की व्यवस्था थी उसको जारी रखा जाना चाहिये।

जैसा कि मैंने पिछले वर्ष की भी कहा था गांवों में क्वैक्स की संख्या बढ़ती जा रही है। थोड़ी ही सी शिक्षा के बाद अगर थरमामीटर लगाने का तरीका उनको आ गया तो वे गांवों में बैठ कर इलाज करना शुरू कर देते हैं। इससे मरीजों की जान पर ही आ बनती है, उनकी जानें खतरे में पड़ जाती हैं। यह तो उनकी जान के साथ खिलवाड़ करना हुआ। मेरा सुझाव है कि क्वैक्स की रोकथाम करने के लिए, उनसे लोगों की रक्षा करने के लिए सरकार कोई कानून बनाये और इस प्रकार की चीज को एक जुर्म करार दे। जब तक कोई पूरी तरह से प्रशिक्षित न हो, उसको इलाज करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये।

इसके साथ साथ आज आवश्यकता है कि हेल्थ एजूकेशन का प्रसार हो। मेरे पास "हैल्थ" एजूकेशन एक किताब है। उसमें का एक कोटेशन है :—

"विश्व स्वास्थ्य संगठन के मतानुसार स्वास्थ्य न केवल बीमारी से युक्त होता है बल्कि मन से, शरीर से तथा सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ होता है।"

स्वास्थ्य क्या है ? आम तौर पर लोग नहीं जानते हैं कि स्वास्थ्य है क्या चीज। स्वास्थ्य के माने यह लगा लिये गये हैं कि अगर किसी जगह किसी प्रकार की बीमारी नहीं है तो स्वास्थ्य अच्छा है। स्वास्थ्य का मतलब यह है कि आदमी का स्वास्थ्य सही तौर से, कुदरती तौर से, जैसा होना चाहिये वैसा हो उस इलाके के, उस देश के लोगों का स्वास्थ्य ठीक है वर्ना महज इसी बात से कि मलेरिया का एरैडिकेशन हो रहा है, मलेरिया नहीं फैल रहा है, आदमी कम मर रहे है, काम नही चलता इसलिय

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य का विस्तार हो, स्वास्थ्य की तरफ़ लोगों का ध्यान ज्यादा दिलाया जाय। स्वास्थ्य का प्रशिक्षण गांवों में हो। वहां पर हैल्थ एजूकेशन का विस्तार हो। गांवों में इस तरह के सैन्टर्स बनें जहां लोगों को बतलाया जाय कि स्वास्थ्य क्या चीज है और स्वास्थ्य कैसे कायम रक्खा जा सकता है। स्वास्थ्य के माने समझें, और उनमें स्वस्थ रहने की आदत हो तभी देश का सुधार सम्भव है।

पिछले वर्ष मैं ने कहा था स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये हैल्थ कम्पिटीशन होने चाहियें। जिस तरह से खेती के सिलसिले में या दूसरी चीजों के बारे में होता है उसी तरह से राज्यों के स्तर और जिले के स्तर पर इस तरह के स्वास्थ्य कम्पिटीशन होने चाहियें। जो सब से ज्यादा स्वस्थ लोग हैं उन्हें पुरस्कार आदि देने चाहियें जिनसे स्वास्थ्य को कायम रखने के लिये बढ़ावा मिल सके।

इसके अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, और जिस की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह है न्यूट्रिशस डायट की। आज देश में न्यूट्रिशस डायट का अभाव है। आज लोग जानते नहीं हैं कि वे पौष्टिक पदार्थ कौन से हैं जिनसे शरीर बन सकता है और आदमी अच्छी तरह से स्वस्थ रह सकता है। इस समय मेरे पास एक किताब है जो कि स्कूल हेल्थ कमेटी की रिपोर्ट है। उसमें दिया गया है :

> "दक्षिण भारत के चारों राज्यों में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर ४५०० बच्चों का कम्पीटीशन किया गया जो पांच वर्ष से छोटे थे। २–३ प्रतिशत बच्चों में क्वाशियोरकोर और मरास थी और ५ से २५ प्रतिशत तक बच्चों में प्रोटीन की कमी थी।"

प्रोटीन के अभाव से बच्चों का जो पोषण होना चाहिये वह रुक जाता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। न्यूट्रिशस डायट और प्रोटीन की कमी का जो सवाल है वह गरीब लोगों में या अण्डर डेवेलप्ड कण्ट्रीज में रहता है। हमारे देश में इसकी तरफ़ सरकार का ध्यान होना चाहिये। जब तक पौस्टिक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में हमारे यहां नहीं मिल सकेंगे तब तक मैं समझता हूं कि हेल्थ की समस्या हल नहीं होगी।

आइसक्रीम और बर्फ़ के इस्तैमाल से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता है। इस के मुताल्लिक कहा जाता है कि इनमें सैक्रीन होती है और वे रंग भी होते हैं जो स्वास्थ्य के लिये खराब होते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। इसका एक सर्वे होना चाहिये कि जो सेंट परसेंट सैक्रीन इस्तैमाल होती है उससे क्या नुकसान होता है और रंग भी जो इस्तैमाल होते हैं उनसे क्या नुकसान होता है।

पानी की समस्या, खास तौर से दिल्ली में, बड़ी एक्यूट है। मैं समझता हूं कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में यहां की २७ लाख लोगों की आबादी पर कोई संकट आने वाला है। दिक्कत यह है कि दिल्ली में मकान तो बन रहे हैं लेकिन मकान बनने के साथ साथ गवर्नमेंट और कारपोरेशन पानी की समस्या को हल नहीं करते। पानी की लाइनें नहीं दी जातीं, इसलिये पानी की व्यवस्था नहीं होती। इस तरफ़ भी मैं चाहता हूं कि सरकार ध्यान दे और जो संकट आने वाला है उसको वह ध्यान में रखे।

अब कुछ थोड़ी सी गांवों की चीजें हैं जिनकी तरफ़ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। गांवों में सांप काटने के वाकये होते हैं जिनसे हर साल हजारों और लाखों आदमी मरते हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह के क्लिनिक गांव में हों जहां इसके लिये सीरम की व्यवस्था हो ताकि सांप काटने के टीके लग सकें। और भी इलाज इसके लिये हो सकते हैं। आज तो समझ लिया गया है कि सांप काटने का कोई इलाज नहीं है और लाखों आदमी यहां मरते हैं। डूबने वालों की संख्या भी देहातों में काफ़ी होती है। लोग समझते हैं कि जहां आदमी डूबा वह मर गया। होता या है कि उनकी सांस रुक जाती है। इसलिए

[श्री मोहन स्वरूप]

उनके लिये रेस्पिरेशन का इन्तजाम होना चाहिये । अगर इस तरह के क्लिनिक्स हों जहां पर ऐसी चीजों का इलाज हो सके तो मैं समझता हूं कि वह एक बहुत अच्छी बात होगी ।

इसके साथ साथ पागलपन का रोग भी बहुत बढ़ता जा रहा है देश में । गांवों में जगह जगह पर पागल अवस्था के लोग सड़कों पर घूमते रहते हैं । दिन ब दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है । मेरे पास इसके भी फिगर्स हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास समय कम है, मैं उनको कोट नहीं करना चाहता । मैं चाहता हूं कि इसकी ओर भी ध्यान दिया जाय ।

इसी के साथ हार्ट डिजीजेज के केसेज की संख्या भी बढ़ती जाती है । आये दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि लोग हार्ट की बीमारी से मर गये । अच्छे खासे सोये और चारपाई पर मरे पाये गये । इस के निराकरण के लिये भी हम को कुछ सोचना चाहिये ।

आज फैमिली प्लेनिंग की बहुत चर्चा होती है । अभी मेरे पास अखबार की कटिंग कोटेशन है । उस में यह बतलाया गया है कि अमरीका जैसे राष्ट्रों में कृत्रिम गर्भ निरोध की जो व्यवस्था है उस का विरोध किया गया है । यह कहा गया है कि कृत्रिम गर्भ निरोध से वेश्या वृत्ति और भ्रष्टाचार बढ़ेगा । मैं समझता हूं कि बजाय फैमिली प्लैनिंग के इस तरह की व्यवस्था हो, इस तरह का प्रचार हो, कि लोगों का ध्यान सदाचार की तरफ और धर्माचार की तरफ जाय । इस देश की परम्परा ऐसी ही है जिस के अन्तर्गत ब्रह्मचर्य का स्थान रहा है। इसलिये बजाय इस के कि हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें, वेश्या वृत्ति को बढ़ावा दें, इन उच्च विचारों का विस्तार करें ।

डा० श्रीनिवासन (मद्रास उत्तर) : १९५१–५२ में लोक स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति ८२ नये पैसे खर्च किये जाते थे जब कि अब १ रुपया और कुछ नये पैसे खर्च किये जाते हैं ।

राष्ट्रीय संकट में भी स्वास्थ्य पर पर्याप्त खर्च होना चाहिये । हमने सुना है कि उसमें १७ प्रतिशत कमी कर दी गई है । वास्तव में स्वास्थ्य पर ही प्रतिरक्षा और शिक्षा निर्भर करते हैं ।

माननीय मंत्री के वक्तव्य के अनुसार मलेरिया निवारण कार्यक्रम एक वर्ष में समाप्त हो जायगा, किन्तु फीर पनप का रोग हमारे प्रदेश में बहुत फैला हुआ है । उसे समाप्त करने का कार्यक्रम करना चाहिये ।

परिवार नियोजन के ८००० केन्द्रों में से ७००० केन्द्र गांवों में हैं । परिवार नियोजन के कृत्रिम उपाय उपयोगी नहीं । गर्भ निरोधक वस्तुओं में सुधार होना चाहिये और यह प्रयत्न करना चाहिये कि उच्च और मध्य वर्ग के लोगों की ही तरह गरीब लोग भी इस से लाभ उठा सकें । परिवार नियोजन से हम गरीबी को भी दूर कर सकते हैं ।

चेचक निवारण कार्यक्रम के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कानून द्वारा यह निर्धारित कर देना चाहिये कि हर व्यक्ति को बचपन में टीका लगवाना चाहिये और फिर तीसरे या पांचवें वर्ष में टीका लगवाना चाहिये ।

भारत में ६००० व्यक्तियों के लिए एक डाक्टर है जब कि अमरीका में ७०० व्यक्तियों के लिए एक डाक्टर है । डाक्टर का वेतन बहुत कम है । मंत्री महोदय को चाहिये कि वे राज्य सरकारों से डाक्टरों का वेतन बढ़ाने का अनुरोध करें ।

एंटीबायटिक्स स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है । सरकार को इस उद्योग की वित्तीय सहायता करनी चाहिये ।

मंत्री महोदय को चाहिये कि मद्रास की जलपूर्ति की व्यवस्था को सुधारें जिससे वहां लोग बहुत आभारी होंगे ।

†**डा० मेलकोटे** (हैदराबाद) : मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

इस मंत्रालय के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि को नित्य प्रति कम किया जा रहा है जब कि इसका महत्व इतना अधकि है कि आपातकाल में भी इसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है । मंत्रालय ने १२ या १३ कालेज खोले हैं और पाठ्यक्रम को छोटा कर के बचत करने का विचार किया जा रहा है । वास्तव में यदि गांवों में कालेज खोले जायें तो बहुत बचत हो सकती है ।

हम आज अनुभव कर रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता का निर्माण होना चाहिये । इसके लिए क्षेत्रीय कालेज खोले जायें जहां क्षेत्र के सभी लोग दाखिल हो सकें। इसके साथ ही चिकित्सा अधिकारियों की अखिल भारतीय सेवा स्थापित करनी चाहियें ।

स्वास्थ्य मंत्रालय को उन लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी चाहिये जो लोगों के स्वास्थ्य को सख्त हानि पहुंचा कर अशुद्ध दवाइयों से पैसा कमाते हैं । दवाइयों सम्बंधी अनुसंधान करने वाले हमारी देश की जन संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त नहीं हैं ।

दिल्ली में निज़ामुद्दीन के पास नाले की बहुत गंदगी है । उसकी सफाई की व्यवस्था करनी चाहिये । हम एलोपैथी पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं । आयुर्वेदिक भी समृद्ध विज्ञान है और इस पर भी पर्याप्त व्यय होना चाहिये ।

आयुर्वेद के बारे में मंत्रालय के परामर्शदाता डा० द्वारकानाथ ने इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है । इसी प्रकार जबलपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गोरे ने एक पुस्तक में बताया है कि आधुनिक विज्ञान आयुर्वेद का समर्थन करता है ।

सीबा कम्पनी आयुर्वेद के बारे में अनुसंधान कर रही है । इससे भी इस विद्या की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

भारत में ऐतिहासिक कारणों से आयुर्वेद सम्बंधी पुरानी पुस्तक नष्ट हो गई हैं किन्तु तिब्बत, मंगोलिया इंडोचाइना आदि अन्य देशों में पुस्तकें विद्यमान हैं जिनका अध्ययन करना चाहिये ।

आयुर्वेद के लिए एक अलग निदेशालय स्थापित करना चाहिये ।

श्री ह० च० सौय (सिंहभूम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझ से पहले जो माननीय सदस्य बोले हैं, उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया है कि हमारे स्कूलों के बच्चों को किस तरह से संतुलित भोजन मिले । मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य के सम्बन्ध में हमारे देश को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, इस बात को हम सभी लोग महसूस करते हैं और स्वास्थ्य मंत्राणी जी भी समझती हैं । मगर दिक्कत यह है कि उन सारी सुविधाओं का इन्तज़ाम हम कैसे करें ।

अभी एक माननीय सदस्य ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अब तक जितनी सुविधायें हम देश की दे सके हैं, वे अधिकतर ऊपरी तबके के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ह० च० सौय]

लोगों के लिए हैं और शहरों में ज्यादा हैं । उस रोज माननीय कृषि मंत्री, श्री पा:टल, ने खाद्यान्नों के दामों के बारे में देश को आश्वासन दिलाया कि वह इस बात की कोशिश करेंगे कि उन के ठीक दाम कृषक को मिलें, इस ओर वह ज्यादा घ्यान देंगे बनिस्वत इस के कि उन चीज़ों के खाने वालों को अधिक दाम न देने पड़ें । मैं आप के द्वारा स्वास्थ्य मंत्राणी जी से दरख्वास्त करूंगा कि स्वास्थ्य की सुविधाओं के बारे में वह इस बात की कोशिश करें कि शहरी लोगों की बीस प्रतिशत आबादी की तरफ़ अधिक घ्यान न दे कर देहात के अस्सी प्रतिशत लोगों की तरफ अधिक घ्यान दिया जाये ।

इस सम्बन्ध में मैं आप के सामने मिल्क सप्लाई स्कीम का उदाहरण देना चाहता हूं । हम देखते हैं कि ये स्कीम्ज़ दिल्ली या बम्बई जैसे बड़े शहरों में ही चलाई गई हैं । यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिक ज़रूरत इस बात की है कि देश के बड़े औद्योगिक इलाकों में, जैसे कोयले की खदानों के इलाके में और राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर जैसे स्थानों में, जहां लोग एसेंशनल इंडस्ट्रीज़ में क म करते हैं, मिल्क सप्लाई स्कीम शुरू की जाए । एक तो वहां के मज़दूरों और दूसरे लोगों के स्वास्थ्य को व्यवसाय की बीमारी से धक्का पहुंचता है और साथ ही वहां पर संतुलित भोजन नहीं मिलता है । अगर कम से कम मिल्क सप्लाई का इन्तज़ाम वहां पर होता, तो हम समझते कि हम देश के लिए एसेंशल चीज़ों के उत्पादन में लगे हुए लोगों के प्रति याय कर रहे हैं । आईन्दा इस बात की कोशिश की जाए कि मिल्क सप्लाई स्कीम्ज़ को बड़े शहरों में शो पीसिज़ के तौर पर रखने के बजाये यह बेहतर होगा कि औद्योगिक केन्द्रों में मिल्क सप्लाई का इन्तज़ाम हो । हां, यह बात ज़रूर है कि इस बारे में आर्थिक समस्या हमारे सामने है । लेकिन उस आर्थिक समस्या के दायरे में ही कोशिश यह होनी चाहिए कि हम औद्योगिक केन्द्रों में, और विशेषकर मज़दूरों को, कम से कम सस्ता और शुद्ध दूध दे सके ।

मैं स्वास्थ्य मंत्राणी जी का घ्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि देहातों में, जहां हम लोग रहते हैं, हम को युवक डाक्टर और नर्स पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते हैं । अधिकतर लोगों को आयुर्वेद के डाक्टरों से आयुर्वेद की दवायें लेनी पड़ती हैं । लेकिन हम देखते हैं कि उन्हें इतनी जल्दी लाइसेन्स मिल जाता है कि उन का काम क्वैकरी की तरह मालूम होता है अक्सर यह भी देखा गया है कि बहुत से पिछड़े इलाकों में दवा खाने के बदले लोग पूजा-पाठ करते हैं । इस सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि कम्यूनिटी डेवेलपमेंट ब्लाक्स और स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखने वाले दूसरे विभागों की तरफ़ से उन लोगों को सोशल एडूकेशन देने का और ज्यादा तेज़ी और गहराई से प्रयत्न करना चाहिए । जो लोग बीमारी के समय पूजा-पाठ करते हैं वे अज्ञानता के कारण ऐसा करते हैं । इस लिए मेरा सुझाव है कि विभिन्न बीमारियां किस तरह से होती हैं, इस बारे में स्वास्थ्य विभाग की गाइडेंस में कुछ फ़िल्में बनाई जानी चाहिए, जो कि उन लोगों को दिखाई जायें ।

अखबार में बताया गया है कि हमारी स्टेट बिहार में ७२ ऐसे ब्लाक्स हैं, जो कि बग़ैर डाक्टर के चलाए जा रहे हैं । यह बात सही हो सकती है । अभी एक माननीय सदस्य ने आकड़ों के ज़रिये से बतलाया है कि डाक्टरों की कमी की वजह से बहुत सालों तक हमारे देश को कोई सुविधा नहीं मिल सकेगी । जैसा कि कई स्टेट्स में प्रयत्न किया जा रहा है, इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि डिग्री प्राप्त करने से पहले डाक्टरों को एक बरस या छः महीने के लिए देहात में प्रैक्टिकल काम के लिए भेजा जाये ।

कई सालों से बंगाल से कुछ डाक्टरों को दूसरी स्टेट्स में भेजे जाने की बात चल रही थी। मैं नहीं कह सकता हूं कि इस बारे में कितनी सफलता मिल सकेगी, लेकिन इस बात का प्रबन्ध किया जाना चाहिए कि बंगाल और दूसरे इलाकों से, जहां अधिक डाक्टर हैं, दूसरी स्टेट्स और देहातों में डाक्टर भेजे जायें, ताकि वहां पर डाक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके।

मैं आशा करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय इन सुझावों पर विचार करेगा और उन के बारे में आवश्यक कार्यवाही करेगा।

†**श्री लोनीकर** (जायना) : मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे प्रसन्नता है कि मंत्रालय ने संकटकाल में डाक्टरों की संख्या बढ़ाने का निश्चय किया है, किन्तु संक्षिप्त पाठ्यक्रम पर कुछ विश्वविद्यालयों को आपत्ति होगी कि गुण प्रकार का स्तर गिर रहा है। फिर भी हमें अधिक संख्या में चिकित्सा अधिकारी चाहियें अतः ये पाठ्यक्रम शुरू करने चाहियें।

आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा की एकीकृत प्रणाली आरम्भ करनी चाहिये। कई राज्यों में पहले ही इस प्रकार के एकीकृत पाठ्यक्रम हैं। देश भर में इन्हें शुरू करना चाहिये।

केन्द्रीय चिकित्सा सेवा का मैं भी समर्थन करता हूं।

मैं मंत्रालय के इस निश्चय का स्वागत करता हूं कि खाद्य पदार्थों और दवाइयों में मिलावट करने वालों को सख्त सजायें दी जायेंगी।

हमारा परिवार नियोजन कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है किन्तु और अधिक गहन कार्यक्रम आरम्भ करना चाहिये।

मंत्रालय को मलेरिया की ही तरह क्षय रोग निवारण के लिये जोरदार कार्यक्रम आरम्भ करना चाहिये और प्रविधिक कार्यों के लिये लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये।

†**श्री रामचन्द्र मलिक** (जाजपुर) : डा० सुशीला नायर ने बहुत समय गांधी जी के साथ काम किया है और उन्हें गांधी जी का उद्देश्य का ज्ञान होगा अतः मैं आशा करता हूं कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम वर्ग के लोगों की ओर अधिक ध्यान देंगी।

राष्ट्र के जीवन में स्वास्थ्य का अत्यधिक महत्व है अतः इस कार्य में समन्वय की आवश्यकता है।

मेरे राज्य में जल पूर्ति की बड़ी गंभीर समस्या है। वहां अनुसूचित जातियों के प्रायः ७० लाख लोग रहते हैं। जब तक सरकार शुद्ध जल की व्यवस्था न करे तब तक हैजा, चेचक आदि रोगों को नहीं रोका जा सकता।

यद्यपि सरकार उड़ीसा में हर २०,००० लोगों के लिये औषधालय की व्यवस्था कर रही है परन्तु यह पर्याप्त नहीं है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अस्पताल में कोई महिला डाक्टर नहीं। इस बारे में मुझे बहुत शिकायतें मिली हैं। केन्द्र को चाहिये कि वह मैसूर राज्य को अधिक धन दे जिस से और अधिक चिकित्सालय खोले जा सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामचन्द्र मलिक]

चेचक, हैजा आदि रोगों के सम्बन्ध में लोगों में अब भी बहुत अंध विश्वास है जिसे दूर करने के लिये प्रचार करना चाहिये ।

मैसूर बाढ़ पीड़ित राज्य है जिस में अनुसूचित जातियों की अधिक संख्या है । अतः इस राज्य की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुःख की बात है कि देश को स्वतंत्र हुए १६ वर्ष हो चुके परन्तु जन स्वास्थ्य इस देश का सुधर नहीं रहा, बल्कि रोज बरोज गिरता जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि इस ओर सरकार कदम नहीं उठा रही है आज कहीं भी कोई खाने पीने की चीज शुद्ध प्राप्त नहीं होती, जो चीज भी आप खाने पीने की लें वह अशुद्ध रहती है और उसमें मिलावट रहती है। इस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। इसका जो असर स्वास्थ्य पर पड़ता है उससे जन स्वास्थ्य दिन प्रति दिन गिर रहा है । इससे भी गम्भीर चीज जो कि जन स्वास्थ्य के विरुद्ध हो रही है वह यह है कि जो दवाए बनती हैं उनमें भी तेजी के साथ मिलावट हो रही है। इस ओर भी विशेष तौर पर स्वास्थ्य मंत्रिणी का ध्यान आकर्षित करना है। औषधियों में मिलावट होना एक गम्भीर विषय है। पहले तो ठीक भोजन न मिलने से जन स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और फिर अगर कोई रोग ग्रस्त हो जाये तो उसे जो औषधि मिलती है वह अशुद्ध मिलती है । ऐसी अवस्था में जन स्वास्थ्य ईश्वर के भरोसे ही रह सकता है। इसके बारे में जो स्टेप लिये गये, जो कानून बनाये गये वह अपनी जगह पर इफेक्टिव नहीं रहे। मैं ने देखा है कि राज्यों में जो कानून बने हैं उनमें इस मिलावट के लिये जुर्माना कर दिया जाता है, जो कि इस बुराई को रूट आउट करने के लिये काफी नहीं होता ।

मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बता सकता हूं। लखनऊ में एक बड़ी प्रसिद्ध दुकान है, उसके खिलाफ मिलावट का एक बड़ा केस चला जिसमें उस ने कई हजार रुपया के ब्लाटिंग पेपर दूध में मालाई की तरह मिला कर लोगों को खिला दिये थे। यह चीज दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। यह बड़े दुःख की बात है कि खाने पीने की चीजों में मिलावट होती है और उससे भी अधिक दुःख की बात यह है कि दवा बारू में भी मिलावट होती है और उसकी कोई रोक थाम नहीं हो रही। जो कानून स्पूरियस ड्रग्स की रोकथाम के लिये बनाये गये हैं वे बिल्कुल नामुकम्मिल हैं और न उन पर ठीक से अमल किया जा रहा है। उस कानून का यह उपयोग हो रहा है कि जो स्पूरियस ड्रग्स बेचते पाए जाते हैं उनको पकड़ कर दंड दे दिया जाता है लेकिन जो उन दवाओं को बनाते हैं उन कारखानेदारों को दंड देने का प्रावीजन उस कानून में नहीं है ।

कई बार इस बारे में विचार हुआ और कई बार माननीय सदस्यों ने कहा कि भारत-वर्ष को आजाद हुए इतना समय हो गया लेकिन अभी तक खाने पीने की चीजों में मिलावट होती है और दवादारू में मिलावट होती है। यह रुकनी चाहिये और इसके बारे में एक कड़ा कानून बनना चाहिये। माननीय सदस्यों ने तो यहां तक कहा कि ऐसा करने वालों को दस दस साल की सजा दी जाय या फांसी का दंड दिया जाये। यह बात कोई भावनाओं के आधार पर नहीं कही गयी। जब तक हमारा जन स्वास्थ्य नहीं संभलेगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। विशेष तौर पर आज जब संकट काल है, उस समय तो इस ओर और भी ध्यान देना चाहिये। हमको आज चीन से लड़ना है। इस समय तो हमको देश का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिये और तेजी से कदम उठाने चाहिये।

मैं एक सुझाव यह देता हूं कि इस समय जो विद्यार्थी हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर कालिज तक के उन के लिये चैक अप की एक काम्प्रिहेंसिव स्कीम होनी चाहिये। जो आज के विद्यार्थी हैं वे ही कल के नागरिक होंगे और अगर वे रोगग्रस्त हो जाते हैं तो आगे चल कर वे क्या अपनी सुरक्षा कर पायेंगे, क्या अपने गांव की सुरक्षा कर पायेंगे और क्या देश की सुरक्षा की आप उन से आशा कर सकते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि विद्यार्थियों के चैक अप की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये और उनकी दवा दारू का विशेष प्रावीजन होना चाहिये। अभी तक जो इस तरफ प्रबन्ध है वह नहीं के बराबर है। मैं तो यह देखता हूं कि आज से लगभग २५–३० साल पहले जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा देखरेख रक्खी जाती थी। जिले के हैल्थ आफिसर एक-आध बार आकर विद्यार्थियों को देख लिया करते थे। उनकी हैल्थ का चैक अप कर लिया करते थे। परन्तु अब तो इस ओर भी कोई स्कीम की व्यवस्था नहीं है और न इस ओर उनका कोई कार्यक्रम है।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए]

आज देश में अस्पतालों की काफी कमी है। विशेषकर देहातों में चिकित्सा व्यवस्था का अभाव रहता है। इन डेवलपमैंट ब्लाक्स के खुलने से पहले एलोपेथिक डाक्टरों का देहाती क्षेत्र में प्रवेश हुआ है परन्तु मेरा अनुभव है और मैं देखता हूं कि जो नये एम० बी० बी० एस० पास करके डाक्टर्स देहातों में डेवलपमैंट ब्लाक्स में जाते हैं, एक तो उन का देहाती जीवन से सम्पर्क नहीं रहता है और दूसरे जहां अस्पताल हैं भी वहां औषधियां नहीं हैं। अब अस्पताल अगर जहां हैं भी तो वहां समुचित दवाइयों की माकूल व्यवस्था न होने के कारण जो एम० बी० बी० एस० डाक्टर्स वहां जाते भी हैं वे कोई काम नहीं कर पाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्रालय इस ओर ध्यान दे। पहले तो देहातों में अधिक अस्पताल खोलें और दूसरे जैसा मैं ने कहा खाली अस्पताल खोल देना ही काफी नहीं है बल्कि वहां पर डाक्टर्स और आवश्यक दवाएं भी रहनी चाहियें। इसलिये जिन जगहों पर अस्पतालों में औषधियां नहीं हैं वहां तत्काल औषधियां समुचित मात्रा में पहुंचायी जायें। देहाती क्षेत्र की तो बात ही क्या डिस्ट्रिक्ट लेविल पर भी जो अस्पताल हैं वहां भी औषधियों की कमी है और उस ओर उचित ध्यान अभी नहीं दिया जा रहा है।

जहां तक मलेरिया के उन्मूलन का सवाल है मैं यह तो जरूर कहूंगा कि इसके लिये पिछले पांच वर्षों से काफी रुपया खर्च किया जा रहा है। देहातों में काफी मलेरिया वैंस घूमती हुई दिखती हैं। बड़ी सुन्दर गाड़ियां हैं। देहातों में खूब इधर से उधर घूमती हुई यह गाड़ियों आपको मिलेंगी और काफी पैसा इन पर खर्च आता है। मेरा कहना है कि जितना पैसा मलेरिया उन्मूलन के लिये खर्च किया जा रहा है उतना ध्यान और पैसा चैचक की गम्भीर बीमारी की ओर नहीं किया जा रहा है। स्मौलपौक्स (चेचक) जिसके कि सम्बन्ध में हमारी स्वास्थ्य मंत्रिणी महोदया ने यह विश्वास दिलाया था कि चेचक पर काबू पाने और उसे मिटाने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है परन्तु इस वर्ष हमने देखा है कि हमारी कई स्टेटों में चेचक के काफी लोग शिकार हुए हैं और इस बीमारी के कारण अनेकों मृत्युएं भी हो गयी हैं। इस सम्बन्ध में मैं स्वास्थ्य मंत्रालय को यह सुझाव दूंगा कि जिस प्रकार से उनकी मलेरिया इरैडिकेशन की एक स्कीम है उसी प्रकार से स्मौलपौक्स के लिये भी उन्हें एक स्कीम बना कर इस पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में जो आंकड़े आते हैं उन आंकड़ों पर विश्वास न कर के सही तौर पर देखा जाय तो क्या वाकई में इस देश का जन स्वास्थ्य सुधर रहा है? अब एक स्वतंत्र नागरिक का सबसे साधारण अधिकार यह है कि रहने के लिये उसको मकान होना चाहिये। बच्चों की पढ़ाई के लिये समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। उसके व उसके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य की देख-

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

भाल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। रोग से पीड़ित होने पर डाक्टरी दवा का माकूल प्रबन्ध होना चाहिए। अगर इन चीजों को हम देखें तो कहना पड़ता है कि हमारी सरकार को सफलता प्राप्त नहीं हुई है। मुझे तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सरकार को मिलावट वाली चीजों से बहुत स्नेह है। अभी तक खानेप्पीने की चीजों में मिलावट थी मगर अब शुद्ध सोने में भी मिलावट करने की बात सरकार ने स्वीकार कर ली है। हमारे सामने जो सब से बड़ा प्रश्न है वह यह है कि आज देश में हर तरह की मिलावट करने का जो एक रोग फैला हुआ है सरकार को उसको सख्ती के साथ दबाना चाहिये और अपराधियों को इसके लिये कड़े से कड़ा दंड दिया जाय। इस सम्बन्ध में स्टेट के जो कानून हैं उनके साथ ही साथ सेंटर का भी कानून होना चाहिये। आज देश में इमरजेंसी चल रही है और डिफेंस आफ़ इंडिया रूल्स लागू हैं और सरकार को इस बारे में किसी तरह की ढील व रियायत नहीं दिखानी चाहिये। अगर इस ओर सख्ती के साथ कदम नहीं उठाया गया और समय रहते हैल्थ मिनिस्टरी नहीं चेती तो भविष्य में कभी भी हमारा राष्ट्र इस काबिल नहीं बन सकेगा कि वह बाहर के दुश्मनों का सपलल सफलतापूर्वक सामना कर सके, उनसे लोहा ले सके या अपने देशवासियों का स्वास्थ्य ठीक रख सके।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** (करनूल) : मुझे इस सम्बन्ध में हर्ष है कि इस मंत्रालय के अधिकारी मंत्री स्वयं चिकित्सा विज्ञान जानने वाले हैं।

इस मंत्रालय की निधि में २७ प्रतिशत की कटौती अनुचित है जबकि देश की जन संख्या बढ़ जाने से मंत्रालय का व्यय बढ़ गया है।

जलपूर्ति की बड़ी समस्या है। ४०० या ५०० व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसके लिए मंत्रालय ही नहीं लेकिन लोगों का अंध विश्वास भी उत्तरदायी है। वे टीके ही नहीं करवाते। टीके करने वाले आवश्यक सावधानी नहीं बरतते।

हमारे चिकित्सा कालेज बढ़ कर ७१ हो गये हैं किन्तु छात्रों को योग्यता के आधार पर नहीं चुना जाता। इसके अतिरिक्त डाक्टरों के लिए यह विचार बनाना चाहिये कि अध्ययन के उपरांत वे चार पांच वर्ष देश की सेवा करे।

दवाइयों की शुद्धि के सम्बन्ध में मानक समिति बनाई गयी है। खाद्य पदार्थों में भी अपमिश्रण रोकना चाहिये।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में यदि इस समय कार्यवाही न की गई तो बाद में इसके लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ेगा।

जल पूर्ति की समस्या बहुत बड़ी है और मंत्रालय को पैसा बहुत कम दिया गया है। मेरा सुझाव है कि राज्यों को निधि देने की वर्तमान प्रथा गलत है। क्योंकि जब उन्हें पैसा मिलता है उसे खर्च करने का समय नहीं रहता। कच्चे लोहे के पाइपों का सख्त अभाव है। योजना परियोजनाओं सम्बन्धी समिति का मत है कि जल पूर्ति व्यवस्था में जल साफ करने के लिए क्लोरीन मिलाने के लिए उपकरणों की कमी है। इन उपकरणों के संभरण के लिए मंत्रालय को मंजूरी देने का काम करना चाहिये। इस सम्बन्ध में सब से बड़ी

†मूल अंग्रेजी में

समस्या वित्त की है। स्थानीय निकाय ऋण द्वारा वित्त प्राप्त करते हैं और पानी के खर्च के रूप में चुकाते हैं। इस पद्धति में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

†**डा० गायतोंड़े** (गोआ दमन और दीव) : आज हम आपातकालीन स्थिति से निकल रह हैं, युद्ध हमारे सिर पर मंडरा रहा है, इस दशा में स्वास्थ्य के सम्बन्ध में हमें सचेत होना चाहिए। एक पुस्तिका में कहा गया है कि ६१ प्रतिशत लोग सेना की भर्ती में नहीं लिये गये, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इन हालात में यदि कोई महामारी फेल गयी तो बहुत ही भयंकर बात होगी। हम कल्याणकारी राज्य के निर्माण का दावा कर रहे हैं, परन्तु इस प्रकार के राज्य में स्वास्थ्य बहुत आवश्यक और महत्व की चीज़ है। परन्तु खेद है कि हमने अणुशक्ति के लिए अधिक धन रखा है और स्वास्थ्य के लिए कम। मुझे यह भी पता नहीं चल सका कि परिवार नियोजन की कुछ मदें अणु शक्ति विभाग के नियन्त्रण में क्यों हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण करेगा। सभी दिशाओं में विभिन्न कार्यों में समन्वय का नितान्त अभाव दिखाई दे रहा है।

एक पुराने दिग्गज ने कहा है कि अब हमें परिवार नियोजन की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि अब तो हमें काफी संख्या में आदमियों की आवश्यकता है। खेद है कि हमारे जिम्मेदार व्यक्ति भी ऐसी बात करते हैं। हमें तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य में कुछ स्तर निर्माण करने हैं और परिमाप बनाने हैं यदि आबादी बढ़ाने की बात ही सोची जाय तो चीनी तो अब आ रहे हैं और आबादी यदि बढ़ी थी तो काम के योग्य तो वह २० वर्ष बाद होगी। अतः आबादी बढ़ाने वाले तर्क में कोई तुक नहीं है। हमने लाखों रुपये परिवार नियोजन पर व्यय किये हैं। ८००० केन्द्र देश में काम कर रह हैं। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कितना काम करते हैं और कितने लोग इससे लाभ उठाते हैं। इस कार्य में हमें सफलता नहीं मिली और कुछ कमी रह गयी है तो उस कमी को पूरा कर लेना चाहिये। हमारा देश समाजवादी देश है, अतः हमें स्वास्थ्य के सम्बन्ध में इसी दृष्टि से कार्य करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय को इस बारे में ठोस कदम उठाने हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देश में धन के संग्रह के साथ-साथ स्वास्थ्य का केन्द्रीयकरण भी है, जैसा कि इस बात से स्पष्ट है कि घरेलू खर्च का १० प्रतिशत वर्ष में स्वास्थ्य सम्बन्धी कुल व्यय का ६४ प्रतिशत है।

श्रीमती शशांक मंजरी (पालामऊ) : सभापति महोदय, स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को सरकार ने अपने हाथ में ले कर जनता के स्वास्थ्य को ठीक करने तथा उसे बढ़ाने का सम्पूर्ण दायित्व अपने ऊपर ले लिया है।

अब हमें यह देखना है कि हमारी केन्द्रीय सरकार ने इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया है या नहीं। दो पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस अवधि में इस विभाग पर सरकार ३०० करोड़ रुपए से बेशी खर्च कर चुकी है। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के दो वर्ष पूरे होने को हो रहे हैं। इस योजना में हमारी सरकार ने ३४२ करोड़ रुपया खर्च करने का निर्णय किया है। यह रुपया जरूरत से काफी है। इस रुपए से मेरा अनुमान है कि हर एक गांव में डिसपसरी और अस्पताल बना सकते हैं।

अब मैं पालामऊ जिला के बारे में कहना चाहती हूं वहां गांव गांव में छोटे छोटे, अस्पताल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से खोले गए हैं। कुछ सरकार की तरफ से भी खोले

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमत शशंक मंजरी]

गए हैं। उन में न पूरी व्यवस्था है और न पूरी दवाइयां हैं। डाक्टर हैं ही नहीं, कम्पाउंडर से काम चलता है। बेचारे गरीब बीमार दिन दिन भर अस्पताल के दरवाजे पर पड़े रहते हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। दवा जो मिलती है वहां उसमें भी मिलावट होती है, जिससे कुछ फायदा नहीं होता। कितनों को लिख कर दवा बता दी जाती है, लेकिन उनके पास इतना पैसा कहां कि जो दवा ले सकें।

कभी-कभी किसी गरीब के घर में सीरियस बीमारी होती है तो रात के वक्त में डाक्टर को बुलाया जाता है तो डाक्टर जाता नहीं चाहे मरीज मर भी जाए, क्योंकि उन बेचारों के पास उतना पैसा नहीं कि फीस दे सकें। जिसके पास पैसा है उसके यहां जोन टाइम बुलाया जाए उस टाइम में डाक्टर घर जाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन गरीब के घर में आदमी चाहे मर भी जाए तो भी उसके घर डाक्टर जाने को तैयार नहीं। यह बहुत दुःख की बात है।

मेरा सुझाव है कि देहातों में जो डाक्टर और कम्पाउंडर हैं उनको पूरी तनखाह मिलनी चाहिए ताकि वे गरीब लोगों के घर में जाएं और उनकी तरफ ध्यान दें।

इसके अलावा एक बात और कहनी है कि अगर सरकार गांवों में देशी दवाखाने खुलवाने की व्यवस्था कर दे तो बहुत अच्छा हो। उसमें पैसा भी कम लगेगा और गरीब जनता का इलाज भी हो जाएगा। इस लिए यह व्यवस्था होना जरूरी है। विदेशी दवा में बेशी पैसा लगता है जो गरीब लोग खरीद नहीं पाते।

दूसरी बात यह कहनी है कि आजकल तरह-तरह की बीमारियों हो रहीं हैं। डाक्टर लोग समझ नहीं पाते कि इसका क्या कारण है। न उन रोगों की दवाई है। कारण क्या है? आजकल हर एक खाने पीने की चीज़ में मिलावट होती है। सरकार की तरफ से तो बहुत रुकावट और जांच हो रही है लेकिन मनुष्य में स्वार्थ की और रुपया कमाने की भावना है जिसके वश में हो कर वह दूसरों की बुराई को नहीं देखता और मिलावट किए जाता है। बीस वर्ष पहले की बात मैं कहती हूं कि न उस समय में इतनी बीमारियां थीं, न इतने डाक्टर थे और न इतनी दवाइयां थीं। देहातों में तो जड़ी बूटियों से काम चलता था। लेकिन अब तो हर किस्म की बीमारी और हर किस्म का खान पान चल रहा है।

एक लीजिए दालदा। .घी की जगह दालदा और दूध की जगह पाउडर। स्कूलों में बच्चों को पाव-पाव भर वही पाउडर पानी में घोल कर दिया जाता है और फिर आप आशा करते हैं कि ये बच्चे हृष्ट पुष्ट होंगे और इनसे भारतवर्ष को मदद मिलेगी। लेकिन उनको ताकत चाहिए, क्या उनको पाउडर के दूध से ताकत मिलेगी? इसके और दालदा के सेवन से बहुत से लोगों को बीमारियां हो जाती है। डाक्टर कहते हैं कि दालदा से बैरी बैरी की बीमारी हो जाती है और इसका असर हार्ट पर होता है और उससे हाजमा भी खराब हो जाता है। और आजकल हर चीज़ में दालदा मिला होता है, अच्छा घी है ही नहीं।

दूसरे लीजिए मलेरिया। मच्छरों को मारने के लिए हर साल लाखों और करोड़ों रुपए का पाउडर बनता है पर कुछ फायदा नहीं होता। न मच्छर मरते हैं और न मलेरिया में कमी होती है।

अब मैं सिंहभूम जिला के बारे में आपको कुछ कहना चाहती हूं। जो नारायण जनाना अस्पताल है, स्त्रियों के लिए सिर्फ एक ही अस्पताल है, उसकी हालत बहुत खराब है। मरीजों के लिए कोई सुविधा नहीं है, न उनके लिए पूरे पलंग हैं न बिछौना सिर्फ दस पलंग हैं और दो नर्सें और एक डाक्टर है। उस अस्पताल में पचास या सौ देहातों से बीमार औरतें आती हैं। बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि उनके लिए कमरे नहीं है, उनको बरामदे में पड़ा रहना पड़ता है। सरकार की तरफ से मदद मिल रही है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। फंड में भी रुपए की कमी है। गरमियों में और बरसात में बहुत तकलीफ होती है, न पंखा है, वहां गरमी बहुत होती है। हमने कई बार सरकार से अनुरोध किया कि इस अस्पताल को अपने जिम्मे ले ले और जो वीरचन्द्र पटेल हेल्थ मिनिस्टर हैं बिहार के उनको भी पटना में लिखा लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कुछ सुनवाई नहीं हुई आज बीस साल हो गए। जब, हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हो गया है तो सरकार का कर्त्तव्य है कि हमारी स्थिति की ओर ध्यान दे जिससे देश की उन्नति हो और जनता का फायदा हो। विदेशों की दवाओं से तो कोई फायदा नहीं होता।

†**श्री हिम्मतसिंहका** (गोड्डा) : बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि बहुत से रोगों का कारण मिलावट है। लोगों को स्वास्थ्य के संबंध में समुचित और अपेक्षित ज्ञान ही नहीं है। मेरा निवेदन है कि स्वास्थ्य संबंधी अच्छी पुस्तकें तैयार कराई जानी चाहियें और स्कूल में पढ़ने वालों को दी जानी चाहिये। एक बात हमें समझ लेनी चाहिये कि सर्वाधिक महत्व की बात देश में स्वास्थ्य शिक्षा फैलाना है ताकि लोग अपनी स्वास्थ्य तथा खाद्य संबंधी आदतों को सुधार सकें। इस विषय के बारे में पर्याप्त साहित्य तैयार किया जाय और उसे स्कूलों में बांटा जाय।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं वह यह कि संक्रामक रोगों पर नियंत्रण करने और उन्हें जड़ से समाप्त करने की दिशा में काफी प्रगति की गयी है। तपेदिक और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों पर नियंत्रण करने का सब से अच्छा ढंग यह है कि अस्पताल में भर्ती न होकर घर में रह कर घर पर ही इलाज कराना चाहिये। इस बारे में अच्छी बात यह होगी कि संलग्न स्वेच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित कर उन्हें सहायता दी जानी चाहिये।

प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का अध्ययन करना चाहिये। इस बात की पूरी जांच की जानी चाहिये कि वह उपयोगी सिद्ध होती है कि नहीं। यदि वह उपयोगी सिद्ध हो, तो उसे अपनाना चाहिये। इसके पश्चात् उक्त पद्धति में प्रशिक्षण के लिये एक कालिज स्थापित किया जाना चाहिये। प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित किये जाने चाहियें।

श्री राम सहाय पांडे (गुना) : सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की बजट मांगों का समर्थन करता हूं। हमारे देश की स्वास्थ्य की स्थिति बड़ी दयनीय व शोचनीय है। १ रुपये ४७ नये पैसे पर हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य आधारित है। जहां तक जनता के स्वास्थ्य का संबंध है केन्द्र तथा राज्य दोनों को मिलाकर केवल १ रुपया ४७ नये पैसे **पर कैप्टिा** खर्च होता है। अपने देश की स्थिति, यहां के स्वास्थ्य के स्तर, गांवों के जीवन और हमारी पुरानी परम्पराओं को सामने रख कर अगर हम देखें, तो ऐसा अनुभव होता है कि स्वास्थ्य पर खर्च की जाने वाली १ रुपये और ४७ नये पैसे प्रति व्यक्ति की धन राशि कम है, जिसको केन्द्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयत्न से हमारे देश में खर्च किया जा रहा है।

१९५०-५१ से पहले हमारे देश में १७ मेडिकल कालेज थे। १९५०-५१ में ३० मेडिकल कालेज हो गये और इस समय हमारे यहां ७१ मेडिकल कालेज हैं, जिनमें करीब सात हजार विद्यार्थी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राम सहाय पांडे]

प्रतिवर्ष प्रवेश पाते हैं । एक समय था, जबकि हमारे देश में ८२ नये पैसे प्रति-व्यक्ति के हिसाब से स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता था । अब वह धन राशि बढ़ कर १ रुपये और ४७ नये पैसे हो गई है । हम यह जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात के लिये जागरूक और प्रयत्नशील हैं कि हम स्वास्थ्य की रक्षा के लिये गांवों की ओर बढ़ें और हमारी स्वास्थ्य-योजनाओं से अधिक से अधिक ग्रामीण लाभान्वित हो । लेकिन इस संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हम आयुर्वेद की शरण नहीं लेंगे और जब तक हम आयुर्वेद के पन्नों को उलट कर नहीं देखेंगे, तब तक हमारे लिये यह कठिन होगा कि हम लास्ट मैन आफ दि सोसायटी, गांव में रहने वाले समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंच पायें ।

एम० बी० बी० एस० पास करने के बाद सब के सब डाक्टर छोटे बड़े नगरों में बस जाते हैं और वे देहातों में नहीं जाते हैं । आज भी देहात में आयुर्वेद को लिये हुये, एक छोटा सा औषधालय लिये हुये, वैद्य बैठा हुआ है । जब दस पन्द्रह मील की दूरी से कोई पुकार आती है, तो वही घोड़ी पर चढ़ कर टिकटिकाता हुआ वहां पहुंचता है । उसके पास औषधि है, सम्वेदनशीलता की भावना है और भारतीय परम्परा की अनुभूति है । उन्हीं को लेकर वह बीमार के पास पहुंचता है, डाक्टर नहीं पहुंचता है । डाक्टर के लिये वहां पर पहुंचना कठिन होता है ।

स्वास्थ्य मंत्राणी जी से मैं अपील करूंगा कि जहां वह मैडिकल कालेज ज्यादा खोल रही हैं और ऐलोपैथी को ज्यादा उन्नति और प्रगति की ओर ले जाना चाहती हैं, वहां उन्होंने सैंट्रल कौंसिल आफ आयुर्वेद रिसर्च के लिये जो ९.८२ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिस में से ३ करोड़ रुपये तो सेंट्रल गवर्नमेंट और ६.८२ करोड़ रुपये राज्य सरकारें व्यय करेंगी, उस धन राशि को देख कर हमारा उत्साह नहीं बढ़ता है, जहां तक कि आयुर्वेद का संबंध है ।

आयर्वेद हमें तीन बातें देता है ---हमारी पुरानी परम्परायें, हमारी माताओं की शिक्षा और संस्कृति । घूंटी से लेकर मृत्यु तक आयुर्वेद खड़ा होकर हमारी स्वास्थ्य रक्षा की प्रतिज्ञा करता है । अगर हम आयुर्वेद के पन्नों को उलटें, तो एक भारतीय परम्परा और भारतीय वातावरण उनमें मिलेगा । आयुर्वेद में जो अनुसंधान और गवेषणा हुई थी, उसके आधार पर हम सस्ती से सस्ती दवायें गांवों के आदमियों को दे सकते हैं । आज सारे संसार का काम रिसर्च और गवेषणा पर चलता है । आज अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस रिसर्च पर अरबों रुपये, बिलियन्ज एंड बिलियन्ज खर्च करते हैं । उनकी तुलना में जब हम ९.८२ करोड़ रुपये की धनराशि को देखते हैं, तो निराशा होती है । इसलिये मैं स्वास्थ्य मंत्राणी जी से निवेदन करूंगा कि वह वित्त मंत्री से थोड़ा संघर्ष कर के भी ज्यादा पैसा लें और अपनी शक्ति को आयुर्वेद की तरफ लगा दें, ताकि हमारे समाज के अन्तिम आदमी को, जो कि गांव में रहता है, स्वास्थ्य का लाभ हो और औषधि प्राप्त हो ।

इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

†**श्री मुहम्मद इस्माइल** (मंजेरी) : आयुर्वेदिक में अनुसंधान का कार्य होना चाहिये और अधिक से अधिक डाक्टर तथा वैद्य निर्माण किया जायें, इस बारे में जो बातें माननीय सदस्यों ने कहीं हैं वे ठीक ही हैं । इस बारे में मेरा निवेदन है कि मद्रास में डाक्टरी शिक्षा के क्षेत्र में एक भारी प्रयोग किया गया है । १९२५ में वहां स्कूल स्थापित किया गया था । यह संस्था देश भर में

†मूल अंग्रेजी में

अपना उदाहरण आप ही थी। १९४७ में यह स्कूल कालिज में परिवर्तित हो गया। और यह देशी औषधियों का सरकारी कालिज बन गया।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस कालिज में जो प्रशिक्षण कार्य होता था, वह मद्रास सरकार की उसमान समिति, चोपड़ा समिति और पंडित समिति की सिफारिशों से होता था। पंडित समिति केन्द्रीय सरकार की है। केन्द्रीय स्वास्थ्य संस्था भी इन समितियों की सिफारिशों से सहमत ही रही है। यहां प्रशिक्षण और अनुसंधान का सुन्दर कार्य होता रहा है। दुःख की बात है कि इस उपयोगी संस्था को बन्द कर दिया गया है। यह बहुत गलत बात हुई है। मेरा निवेदन है कि मद्रास स्थित सी० पी० औयर गवर्नमेंट कालिज आफ इंटीग्रेटिड मेडिसन के मामलों की जांच की जानी चाहिये। अध्यापक वर्ग के प्रति न्याय किया जाना चाहिये। यह भी खेद की बात है कि इस कालिज द्वारा दिया गया डिप्लोमा भारतीय चिकित्सा परिषद् ने स्वीकार नहीं किया। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि इसे मान्यता दी जानी चाहिये। यदि परिषद् ने इस डिप्लोमे को मान्यता प्रदान न की और इसे असम्बद्ध रखा, तो स्नातको को पर्याप्त कठिनाइयां सहन करनी पड़ेंगी। मेरा अनुरोध यह है कि इस संस्था के स्नातकों को आधुनिक मेडिकल कालिजों के स्नातकों से किसी प्रकार कम न समझा जाय।

मामला माननीय मंत्री के समक्ष है। वह अभी हाल मद्रास में ही थीं। कह नहीं सकता कि वह क्या कार्यवाही करने का विचार रखती हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वह लोगों की उचित शिकायतें दूर करने का प्रयत्न करें।

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों के बारे में माननीय सदस्यों ने जो अपनी रुची दिखाई है, उसके लिये मैं उनका आभार मानती हूं। मैं यह आश्वासन देती हूं कि इस बात का पूरा प्रयत्न किया जायेगा कि देश के लोगों का स्वास्थ्य स्तर ऊंचा उठे। यद्यपि हमारे साधनों के मुकाबले में यह कार्य बहुत ही कठिन है। ४,५०० लाख लोगों ९०लाख बच्चों की हर वर्ष देखभाल करना सरल काम नहीं है। ठीक कहा गया कि अमेरिका इत्यादि देशों में स्वास्थ्य पर अरबों खरबों रुपये व्यय किये जाते हैं। परन्तु हमें तो अपने साधन देख कर ही बात करनी है। वहां तो न्यूयार्क नगर से बर्फ साफ करने पर इतना व्यय होता है जिनका हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालयों का मिला कर व्यय है।

निस्सन्देह, स्वास्थ्य बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और इसके लिये कई बातों की आवश्यकता होती है। केवल औषधियों से ही काम नहीं चलता। खाद्य तथा पौष्टिकता भी अपना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आवास की स्थिति का प्रभाव भी स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसी प्रकार इस दिशा में स्वास्थ्य शिक्षा का भी महत्व है। आज देश में सर्वमुखी विकास की आवश्यकता है।

प्रथम योजना में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय तीसरी योजना के मुकाबले में अधिक था। प्रथम योजना में स्वास्थ्य के लिये ५.९ प्रतिशत की व्यवस्था थी परन्तु तीसरी योजना में ४.२५ प्रतिशत की व्यवस्था है। १९५०-५१ में प्रति व्यक्ति व्यय ८२ नये पैसे था। १९५८-५९ में जबकि दूसरी योजना समाप्त हो रही थी यह व्यय १.४७ नये पैसे हो गया। इस व्यय का भी वितरण सन्तुलित नहीं था। यह भी औसतन है। अधिक तम व्यय प्रति व्यक्ति २.५९ नये पैसे है और यह पश्चिमी बंगाल में है। मैं इस बात के उल्लेख से श्री बी० सी० राय को श्रद्धांजली प्रस्तुत करती हूं जिनके नेतृत्व में बंगाल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति की। मैं कह रही हूं कि हमारे साधनों के अभाव के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति की राह में काफी रुकावटें हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

१९४१–५१ के दशक में मृत्यु दर २७.४ प्रति हजार रहा। १९६१–६६ में यह १८.२ प्रति हजार हो गया १९४१–५० में जिस आयु की अवधि ३२ से ३३ वर्ष की थी वह अब ५० वर्ष के लगभग हो गई। अमरीका में आज के युग की औसत आयु ७० से ८० वर्ष तक की है। परन्तु इस दिशा में हम जो ३२–३३ से ५० तक पहुंच गये, यह भी बड़ी प्रगति की बात है। परन्तु जन्म दर वही रहा है लगभग ४० प्रति हजार।

कुछ माननीय सदस्यों ने परिवार नियोजन के महत्व पर जोर दिया है। इस का देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के साथ भी बड़ा महत्व का सम्बन्ध है। देश की प्रतिरक्षा की दृष्टि से भी यह बहुत ही महत्व की बात है। देश की प्रतिरक्षा के लिए केवल संख्या ही महत्व नहीं रखती, जनसंख्या की कोटि का भी कुछ महत्व है। हम तो अंग्रेज़ों की गुलामी में शताब्दियों तक पड़े रहे हैं हमें तो इस बात का बहुत अधिक ज्ञान है, अनुभव है। अंग्रेज़ों की जनसंख्या राष्ट्र के रूप में बहुत थोड़ी है, फिर भी वे आधी से अधिक दुनिया पर राज्य करते रहे हैं। यह संख्या भी बात नहीं थी, मानवीय गुणों की बात थी। अच्छा प्रशिक्षण, उत्तम मानसिक औद्योगिक तथा वैज्ञानिक विकास ही उन का धन था। अतः इन्हीं दिशाओं पर चल कर हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी होगी, उन के लिये खाने की व्यवस्था करनी होगी और वे सभी बातें करनी होंगी जिस से हमारे बच्चों का पूर्ण रूप से विकास हो सके। ये बहुत ही गलत बातें हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय अपना सारा धन प्रतिरक्षा मंत्रालय को दे दे ताकि शस्त्र इत्यादि खरीदे जा सकें। और औरतें चीनी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए खूब बच्चे पैदा करें। आप को एक बात याद रखनी चाहिए कि ा खे नंगे और अशिक्षित लोग कैसे युद्ध जीत सकते हैं। हमें सेना में लाखों लोग चाहिएं। हमारी सेनभूसंसार भर के देशों में बहुत उत्तम है। हमारे सैनिकों का स्तर ऊंचा हो इस के लिए देश भर में अच्छे स्वास्थ्य का वातावरण निर्माण करना है। मुझे यह जान कर बहुत दुःख हुआ बहुत से लोग सेना की भर्ती में इसलिए रद्द हो गए क्योंकि उन का स्वास्थ्य ठीक नहीं थी। इस सब का कारण हमारे देश की गरीबी है जिस में कि ये हमारे बच्चे पनपते हैं। गत युद्ध में अंग्रेज़ों को भी अपनी इसी प्रकार की कमजोरी का पता चला था। उन्होंने अपने सारे साधन इस दिशा में लगा कर अपनी यह कमजोरी दूर की। हम भी ऐसा कर सकते हैं।

मेरे विचार में परिवारों का अधिक लम्बा होना स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। कमजोर बच्चे पैदा हों और खाने पीने को ठीक तरह से न मिले, तो वे क्या देश का काम करेंगे। कई बच्चे जो होशियार निकलते भी हैं अपने परिवार के बहुत बड़े होने के कारण पीछे रह जाते हैं। अतः मेरा मत है कि परिवार नियोजन परिवार कल्याण नियोजन का पूरा अंग है। हम परिवार कल्याण नियोजन का काम कर रहे हैं।

†**डा० मा० श्री अणे** : क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या बांझ स्त्रियां या निर्बीज पुरुष बहुत कुशल सरकारी कर्मचारी सिद्ध हुए हैं ?

†**डा० सुशीला नायर** : इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

†**श्री यशपाल सिंह** : संतति निग्रह और परिवार नियोजन के बारे में महात्मा गांधी की शिक्षा के बारे में....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर** : महात्मा गांधी ने परिवार नियोजन का कभी भी विरोध नहीं किया । हम किसी को आत्म संयम से नहीं रोकते । आत्म संयम ऐसी चीज है जिस में किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

परिवार नियोजन कार्यक्रम तो उन लोगों की सहायता के लिए है जो पर्याप्त आत्म संयम नहीं कर सकते । ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में महात्मा गांधी की शिक्षाओं और इन कार्यक्रमों में कोई परस्पर विरोध नहीं है । हम सभी इस बात से सहमत हैं कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें वे बहुत अच्छे रहेंगे और अच्छे गुण पैदा कर सकेंगे ।

हमारा यह भी विचार है कि यदि माता पिता को यह आश्वासन मिल जाए कि यदि उन के कम बच्चे होंगे तो उन का जीवन अच्छा होगा, तो वे कोशिश करें कि कम बच्चे हों । इसी विचार से देश में परिवार नियोजन , प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य कल्याण सेवाओं का एकीकरण किया जा रहा है । हम चाहते हैं कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और हम विवाहित लोगों को यह सलाह देते हैं कि वे अपने परिवारों का नियोजन करें और हम आवश्यक सहायता देने के लिए भी तैयार हैं ।

कुछ आदर्श स्वास्थ्य जिले बनाने का प्रस्ताव है । उन जिलों में जिले भर की स्वास्थ्य सेवाओं को इकट्ठा करना है । इस प्रकार से हम लोगों के लिए परिवार नियोजन के और स्वास्थ्य सेवाओं के अच्छे नमूने बना सकेंगे । इस प्रकार से वर्तमान डाक्टरी विज्ञान देश के दूर के भागों तक भी ले जाया जा सकेगा ।

परिवार योजना को ७० प्रतिशत स्त्रियां मानती हैं । गांवों में भी २० प्रतिशत स्त्रियां इस कार्यक्रम का कुछ ज्ञान रखती हैं ।

डा० गायतोंडे ने बताया था कि एक परिवार नियोजन रुजालय पर औसत १०,००० रुपये व्यय होता है । सही बात यह है कि औसत लगभग २२२४ रुपये है ।

नागरिक केन्द्रों में औसत १४४४ लोग जाते हैं और ग्रामीण केन्द्रों में १२८४ लोग जाते हैं ।

†**डा० गायतोंडे** : कितने नए लोग जाते हैं ?

†**डा० सुशीला नायर** : औसत इतने लोग आते हैं । आंकड़ों का और ब्यौरा मेरे पास नहीं है ।

जो लोग इन केन्द्रों में जाते हैं उन से अधिक उस से लाभ उठाते हैं, क्योंकि जो लोग केन्द्रों में जाते हैं वे अपने मित्रों को भी जानकारी देते हैं । क्या परिवार नियोजन प्रोग्राम से जन्म दर में कमी हुई है, इस के बारे में जानकारी ग्रहण करने की मैं ने कोशिश की, सिंगूर स्वास्थ्य केन्द्र और उस के पास के जन समुदाय ५ वर्ष के परिश्रम के बाद यह पता चला कि प्रयोगात्मक जनसंख्या (ऐक्स-पैरीमेंटल पापुलेशन) में १९५६ में जन्म दर ४५·२ था और १९६१ में ३६·५ । नियंत्रण जन-संख्या (कन्ट्रोल पापुलेशन) में जहां कि किसी ने परिवार नियोजन नहीं अपनाया था।१९५६ में जन्म दर ४६ था और १९६१ में ४२·९ था । प्रयोगात्मक क्षेत्र में १८ प्रतिशत की कमी है । यह तो बड़ी अच्छी प्रगति है । यदि और स्थानों पर ऐसे ही परिणाम निकलें तो दस वर्ष में जन्म दर में ५० प्रतिशत की कमी हो जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इन सुविधाओं में से अधिक नगरों में हैं गांवों में नहीं । इस सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी है । लगभग ८,००० सेवा केन्द्रों में से ६,००० से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और नगरों में लगभग २,००० हैं ।

पिछले वर्ष परिवार नियोजन के लिए ४२५ लाख रुपये निर्धारित किए गए थे, परन्तु आपात के कारण हम ने २६० लाख रुपये व्यय किए और शेष वापिस कर दिए ।

खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक औषधियों के सम्बन्ध में अनुसंधान हो रहा है । जनन सम्बन्धी शरीर विज्ञान के सम्बन्ध में अनुसंधान हो रहा है ताकि जनन शक्ति का नियंत्रण कर सकें । बच्चों की आयु में वृद्धि के लिए छूत की बीमारियों को दूर करने के लिए एक आन्दोलन चलाया गया है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि मलेरिया का उन्मूलन हो गया है । यद्यपि मलेरिया लगभग खत्म हो गया है तथा पूर्ण रूपेण नहीं हटा है । अतः हम मलेरिया उन्मूलन एककों को देश के विभिन्न भागों से हटाये जाते समय इस बात को सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए शर्तें पूरी हों । हम प्रत्येक राज्य सरकार पर बल दे रहे हैं कि मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमों की कोशिशों में कमी न हो ।

१९६२ में मलेरिया के कीटाणुओं को मारने वाली औषधियां छिड़कने वाले १४० एकक वापिस लिये गये थे । १९६३ में १०० और एकक वापिस लेने का विचार था, परन्तु जो दल स्थिति भांपने के लिए भेजे गए थे उन्हों ने ८७·५ एकक वापिस लेने के लिए सिफारिश की । सारे देश में मलेरिया निरोधक सीमान्त क्षेत्रों में २२·५ एकक हैं । उन क्षेत्रों में जहां कि नेपाल और पाकिस्तान के साथ वाले क्षेत्रों से काफी कठिनाई होती है । उन क्षेत्रों से आने वाले लोग उन राज्यों में मलेरिया के कीटाणु लाते हैं जहां से इस रोग का उन्मूलन हो चुका हो । आशा है कि १९६३-६४ में, १९६२ में से जो १४० एकक वापिस लिए जाने थे ७०–८० अन्तिम रूप से देखभाल की स्थिति के लिए तैयार होंगे । उन क्षेत्रों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र और अन्य सेवाएं इस बात की देखभाल करेंगी कि मलेरिया पुनः न फैले ।

हम ने इस सारे मामले की जांच के लिए महानिदेशक के सभापतित्व में एक समिति बनाई है ताकि इस प्रकार से जब ७० से ८० एकक देखभाल का काम करेंगे जो कर्मचारी बचेंगे उन का और जगह प्रयोग किया जायगा । यह सुनिश्चित करने के लिए कि देखभाल का काम अच्छी तरह से हो रहा है उस का प्रयोग किया जायगा ।

हम ने चेचक के उन्मूलन के लिए वही प्रोग्राम आरम्भ किया है जैसाकि हम ने मलेरिया के लिए किया था । पिछले वर्ष के बजट भाषण में मैं ने कहा था कि १९६२-६३ चेचक के लिए व्यापक रोग का वर्ष होगा । मेरा अभिप्राय था हम इस बीमारी के दुष्परिणामों से बचाने के लिए शीघ्र कदम उठायें । सब राज्यों में नवम्बर दिसम्बर, १९६२ में हम यह कार्यक्रम आरम्भ नहीं कर सके । जिन राज्यों ने शीघ्र ही यह कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया वे तो इस बीमारी के प्रकोप से बच गईं । जिन्हों ने देर से आरम्भ किया उन्हें नुकसान उठाना पड़ा । मैसूर, गुजरात और काफी हद तक पंजाब ने इस कार्यक्रम में काफी अच्छा काम किया ।

हम ने २२ जिलों में टीके लगाने का काम पूरा कर लिया है और ४४० लाख लोगों के टीके लग चुके हैं ।

१०४ और जिलों में टीके लगाये जा रहे हैं । दो वर्ष में यह कार्यक्रम समाप्त करने का इरादा था, परन्तु बड़े राज्यों में यह कार्यक्रम तीन वर्ष चलेगा ।

२२ जिलों में से ५ या ६ जिलों में ८० प्रतिशत लोगों के टीके लगे । अतः मैं ने दोनों सदनों के सदस्यों को पत्र लिखे कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम में सहायता करें । आशा है कि मेरा अनुरोध सफल रहेगा ।

किसी सदस्य ने पूछा था कि चेचक के टीके बनाने के लिए हम ने क्या कार्यवाही की थी । रूस ने २५०० लाख सुखाये हुए खुश्क टीके देने का वचन दिया था जिन में से १२०० लाख खुराकें मिल चुकी हैं और शेष इस वर्ष मिल जायेंगी । हम भी १००० लाख खुराकें प्रति वर्ष बना रहे हैं । ८ या १० स्थानों पर हम चेचक के टीके बना रहे हैं । दो स्थानों—पटवाडानगर और गुंडी में जमाये गये खुष्क टीके बनाये जाते हैं । पहले स्थान ने अच्छा काम किया है और वहां बनाये गये टीके विश्व स्वास्थ्य संगठन (वर्ल्ड हैल्थ आरगनाइजेशन) को यह देखने के लिए भेजे गये हैं कि क्या वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक हैं । इस के बाद अधिक मात्रा में बनाये जायेंगे । हमें लिम्फज़ टीके उत्पादन बन्द करने की आशा है और यथासम्भव जमाये हुए खुराक टीके बनायेंगे ।

हम ने कुक्करों (ट्रैकोमा) की बीमारी का पता करने के लिए एक नक्शा बनाया है । शुरू में वर्तमान वर्ष में हम पंजाब और राजस्थान में ट्रैकोमा नियंत्रण व्यापक कार्यक्रम आरम्भ करना चाहते हैं । गुजरात राज्य ने बिना किसी की सहायता से इस कार्यक्रम को आरम्भ कर दिया है ।

हम गलगण्ड (गौएटर) की बीमारी के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम आरम्भ करना चाहते हैं । नमक में आओडीन मिश्रत करने के काम के लिए साम्बर झील में एक प्लांट आरम्भ किया है । ऐसा नमक गलगण्ड की औषधि है । इस प्लांट की १५,००० टन प्रति वर्ष उत्पादन की क्षमता है । हमारी आवश्यकता ५०,००० टन है और ३ और प्लांट खोलने का हमारा प्रस्ताव है । यह नमक पंजाब के कांगड़ा जिले और नेफा में प्रयोग के लिए जमा किया जा रहा है । हमें बिहार, जम्मू और काश्मीर और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों की आवश्यकताओं की ओर भी ध्यान देना है ।

मैं, श्री हिम्मतसिंहका की इस बात से सहमत हूं कि घर में उपचार बहुत अच्छा है और उतना ही अच्छा है जितना कि आरोग्य निवास (सैनेटोरियम) में । अतः हमें उसी पर बल देना चाहिए । व्यापक क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय क्षय रोग संस्था ने सारे अनन्तपुर जिले को चुना है और बंगलौर जिले पर भी यह कार्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव है । हम स्वेच्छा से इस कार्यक्रम को आरम्भ करने के वास्ते संगठनों को सहायता दे रहे हैं । हमारा प्रस्ताव है कि वर्तमान योजना में प्रत्येक जिले में एक क्षय रोग केन्द्र स्थापित किया जाये । आशा है कि विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों की सहायता से चौथी योजना के आरम्भ से क्षय रोग के नियंत्रण के लिए हम बड़ा आन्दोलन आरम्भ कर सकते हैं । तृतीय योजना में हमें अग्रिम परियोजनाओं, क्षय रोग रुजालय स्थापित करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सन्तुष्ट रहना होगा ।

कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, हैजा और गुप्त रोग के नियंत्रण के लिए काफी कोशिश की जा रही है । छूत की बीमारियों से बचने के महत्व को हम जानते हैं । हैजा, मियादी बुखार, पेचिश और सब प्रकार की जठरान्तर बीमारियां कीटाणुओं से दूषित खुराक और जल और मक्खियों के कारण हैं । अतः स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा आवश्यक है । हम स्वयं तो साफ रहना जानते हैं, परन्तु अपने इर्द गिर्द स्थानों को साफ नहीं रखते । इस के लिए बचपन से ही शिक्षा मिलनी चाहिए । इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय की सहायता से अध्यापकों को भी प्रशिक्षण देने का विचार है । स्कूलों में भी सफाई रखी जायेगी ।

मैं 'फाइलेरिया' की बीमारी के खतरे को भली भांति जानती हूं । २५० लाख जन संख्या से ६५० लाख लोगों के लिए इसका खतरा हो गया है । इस के और बढ़ने की सम्भावना है ।

[डा० सुशीला नायर]

औद्योगीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है। उस के कारण फाइलेरिया की बीमारी वाले क्षेत्रों से कई लोग इस बीमारी से रक्षित क्षेत्रों को आते हैं। इस प्रकार से कई बार यह बीमारी फैलती है। अत: हम केन्द्र और राज्यों में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों से प्रार्थना करते रहे हैं कि उन द्वारा मंजूर की गई औद्योगिक योजनाओं में जल निस्सारण योजनाओं को भी सम्मिलित किया जाये।

इसी प्रकार हम इस बात पर बल देते हैं कि जल सम्भरण योजनाओं के साथ साथ ही जल-निस्सारण योजनायें भी की जानी चाहिएं।

केरल से हम ने फाइलेरिया के ४७ एककों को वापिस नहीं लिया है।

अनुसन्धान से यह पता चलता है कि इस समय फाइलेरिया नियंत्रण के सम्बन्ध में हमारी जानकारी काफी नहीं है। इस बीमारी के लिये कुछ औषधियां हम ने आरम्भ की थीं। इन औषधियों का उन लोगों पर जिन में बीमारी के कीटाणु भी थे बुरा प्रभाव पड़ा। अत: लोग इस उपचार को पसन्द नहीं करते थे। डी० डी० टी० और बी० सी० ऐन० की दवाइयों को छिड़कने से फाइलेरिया के मच्छर नहीं मरते हैं। अत: इस का नियंत्रण कठिन है। हमें जल निस्सान की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। जिन स्थानों में पानी खड़ा है वहां तेल छिड़का जाना चाहिए। इन कदमों से फाइलेरिया की मच्छरों की संख्या में ५० प्रतिशत कमी हुई है। अनुसन्धान की प्रगति से और मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के पूरा होने पर जो शक्ति मिलेगी उस के प्रयोग से हम फाइलेरिया नियंत्रण के लिए व्यापक कार्यक्रम आरम्भ करेंगे।

हस्पताल, डिसपैंसरियों और स्वास्थ्य केन्द्र आदि की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का काम है। हम उन्हें अधिक कोशिश करने के लिए कह सकते हैं। प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भारत सरकार ने काफी सहायता दी है। ऐसे केन्द्र की संख्या बढ़ कर ३,२७६ हो गई है। फिर भी ये काफी नहीं है। चालू वर्ष में वहां प्रगति कम रही है। इस का कारण चीनी अतिक्रमण के कारण मितव्ययता है। माननीय सदस्य श्री प्रिय गुप्त ने कहा है कि कई स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं। यह सच है कि १५ से १७ प्रतिशत में डाक्टर नहीं हैं। डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए हम ने कई कदम उठाये हैं। हम ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वे प्रत्येक डाक्टर के ३ या ५ वर्षों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने पर बल दें। राज्यों में डाक्टरों की एक ही पदावलि होनी चाहिए। किसी भी डाक्टर को स्थायी बनाने से पहले यह देखना चाहिए कि उस ने तीन वर्ष की ऐसी सेवा कर दी है और दक्षतावरोध को पार करने से पूर्व भी यह बात देखनी चाहिए कि उस ने ५ वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा की है। इस के कार्यान्वयन करने से ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी दूर हो जायेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों को रहने के लिए मकान और उचित वेतन और भत्ते आदि देने की आवश्यकता भी है। पश्चिम बंगाल ने ये सुविधायें दी हैं और वहां पर कोई ऐसा स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है जहां डाक्टर नहीं हैं। आशा है कि अन्य राज्य भी बंगाल की तरह ही करेंगे। हम डाक्टरों की संख्या बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। डाक्टरी कालिजों की संख्या बढ़ा कर ७१ कर दी है जिनमें ७,००० विद्यार्थी दाखिल किये जा सकते हैं। यह तो बहुत प्रगति है। ऐसा कभी भी दुनिया में नहीं हुआ है। डाक्टरी शिक्षा का विस्तार इतना तेज हुआ है कि और कोई समस्याएं खड़ी हो गई हैं जैसी कि अच्छे अनुभवी अध्यापकों की कमी और ऊंची असफलता दर। बहुत अधिक विद्यार्थी इसलिए असफल रहते हैं कि पर्याप्त अनुभवी अध्यापक नहीं हैं और प्रदेशों, जातियों इत्यादि के आधार पर आरक्षण के लिए कई राज्य बल देते हैं। हम ने राज्यों को सलाह दी है कि केवल

गुणों के आधार पर विद्यार्थियों को कालिजों में दाखिल किया जाना चाहिए। कुछ स्थानों में हम सफल हुए हैं और कुछ में नहीं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** किन राज्यों ने आप की सलाह नहीं मानी ?

†**डा० सुशीला नायर :** मैं राज्यों के नाम नहीं बताऊंगी। मैं उन के साथ काम कर रही हूं और कई कार्यक्रमों में मुझे उन का समर्थन प्राप्त होता रहा है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** अभी आप ने इस से उलट बात कही थी।

†**डा० सुशीला नायर :** यह ठीक नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि ब्रिटेन की तरह हमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना बनानी चाहिए। हम इस योजना को अपनाना चाहते हैं। मैं समासीकृत औषधि में १०० प्रतिशत विश्वास रखती हूं, परन्तु डाक्टरों और अस्पतालों की कमी है.

†**श्रीमती विमला देवी :** राष्ट्रीयकरण से आप सभी डाक्टर जो अपने औषधालय चला रहे हैं उन को राष्ट्र सेवा के काम में लगा सकते हैं।

†**डा० सुशीला नायर :** यदि माननीय सदस्य ने ब्रिटेन की योजना का अध्ययन किया हो तो उन्हें पता चलेगा कि वहां डाक्टर स्वेच्छा से इस योजना में जाते हैं। क्योंकि यह अच्छी है और उन्हें वेतन भी अच्छा मिलता है। हमारे पास न तो काफी डाक्टर हैं न उन्हें अच्छा वेतन देने के लिये काफी धन। कई सदस्यों ने यह ठीक ही कहा है कि डाक्टरों को कम वेतन दिया जाता है। उन के प्रशिक्षण का समय बहुत अधिक है यही कारण है कि उन में से अधिकांश, लगभग ७० प्रतिशत अपना निजी कार्य आरम्भ करते हैं। हम उन के वेतन मान में वृद्धि करना चाहते हैं तथापि अभी तक ऐसा करना सम्भव नहीं हुआ है।

तथापि इस सम्बन्ध में दो योजनायें हैं कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन औद्योगिक श्रमिकों की चिकित्सा का ध्यान रखा जाता है। इसके अधीन १९ से २० लाख श्रमिक आते हैं। अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी तथा ५८ से ६० तक अर्ध-सरकारी संस्थायें आती हैं इस के अधीन ५ $^{1}/_{4}$ लाख कर्मचारी आते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि सभा सहमत हो तो हम आधे घंटे देर तक बैठेंगे, जिससे कि सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की मांगें प्रस्तुत की जा सकें, सिंचाई और विद्युत् मंत्री बाहर जा रहे हैं।

श्री रघुनाथ सिंह (बाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, कल छः बजे हम लोगों को स्टेशन पर पहुंचना है। भूतपूर्व राष्ट्रपति जी के एशिज़ आ रहे हैं। इसलिए आज हाउस को छः बजे ही खत्म कर दिया जाये तो बहुत अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय : कल जाना है या आज ?

श्री रघुनाथ सिंह : कल।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा था कि आज आध घंटा और बैठ जायें।

श्री रघुनाथ सिंह : चार बजे हम लोग उठेंगे। चार बजे उठ कर नहायेंगे, धोवेंगे तब कहीं स्टेशन पर पहुंच पायेंगे छः बजे।

†**डा० सुशीला नायर :** श्रीमती जयावेन का यह आरोप बिल्कुल गलत है कि सरकार केवल बड़े आदमियों की ही चिकित्सा का ध्यान रखती है और जन सामान्य के हितों का ध्यान नहीं रखती है। निसंदेह पहले नियमों के अनुसार बड़े आदमियों को अच्छी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

थी जब कि छोटे व्यक्तियों पर ये सुविधायें लागू नहीं होती थीं ; जब कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन ये सभी कर्मचारी आते हैं।

श्री प्रिय गुप्त : चौथे, तीसरे, पहिले और दूसरे वर्ग के लिये कितने कितने प्रोपोर्शन में दिया गया है ?

डा० सुशीला नायर : सब को दिया गया है और बराबर का दिया गया है। एक फर्क जरूर रहा है। वह यह है कि स्पेशलिस्ट की कंसलटेशन के लिये पुराने जमाने में पांच सौ रुपये से ज्यादा तनख्वाह पाने वाला सीधा स्पेशलिस्ट के पास जा सकता था, उसको इसकी इजाजत थी। हम ने उसको हटा कर आठ सौ कर दिया था। अब आठ सौ हटा कर, उसको हम बारह सौ कर रहे हैं। हमारा इरादा है कि इस प्रिवेलेज को पूरा पूरा विदड्रा कर लें। डिसपेंसरी का डाक्टर जिस को मुनासिब समझता है, उसको कंसलटेशन के लिये भेजेगा दूसरों को नहीं भेजेगा। कोई फर्क नहीं है छोटे से छोटे और बड़े से बड़े के बीच। छोटे से छोटे को भी स्पेशलिस्ट देखता है मगर जब डिसपेंसरी का डाक्टर रेफर करता है, तब वह जा कर स्पेशलिस्ट को मिलता है।

श्री प्रिय गुप्त : इंटरनल कान्फिडेशल लेटर तो कोई अलग से नहीं है ?

"बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और।"

†**डा० सुशीला नायर :** माननीय सदस्य मुझे उत्तेजित करने का प्रयत्न कर रहे हैं तथापि इससे कोई लाभ नहीं होगा।

हम विनय नगर में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा को गैर सरकारी व्यक्तियों पर लागू करने का प्रयोग कर रहे हैं। जिससे हमें कुछ अनुभव प्राप्त होगा और तब हम इस योजना को गैर सरकारी व्यक्तियों पर भी लागू कर सकते हैं। हम जनता की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।

झूठे डाक्टर वैद्यों पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है। कई राज्य सरकारों ने इस संबंध में विधान पारित किया है। तथापि हम ऐसे डाक्टर वैद्यों को तब तक नहीं रोक सकते जब तक कि हमारे पास प्रशिक्षित डाक्टरों की पर्याप्त संख्या न हो।

कई सदस्यों ने आयुर्वेद का उल्लेख किया है। उनमें से कुछ ने शुद्ध आयुर्वेद का समर्थन किया है तो कुछ ने समन्वय प्रणाली का समर्थन किया है। कुछ सदस्यों ने वैद्यों का भी पंजीकरण करने की सिफारिश की है। योजना आयोग ने पिछले वर्ष मई में देश भर से महान आयुर्वेदाचार्यों को बुलाकर इस सम्बन्ध में परामर्श किया था उन्होंने शुद्ध आयुर्वेद की सिफारिश की समन्वय प्रणाली से पास हुए स्नातक अपने को वैद्य कहने में हिचकते हैं वे अपने को डाक्टर कहना चाहते हैं।

मैंने देखा कि केरल में कई वैद्य सिबाजोल को 'शिव भस्म' और ए०पी०सी० पाउडर को श्वेत भस्म कह कर इस्तेमाल करते हैं। यह ठीक नहीं है हम तभी तरक्की कर सकते हैं जब हम एक प्रणाली के प्रति सच्चे वफादार हों। भविष्य में प्रशिक्षण शुद्ध आयुर्वेद में ही दिया जायेगा। इसका पाठ्य क्रम तैयार करने के लिये एक समिति बनायी गयी है। यह १० अप्रैल तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी। इसके बाद युनानी प्रणाली के लिये भी यही कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक प्राकृतिक चिकित्सा का संबंध है, इस संबंध में श्री श्रीमन् नारायण की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी है। उन्होंने अभी हाल में कई योजनाओं की सिफारिश की है: अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन योगाभ्यास के केन्द्र स्थापित किये गये हैं। एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भी खोली जा रही है जिसका उद्घाटन ३० ता० को श्री गुलजारी लाल नन्दा करेंगे।

जहां तक खाद्य पदार्थों और दवाओं में मिलावट का सम्बन्ध है मैं सभा से पूरी तरह सहमत हूं कि यह एक गम्भीर मसला है। हमने इस सम्बन्ध में एक विधान तैयार किया है मुझे आशा है सभी माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे। हम इसके लिये १० वर्ष तक की सजा और उत्पादन के सारे

†मूल अंग्रेजी में

सामान की जब्ती का उपबन्ध कर रहे हैं साथ-साथ हमने उत्पादन में सुधार, तथा चीरफाड़ के औजारों का उत्पादन करने के लिये सुझाव देने के हेतु समितियां नियुक्त की हैं।

जहां तक औषधियों के उत्पादन का सम्बन्ध है ज्योंही प्रस्तावित तीन या चार संयत्रों की स्थापना हो जायेगी हम इस मामले में स्वावलंबी हो जायेंगे।

खाद्य पदार्थों और खाद्यों से पेटेंट हटा लेने का भी कीमतों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। औषधि विक्रेताओं को दवाओं की कीमतों की सूची दर्शाने के आदेश दिये गये हैं; वैसे पिछले कुछ महीनों से दवाओं की कीमतें स्थिर रही हैं। चीन के आक्रमण के फलस्वरूप चालू वर्ष में हमें स्वास्थ्य योजनाओं में २७·५% की कटौती करनी पड़ी है। तथापि हम ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि अच्छे समन्वय से यह कटौती पूरी हो जाये। साथ ही हम अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें और अधिक संख्या में डाक्टरों नर्सों के प्रशिक्षण के लिये २ ½ करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। हमने मैडिकल कालेजों को लिखा है कि वे प्रतिवर्ष २०० अधिक विद्यार्थी भरती कर सकते हैं, तथापि उनकी पढ़ाई के स्तर में कमी न होनी चाहिये।

माननीय सदस्यों ने सभा में जो भी सुझाव दिये हैं हम उन पर बहुत सावधानी से विचार करेंगे।

रक्त बैंक, प्राथमिक चिकित्सा तथा होम नर्सिंग संबंधी कार्यक्रमों पर अवश्य ध्यान दिया जा रहा है। स्कूलों में स्वास्थ्य योजनायें आरम्भ की जा रही हैं जिससे विद्यार्थी का एक स्वस्थ नागरिक के रूप में विकास हो सके।

हम अपनी सभी योजनाओं में इस प्रकार संशोधन कर रहे हैं कि उनसे प्रतिरक्षा संबंधी मांगें भी पूरी हो सकें। हमारी अनुसंधान प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में तदनुसार परिवर्तन किया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या ३ और ४ मतदान के लिये रखता हूं :

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
४७	स्वास्थ्य मंत्रालय . .	१७,७३,०००
४८	चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य .	६,३६,७१,०००
४९	स्वास्थ्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	६१,८१,०००
१३०	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	८,५२,०५,०००

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सभा अधिक समय तक बैठने को तैयार नहीं है ?

†**कई सदस्य** : जी नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २६ मार्च, १९६३/५ चैत्र, १८८५(शक) को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, २५ मार्च, १९६३
४ चैत्र, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—		२५७५—२६०२
तारांकित प्रश्न संख्या		
५५४	गैर सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा सामग्री का निर्माण . .	२५७५—७९
५५५	बेरोज़गारी	२५७९—८२
५५६	कांगो में भारतीय सेना कर्मचारी	२५८३—८५
५५७	नेशनल वालंटियर फोर्स	२५८६—८८
५६०	प्रैस परिषद्	२५८८—९०
५६१	सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें	२५९०—९१
५६२	आपातकालीन उत्पादन समितियां	२५९१—९३
५६३	राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के कैडटों को राइफल प्रशिक्षण . .	२५९३—९५
५६४	तिब्बती शरणार्थी	२५९५—९६
५६५	सूरत गढ़ क्षेत्र में बमों का गुम हो जाना	२५९६—९८
५६६	परिवहन विमान	२५९८—९९
५६७	पेकिंग को "मैत्री यात्रा"	२६००—०२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—		२६०२—२३
तारांकित प्रश्न संख्या		
५५८	जाली पासपोर्ट	२६०२
५५९	मुख्य मंत्रियों द्वारा आगे के इलाकों का दौरा . . .	२६—२—०३
५६८	कनाडा से डकोटा विमान	२६०३
५६९	जेट विमानों का उत्पादन	२६०३—०४
५७०	"साउंडिंग राकेट्स" का छोड़ा जाना . . .	२६०४
५७१	भूतपूर्व सैनिक	२६०५
५७२	चीन में भारतीय युद्ध बन्दी	२६०५—०६

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उतर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

५७३ औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन . . . २६०६

५७४ अमरीका तथा ब्रिटेन के लिये भारतीय शिष्ट मंडल . . २६०६

५७५ सी० ओ० डी०, दिल्ली छावनी २६०७

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०८२ पलाना लिग्नाइट खनन परियोजना . . . २६०७

१०८३ पलाना (राजस्थान) में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र . . . २६०७–०८

१०८४ फ्रिलीपाइन में भारतीय आप्रवासी . . . २६०८

१०८५ उड़ीसा में तिब्बती शरणार्थियों का बसाया जाना . २६०९

१०८६ कूच विहार में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश . . २६०९

१०८७ "सैनिक समाचार" २६०९–१०

१०८८ ठेके के मजदूर २६१०

१०८९ उड़ीसा में रेडियो सेट २६१०

१०९० कटक में आकाशवाणी के कर्मचारी . . . २६१०

१०९१ उड़ीसा में पंजीबद्ध "दक्ष" तथा "अदक्ष" व्यक्ति . . २६१०–११

१०९२ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन २६११

१०९३ प्रतिरक्षा उद्योग में वार्ता व्यवस्था . . . २६११–१२

१०९४ परिवार पेंशन २६१२

१०९५ जवानों के लिये भूमि २६१२

१०९६ केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन २६१३

१०९७ लंका जाने वाले भारतीय राष्ट्रजनों के लिये प्रवेश पत्र . . २६१३

१०९८ विशाखापटनम में घाट का निर्माण . . . २६१४

१०९९ आवास में विकास परियोजनायें . . . २६१४

११०० उड़ीसा के मुख्य मंत्री को दिल्ली में सौंपा गया काम . . २६१४–१५

११०१ शिल्पकारों का प्रशिक्षण २६१५–१६

११०२ स्त्रियों के कार्य की दशायें २६१६–१७

११०३ फौजी सामान की स्थानीय खरीद . . . २६१७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
११०४	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विद्यालय (नेशनल डिफेंस कालेज) .	२६१८
११०५	इंग्लैंड से भारतीयों का निकाला जाना . . .	२६१८
११०६	नेफा में उपभोक्ता सहकारी समितियां . . .	२६१८–१९
११०७	अधिक ऊंचाई पर सांस सेना	२६१९
११०८	बुलडोजर की दुर्घटना	२६१९
११०९	सेना के जनरल	२६१९–२०
१११०	आयुध कारखानों में उत्पादन	२६२०
१११९	केरल में प्रतिरक्षा उत्पादन उद्योग . . .	२६२०
१११२	गढ़ाई के लिये मिश्र धातुओं के टुकड़ों (ब्रिलट्स) का निर्माण .	२६२१
१११३	अधिक ऊंचाई पर परीक्षण उड़ानें . .	२६२१
१११४	आकाशवाणी, नागपुर से हिन्दी में समाचार . .	२६२१–२२
१११५	आकाशवाणी, नागपुर से "विविध भारती" कार्यक्रम . .	२६२२
१११६	भंडारा में आयुध कारखाने	२६२२
१११७	स्वर्गीय श्री गोविंद बल्लभ पन्त	२६२२
१११८	अमरीका में भारतीय जाति व्यवस्था के सम्बन्ध में टेलीवीजन डाक्यूमेंटरी	२६२२–२३
१११९	सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड . . .	२६२३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .		२६२४—३३

(१) श्री हेम बरुआ ने भारतीय सेना की संख्या, सीमावर्ती क्षेत्रों में रडार उपकरण और अमरीका से अप्रचलित या फालतू किस्म के विमान लेने की योजना के बारे में श्री विजयानन्द पटनायक द्वारा वाशिंगटन में दिये गये कथित वक्तव्य की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

(२) श्री राम सेवक यादव ने तिरुची-रेनी एक्सप्रेस और एक बस के बीच हुई दुर्घटना की ओर, जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई व्यक्तियों के चोटें आईं, रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया ।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६३३–३४

(१) वर्ष १९७२ के लिये प्रशासकीय सतर्कता विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(२) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ९ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २६९ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, १९६३ ।

(ख) दिनांक १६ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी एस० आर० २९७ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना १९६३ ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २६३४

सचिव ने राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयक सभा-पटल पर रखे :—

(१) विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६३ ।

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६३ ।

(३) विनियोग विधेयक, १९६३ ।

(४) केन्द्रीय बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६३ ।

(५) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६३ ।

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र २६३४

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को बताया कि श्री उ० न० ढेबर ने २१ मार्च, १९६३ से लोक-सभा में अपने स्थान से त्याग-पत्र दे दिया है ।

श्री कागड़ी द्वारा कही गई बातों के बारे में २६३४—३९

अनुदानों की मांगें . . . . . २६४०—८१

(१) अणुशक्ति विभाग की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और मांगे पूरी-पूरी स्वीकृत हुई ।

(२) स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुई ।

मंगलवार, २६ मार्च, १९६३ / ५ चैत्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान ।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ २६६६–६८
श्रीमती यशोदा रेड्डी . . २६६८–६९
डा० गायतोंडे . . २६६९
श्रीमती शशांक मंजरी . . . २६६९–७१
श्री हिम्मत सिहका . . २६७१
श्री राम सहाय पाण्डेय २६७१–७२
श्री मु० इस्माइल . . २६७२–७३
डा० सुशीला नायर . . २६७३–८१
दैनिक संक्षेपिका २६८२–८५

P.L.S. 41. XV. 27. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।